

पहली FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2019-2020

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

नवम्बर, November, 2019

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2019-2020.

वर्ष 2019-20 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 64 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹21246.16 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹18995.51 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹2249.37 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹128 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2019-2020.

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2019-20 includes 64 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹21246.16 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹18995.51 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹2249.37 crore. Besides, token provision of ₹128 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 भेषज विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की देयताओं के भुगतान के लिए ऋण के भुगतान हेतु।	7 Department of Pharmaceuticals For payment of loans towards payment of employees' liabilities of Public Sector Undertaking.		160.00	160.00

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

10 वाणिज्य विभाग

(क) 'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़), सब्सिडियां (₹20 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20 करोड़) (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़), सब्सिडियां (₹9.35 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹20.88 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹1.02 करोड़) (iii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹283 करोड़) (iv) 'बाजार पहुंच पहल' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹50 करोड़) (v) 'रत्न और आभूषण सेक्टर' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5 करोड़) (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़) (vii) 'व्यापार आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹8.50 करोड़), डीटीई (₹0.50 करोड़), ओई (₹0.30 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.20 करोड़) और लघु कार्य (₹0.50 करोड़) (viii) 'विशेष आर्थिक जोन को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹2 करोड़), डीटीई (₹0.50 करोड़),

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

10 Department of Commerce

(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹10 crore), Subsidies (₹20 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹20 crore) under the scheme 'Agricultural Product Export Development Authority (APEDA)' (ii) Grants-in-aid General (₹5 crore), Subsidies (₹9.35 crore), Grants-in-aid Salary (₹20.88 crore), Subsidies under SCSP (₹3.75 crore) and Subsidies under STSP (₹1.02 crore) in the scheme 'Marine product Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Subsidies (₹283 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) GIA Salary (₹50 crore) under the scheme 'Market Access Initiative', (v) Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector' (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹50 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) establishment related expenditure under various schemes/

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** ओई (₹0.50 करोड़), (ix) 'व्यापार उपचार heads (₹63 crore) (viii) Subsidies under और व्यापार रक्षा' स्कीम के अंतर्गत ओई (₹0.50 SCSP (₹3.75 crore) and Subsidies under करोड़), प्रकाशन (₹0.40 करोड़) तथा विज्ञापन SCTP (₹1.02 crore) under the Scheme और प्रचार (₹0.60 करोड़) (x) 'स्थापना व्यय 'Marine product Export Development (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत डीजीएफटी सूचना Authority (MPEDA)', (ix) Subsidies (₹77 प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन (₹35.50 करोड़), crore) under the scheme 'Duty Draw चिकित्सा उपचार (₹0.70 करोड़), डीटीई (₹3 Back' and (x) Other Charges (₹14.74 करोड़), ओई (₹5.50 करोड़), आरआरटी (₹1 crore) under the scheme 'Centre for करोड़), पीएस (₹0.80 करोड़) और ओएई (₹2 Research on International Trade'. 218.00 218.00 करोड़) (xi) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹1.02 करोड़) (xii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹77 करोड़) और (xiii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनुसंधान केंद्र' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹14.74 करोड़) हेत् व्यय पूरा करने के लिए। (ख) स्थापना व्यय-स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्यों (b) For meeting expenditure towards Major हेत् व्यय पूरा करने के लिए। Works under the scheme Establishment Expenditure. 65.00 65.00 उद्योग तथा संवर्धन विभाग **Department for Promotion of Industry** (क) (1) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों and Internal Trade में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और (a) For meeting expenditure towards 1. एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के Subsidies under the schemes (i) 'Refund अंतर्गत सब्सिडियां (₹192 करोड़) तथा (ii) of Central and Integrated GST to Industrial 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के Units in North Eastern Region and अंतर्गत सब्सिडियां (₹30 करोड़) (2) 'पूर्वोत्तर Himalayan states' (₹192 crore) and (ii) संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत 'Transport/Freight Subsidy Scheme' (₹30 सामान्य सहायता अनुदान (₹6.05 करोड़) crore) 2. Grants-in-aid General (₹6.05 और वेतन सहायता अनुदान (₹2.85 करोड़) crore) & Grants-in-aid Salaries (₹2.85 हेतु व्यय पूरा करने के लिए। crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' 192.00 192.00 (ख) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में (b) For meeting expenditure towards औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत Subsides under the schemes (i) 'Refund जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत of Central and Integrated GST to सब्सिडियां (₹208.49 करोड़) (ii) जम्मू और Industrial Units in North Eastern कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरा खण्ड Region and Himalayan states' (₹208.49 crore) (ii) under the scheme 'Package के विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹20 करोड़) for Special Category States for Jammu (iii) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम and Kashmir, Himachal Pradesh and के अंतर्गत सब्सिडियां (₹19.57 करोड़) और Uttarakhand' (₹20 crore) (iii) Transport/ (iv) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन Freight Subsidy Scheme (₹19.57 crore) नीति' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹60 and (iv) 'North Eastern Industrial and करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। Investment Promotion Policy' (₹60 crore). 208.49 208.49 (ग) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (c) For meeting expenditure towards (₹165 करोड़) हेतु व्यय पुरा करने के लिए। Investment under the scheme Fund of Funds. 165.00 165.00 रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE 19 रक्षा सेवा (राजस्व) 19 Defences Services (Revenue) (क) सेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेत् (a) For meeting additional expenditure अतिरिक्त व्यय पुरा करने के लिए towards payment of Pay and Allowances 1,500.00 1,500.00 of Army.

			राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
(ख) नौसेना के वेतन और भत्तों की भुगतान हेतु		(b) For meeting additional expenditure			
अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए; और		towards payment of Pay and Allowances of Navy.	300.00		300.00
(ग) वायुसेना के वेतन और भत्तों की भुगतान		(c) For meeting additional expenditure			
हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		towards payment of Pay and Allowances of Air Force.	200.00		200.00
वेत्त मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE	200.00	•••	200.00
7 आर्थिक कार्य विभाग	27	Department of Economic Affairs			
अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) को अभिदान		For subscription to African Development			
(₹5.96 करोड़) (ii) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास		Bank (AfDB) (₹5.96 crore) and to European			
बैंक (ईबीआरडी) को अभिदान (₹28 करोड़)।		Bank for Reconstruction and Development			
(2.000)		(EBRD) (₹28 crore).		33.96	33.96
वित्तीय सेवाएं विभाग	29	Department of Financial Services	•••	22.50	22.70
(i) पुनर्पूंजीकरण बंधपत्रों को जारी करने के		For (i) capital infusion in IDBI Bank Ltd.			
माध्यम से आईडीबीआई बैंक लि. में पूंजी निवेश		through issuance of recapitalization bonds			
(₹4557 करोड़)। और (ii) बीमा कंपनियों के		(₹4557 crore) and (ii) an additional			
पुनपूँजीकरण निधि की अतिरिक्त आवश्यकता		requirement of fund for recapitalization of			
ु ू (₹2500 करोड़) के लिए।		Insurance Companies (₹2500 crore).		2,500.00	2,500.00
। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	34	Indian Audit and Accounts Department		_,	_,
वेतन और स्थापना पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने		For meeting additional expenditure towards			
के लिए।		Salary and establishment.	26.22		26.22
•					
ह मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOME AFFAIRS			
गृह मंत्रालय	46	Ministry of Home Affairs			
14वां वित्त आयोग पंचाट के स्थान पर जम्मू एवं		For Grant to Union Territories of Jammu &			
कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान		Kashmir and Ladakh in lieu of J&K State			
के लिए राजस्व घाटा अनुदान का हिस्सा		share of 14th Finance Commission Award -			
(₹5892.50 करोड़ @₹1178.50 करोड़/माह)		share of Revenue deficit grant (₹5892.50			
स्थानीय निकाय अनुदान (₹725 करोड़) और		crore @ 1178.50 crore/month), local body			
एसडीआरएफ (₹139.50 करोड़) और नवम्बर व		grant (₹725 crore) and SDRF (₹139.50			
दिसम्बर, 2019 के लिए करों से हुई निवल आय		crore) & State Share of net proceeds of taxes			
का राज्य हिस्सा (₹2063.62करोड़)।		for month of November and December, 2019			
(12000102 + 1.)		(₹2063.62 crore).	8,820.62		8820.62
3 पुलिस	48	Police	0,020.02	•••	0020.02
वेतन और राशन की लागत के लिए व्यय पूरा		For meeting expenditure towards Salaries			
करने के लिए		and cost of Ration.	3,387.46		3387.46
) चंडीगढ़	50	Chandigarh	-,,		
माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के		For meeting additional expenditure towards			
निर्णय के कारण भू-स्वामियों को वृद्धित क्षतिपूर्ति		payment of enhanced compensation to the			
के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा		land owners on account of the decision of			
करने के लिए।		the Hon'ble Punjab and Haryana High Court.		60.00	60.00
धि और न्याय मंत्रालय	MI	NISTRY OF LAW AND JUSTICE			
5 भारत का उच्चतम न्यायालय	65	Supreme Court of India			
वेतन (₹17 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹3.58		For meeting additional expenditure towards			
करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Salaries (₹17 crore) and Professional			
,		Services (₹3.58 crore).	20.58		20.58
		•			
जिना मंत्रालय	MI	NISTRY OF PLANNING			
5 योजना मंत्रालय	75	Ministry of Planning			
(i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 7वें केन्द्रीय		For meeting additional expenditure towards			
वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप देय		(i) Grants-in-Aid Salaries to National			
बक्ताण भगवान देन नेषानन संजीकान भंगह नेसा		Institute of Labour Economics Descend and			

Institute of Labour Economics Research and

Development (NILERD) (₹3.18 crore)

बकाया भुगतान हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर

इकोनोमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईएल

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** ईआरडी) को वेतन सहायता अनुदान (₹3.18 करोड़) towards arrear due payment of 7th CPC (ii) 28 प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के मूल्यांकन implementation (ii) recoupment of advance तथा स्कीमों की निगरानी व मूल्यांकन को सुदृढ़ of ₹26.50 crore drawn from Contingency करने के लिए आउटपूट-आउटकम मानीटरिंग फ्रेमवर्क Fund of India for the Evaluation of 28 के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित Umbrella Centrally Sponsored Scheme and ₹26.50 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेत् Output-Outcome Monitoring Framework to अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। strengthen monitoring and evaluation of the schemes. 22.18 22.18 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION आयोग और उप-राष्ट्रपति PUBLIC SERVICE COMMISSION का सचिवालय AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 79 राज्य सभा 79 Rajya Sabha पांचवीं संसदीय वेतन समिति की सिफारिशों के For meeting additional expenditrue on कार्यान्वयन के कारण सदस्यों के लिए वेतन (₹3 Salaries for Members (₹3 crore) and करोड़) और सचिवालय (₹17 करोड़) पर हुए Secretariat (₹17 crore) on account of अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए। implementation of the recommendations of the Fifth Parliamentary Pay Committee. 20.00 20.00 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय **MINISTRY** \mathbf{OF} **SCIENCE** AND **TECHNOLOGY** 86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 86 Department of Science and Technology (i) अन्तरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय For meeting additional expenditure towards मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹350 (i) Grants- in- aid General (₹350 crore) for करोड़)। (ii) अन्तरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली National Mission on Inter disciplinary Cyber पर राष्ट्रीय मिशन (₹150 करोड़) और अनुसंधान physical System (ii) Grants for creation of और विकास (राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन) (₹100 capital Assets of 150 crore and ₹100 crore करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के for National Mission on Inter disciplinary लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (iii) Cyber physical System and for Research and स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए ₹20 करोड़ के Development (National Super Computer वेतन सहायता अनुदान। (iv) इंजीनियरिंग अनुसन्धान Mission) respectively (iii) Grants-in-aid बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना के salary (₹20 crore) for Autonomous सामान्य सहायता अनुदान (₹6.50 करोड़)। (v) Institutions and Professional Bodies (iv) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड के लिए Grants-in-aid General (₹6.50 crore) of अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए पूंजीगत Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹3.50 Engineering Research Board (v) Grants for करोड़)। (vi) भारतीय सर्वेक्षण (निदेशन और प्रशासन creation of capital Assets (₹3.50 crore) for के लिए मजदूरी (₹0.75 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and (₹3.30 करोड़), किराया, दर व कर (₹1.50 Engineering Research Board and (vi) wages करोड़), कार्यालय व्यय (₹5.50 करोड़), आपूर्ति (₹0.75 crore), Domestic Travel Expenses और सामग्री (₹20.70 करोड़), भारतीय सर्वेक्षण (₹3.30 crore), Rent, Rates & Taxes (₹1.50 (निदेशन और प्रशासन) के लिए व्यावसायिक सेवाएं crore), Office Expenses (₹5.50 crore), (₹2.25 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के Supplies and Materials (₹20.70crore), लिए। Professional Services (₹2.25crore) for Survey 20.00 of India (Direction and Administration). 20.00 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE अंतरिक्ष विभाग 93 Department of Space (क) (i) नई परियोजनाओं अर्थात चंद्रयान-III (₹60 (a) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments/Other करोड़), एल्यमिनियम अयस्क टैंकेजिस-निवेश पूर्व का विकास और आपूर्ति (₹100 करोड़), Capital Expenditure of new Projects जीसैट 12आर (₹76.46 करोड़) एवं जीसैट viz.Chandrayaan III (₹60 crore),

Development and Supply of Aluminium

20/24 लांच सेवाएं (₹501 करोड़) के

अनुदानों की पूरक मांगे, 2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (v) (करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital Total मशीनरी एवं उपस्कर/अन्य पूंजीगत व्यय तथा Alloy Tankages - Pre -investment (₹100 (ii) मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत मुख्य crore), GSAT 12R (₹76.46 crore) & कार्यों/आवास तथा अन्य पूंजीगत व्यय के GSAT 20/24 Launch Services (₹501 उप-शीर्षों नामतः विक्रम साराभाई अंतरिक्ष crore) and (ii) Machinery & केन्द्र (₹104.53 करोड़), पोलर उपग्रह लांच Equipments, Major Works/Housing & व्हीकल जारी परियोजना (₹50 करोड़), तरल Other Capital Expenditure of Sub-प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (₹114.45 करोड़), Heads viz. Vikram Sarabhai Space इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली के लिए प्रयोगशाला Centre (₹104.53 crore), Polar Satellite (₹1.72 करोड़), सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र Launch Vehicle Continuation Project (₹242.61 करोड़), इसरो टेलीमिटरी ट्रेकिंग (₹50 crore), Liquid Propulsion Systems एवं कमांड नेटवर्क (₹60.99 करोड़), Centre (₹114.45 crore), Laboratory for नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (₹17.79 करोड़), Electro Optics Systems (₹1.72 crore), इसरो प्रणोदन परिसर (₹79.01 करोड़), दूसरा Satish Dhawan Space Centre (₹242.61 व्हीकल असेंबली भवन का कार्यान्वयन (₹9.88 crore), ISRO Telemetry Tracking and करोड़), मास्टर नियंत्रण स्विधा (₹23.33 Command Network (₹60.99 crore), करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन Navigation Satellite System (₹17.79 मुख्यालय (₹15.29 करोड़), ठोस प्रणोदक crore), ISRO Propulsion Complex अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (₹92 करोड़), लघु (₹79.01 crore), Realization of Second उपग्रह लांच व्हीकल का विकास (₹11.97 Vehicle Assembly Building (₹9.88 करोड़), यूआर राव उपग्रह केन्द्र (₹273.86 crore), Master Control Facility (₹23.33 करोड़), मानव अंतरिक्ष उड़ान केन्द्र (₹8.56 crore), Indian Space Research करोड़), अंतरिक्ष वस्त् ट्रेकिंग एवं विश्लेषण Organisation Headquarters (₹15.29 के लिए नेटवर्क (₹33.30 करोड़), crore), Solid Propellant Space Booster एसएसएलवी के लिए लांच पैड (₹120 Plant (₹92 crore), Development of Small करोड़), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹23.77 Satellite Launch Vehicle (₹11.97 crore), करोड़), भारतीय दूरस्थ संवेदी संस्थान (₹9.42 UR Rao Satellite Centre (₹273.86 crore), करोड़), भारतीय लूनर मिशन/चंद्रयान I और Human Spaceflight Centre (₹8.56 crore), II (₹18.40 करोड़), जीसैट 20 उपग्रह Network for Space Objects Tracking and (₹145.12 करोड़), जीएसएलवी जारी चरण-Analysis (₹33.30 crore), Launch Pad for 4 (₹17.76 करोड़) हेत् व्यय पूरा करने के SSLV (₹120 crore), Space Applications लिए। Centre (₹23.77 crore), Indian Institute of Remote Sensing (₹9.42 crore), Indian Lunar Mission/Chandrayaan I&II (₹18.40 crore), GSAT 20 Satellite (₹145.12 crore), GSLV Continuation Phase-4 (₹17.76 crore). 666.00 666.00 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS जनजातीय कार्य मंत्रालय 98 Ministry of Tribal Affairs संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान For Grants-in-aid General under the schemes (₹82.45 करोड़), मैट्रिक पूर्व स्कीम (₹125.51 Grants under Article 275 (1) of the करोड़), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹645.01 करोड़) Constitution (₹82.45 crore), Pre-Matric और जनजातीय अनुसंधान संस्थान (₹20 करोड़) Scheme (₹125.51 crore), Post Matric स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के Scholarship (₹645.01 crore) and Tribal 185.00 लिए। Research Institutes (₹20 crore). 185.00 MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND युवा मामले और खेल मंत्रालय **SPORTS** 100 युवा मामले और खेल मंत्रालय 100 Ministry of Youth Affairs and Sports (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता For meeting expenditure towards (i) Grants-

in-aid General (₹124.40 crore) under various

schemes (ii) Grants-in-aid Salary (₹183.13

crore) under the various schemes (iii) Grants

for Creation of Capital Assets (₹167.66

अनुदान (₹124.40 करोड़) (ii) विभान्न स्कीमों

के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹183.13

करोड़) (iii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत

आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹167.66

जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** करोड़) (iv) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि स्कीम crore) under the various schemes (iv) के अंतर्गत अंशदान (₹7.15 करोड़) (v) युवा Contribution under the scheme National नेता कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और Sports Development Fund (₹7.15 crore) (v) प्रचार (₹5.50 करोड़) (vi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम Advertisement and Publicity under the के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹1 करोड़) (vii) scheme Young Leader Programme (₹5.50 विशेष नकद पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अन्य crore) (vi) Office Expenses under the प्रभार (₹12 करोड़) और मेधावी खिलाड़ियों को Scheme National Service Scheme (₹1 crore) (vii) Other Charges under the scheme पेंशन (₹10 करोड़), (viii) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹14.28 करोड़) और खेलो इंडिया (₹2.87 करोड़) Special Cash Award (₹12 crore) and Pension स्कीमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक सामान्य to Meritorious Sports Persons (₹10 crore) सहायता अनुदान (ix) राष्ट्रीय खेलकृद परिसंघ (viii) Grants-in-aid General SC Component under the schemes National Sports (₹8.27 करोड़) और खेलो इंडिया (₹4.54 करोड़) Federation (₹14.28 crore) and Khelo India स्कीमों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति घटक सामान्य सहायता अनुदान (x) खेलो इंडिया स्कीम (₹4.87 crore) (ix) Grants-in-aid General के लिए अनुसूचित जाति घटक (₹13.49 करोड़) under ST Component under the schemes National Sports Federation (₹8.27 crore) and और अनुसूचित जनजाति घटक (₹9.17 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए Khelo India (₹4.54 crore) (x) Grant for Creation of Capital Assets under SC अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। Component (₹13.49 crore) and under ST Component (₹9.17 crore) for the scheme Khelo India. 225.00 225.00

कुल नकद व्यय

पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹2249.37 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वस्लियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुरूपी बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं:

Total Cash Outgo

This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹2249.37 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

15,345.55

तकनीकी पूरक अनुदान

Technical Supplementary Demands for grants

3,649.96 18,995.51

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग दिल्ली के माननीय पटियाला हाऊस कोर्ट द्वारा लगाई गई शास्ति के भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति।	10 Department of Commerce For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for payment of penalty imposed by Hon'ble Patiala House Court of Delhi.	0.02		0.02
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग किराया, दर व कर के अंतर्गत बकाया विद्युत और	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 15 Department of Food and Public Distribution For payment of outstanding electricity and			
जल प्रभारों के भुगतान के लिए। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 16 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	water charges under Rent, Rates and Taxes. MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 16 Ministry of Corporate Affairs	0.01		0.01

(क) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान के लिए कॉर्पोरेट आंकड़ा प्रबंधन (₹ 2 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय (₹ 6 करोड़) के लिए

(a) For meeting expenditure for Corporate Data Management (₹2 crore) and establishment related expenditure for

अनुदाना का पूरक माग, 🧵	2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(vii)
		(करो	ड़ रुपए Ruped	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
व्यय पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के रिक्त पदों को भरने तथा भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा अकादमी के विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	 Indian Institute of Corporate Affairs (₹6 crore). (b) For meeting expenditure for filling up of vacant posts of National Financial Reporting Authority and for various training of Indian Corporate Law Service 	8.00		8.00
	Academy.	4.85		4.85
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION 22 Ministry of Development of North			
उत्तर पूर्व सड़क सेक्टर विकास स्कीम- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	Eastern Region For providing additional Grants for Creation of Capital Assets under North East Road Sector Development Scheme-Externally Aided Projects Component.	24.07		24.07
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण (₹0.22 करोड़) और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (₹0.07 करोड़) के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major works for Zoological Survey of India (₹0.22 crore) and for Botanical Survey of India (₹0.07 crore).		0.29	0.29
वित्त मंत्रालय 27 आर्थिक कार्य विभाग (क) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) से बकाया ब्याज की माफी के लिए। (ख) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय न्यास निधि (एसईईटीएफ) और एशियाई विकास निधि के लिए अंशदान।	MINISTRY OF FINANCE 27 Department of Economic Affairs (a) For waiver of interest outstanding against National Council of Applied Economic Research (NCAER). (b) For contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund	1.30		1.30
34 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	(SEETF) and to Asian Development Fund. 34 Indian Audit and Accounts Department	12.37		12.37
वेतन और स्थापना हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। 38 राज्यों को अंतरण	For meeting additional expenditure towards Salary and establishment. 38 Transfers to States	1.17		1.17
स्थानीय निकायों- ग्रामीण निकायों के लिए अनुदानों का अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	For providing additional allocation Grants for Local bodies - Rural Bodies.	1,000.00		1,000.00
संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल) 51 दादरा और नगर हवेली डोकमर्डी में भूमिगत पार्किंग और सरकारी कॉलेज के सभामंडप के जारी आंतरिक कार्य के लिए।	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 51 Dadra and Nagar Haveli For ongoing works of underground parking at Dokmardi and Interior work of Auditorium at Government College.		5.00	5.00
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 56 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (i) पूंजी भाग में उपलब्ध निधियों में से ओएई, लघु कार्य, किराया, दर व कर (₹9.10 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रपति सचिवालय (ii) दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) कर्मचारियों की पेंशन स्कीम के लिए कॉर्पस सृजित करना (₹15.44	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS 56 Ministry of Housing and Urban Affairs For (i) provisions of President Secretariat under OAE, Minor Works,Rent, Rate& Taxes (₹9.10 crore) from funds available under capital section. (ii) create a corpus for pension scheme of Delhi Urban Art			

		राजस्व	^{ड़ रुपए Rupee} पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
करोड़) (iii) भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली को संपत्ति कर की छूट (₹0.48 करोड़) और (iv) एनसीआरटीसी (₹7.53 करोड़) के प्रावधानों के लिए।	Commission (DUAC) employees (₹15.44 crore), (iii) property tax to be remitted to India Habitat Centre, New Delhi (₹0.48 crore) and (iv) NCRTC (₹7.53 crore).	9.10		9.10
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय 'रोजगार संवर्धन स्कीम' (₹2 करोड़) और 'बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, मुख्य श्रम आयुक्त के लिए मशीनरी' (₹6.90 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	EMPLOYMENT 62 Ministry of Labour and Employment For meeting expenditure towards Major Works under the Schemes 'Employment Promotion Scheme' (₹2 crore) and 'Machinery for Better Conciliation, Preventive Mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner' (₹6.90 crore).		5.10	5.10
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64 निर्वाचन आयोग कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि के खरीद हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए।	64 Election Commission For making payment to Delhi Development Authority towards purchase of land for construction of office building.		6.22	6.22
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण के लिए कार्यालय भवन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	69 Ministry of New and Renewable Energy For meeting additional expenditure under Office Buildings for construction of Atal Akshay Urja Bhawan.		60.00	60.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धन परिवारों के लिए एलपीजी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing additional funds under the scheme LPG for Poor Households.	1,000.00		1000.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
(i) अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹350 करोड़) (ii) अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय करोड़) (iii) अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन और अनुसंधान और विकास (राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटर मिशन) के लिए क्रमशः ₹150 करोड़ और ₹100 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। (iii) स्वायत्त संस्थानों और व्यावसायिक निकायों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹20 करोड़) (iv) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.50 करोड़) (v) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.50 करोड़) और (vi) भारत का सर्वेक्षण (निदेशन और प्रशासन) के	For meeting additional expenditure towards (i) Grants- in- aid General (₹350 crore) for National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System (ii) Grants for creation of capital Assets of ₹150 crore and ₹100 crore for National Mission on Inter disciplinary Cyber physical System and for Research and Development (National Super Computer Mission) respectively (iii) Grants- in-aid salary (₹20 crore) for Autonomous Institutions and Professional Bodies (iv) Grants-in-aid General (₹6.50 crore) of Scheduled Tribe Sub-Plan for Science and Engineering Research Board (v) Grants for creation of capital Assets (₹3.50 crore) for Scheduled Tribe Sub-Plan for Science and Engineering Research Board and			

(vi) wages (₹0.75 crore), 'Domestic Travel

लिए मजदूरी (₹0.75 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
(₹3.30 करोड़), किराया कर व दर (₹1.50 करोड़), कार्यालय व्यय (₹5.50 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹20.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹2.25 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Expenses (₹3.30 crore), Rent, Rates & Taxes (₹1.50 crore), Office Expenses (₹5.50 crore), Supplies and Materials (₹20.70 crore), Professional Services (₹2.25 crore) for Survey of India (Direction and Administration).	34.00		34.00	
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING				
89 पोत परिवहन मंत्रालय (क) लघु पत्तनों के लिए प्रमुख्य कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹15.52 करोड़)	 89 Ministry of Shipping (a) For meeting additional expenditure towards 'Major Works' for Minor Ports (₹15.52 crore). 		13.40	13.40	
(ख) महानिदेशक (पोत परिवहन) के लिए 'कार्यालयी व्यय' के व्यय को पूरा करने	(b) For meeting expenditure towards 'Office Expenses' for Directorate	•••	15.10	13.10	
 लिए।	General (Shipping).		9.47	9.47	
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय 90 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय 'प्रशिक्षुता का संवर्धन' योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों और स्थापना के व्यय पूरा करने के लिए (₹67 करोड़)	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 90 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship For meeting expenditure towards Major Works under establishment and under the scheme 'Promotion of Apprenticeship' (₹67 crore).		50.00	50.00	
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD				
99 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण में एकिकृत शिक्षा) के प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	99 Ministry of Women and Child Development For meeting additional expenditure towards Major Works for National Nutrition Mission (Integrated Education in Nutrition).		5.00	5.00	
कुल तकनीकी	Total Technical	2,094.89		2,249.37	

4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए प्रत्येक 1 लाख रु. की पूरक अनुदान भी प्रस्तावित हैं, प्रासंगिक अनुदान का, जैसा भी मामला हो, इसके प्रति इंगित व्यय जिसे राजस्व अथवा पूंजी भाग के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान	Token Supplementary Demands for grants			
		(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore)
		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण -	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS'WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation			
-	and Farmers' Welfare			
(क) अनूसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना हेतु कृषि विस्तार पर उप मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। (ख) सामान्य घटक (₹35.30 करोड़), अनूसूचित	 (a) For providing additional Grants-in-aid General under Sub-Mission on Agriculture Extension for Special Component Plan for Scheduled Castes. (b) For providing Grants-in-aid General 	10.00		10.00
जाति (₹4 करोड़) तथा जनजाति क्षेत्र उपयोजना (₹5 करोड़) के लिए विशेष घटक	under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation for General Component			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** योजना, हेतु कृषि सहकारिता पर एकीकृत (₹35.30 crore), Special Component Plan योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान for Scheduled Castes (₹4 crore) and प्रदान करने के लिए। Tribal Area Sub-Plan (₹5 crore). 44.30 44.30 (ग) किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन (c) For providing Grants-in-aid General स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान under the scheme Formation and प्रदान करने के लिए। Promotion of Farmers Producers 30.00 30.00 Organizations. (d) For providing 1. Grants for Creation of (घ) 1. जनजाति क्षेत्र उपयोजना (₹5 करोड़) के Capital Assets under the scheme Organic अंतर्गत एनईआर के लिए जैविक मूल्य विकास Value Chain Development for NER under योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन Tribal Area Sub-Plan (₹5 crore) 2. Grants-के लिए अनुदान 2. योजना के अंतर्गत सामान्य in-aid General under the scheme (i) National सहायता अनुदान (i) जनजाति क्षेत्र उपयोजना Mission for Sustainable Agriculture under Tribal Area Sub-Plan (₹14.85 (₹14.85 करोड़) के अंतर्गत संपोषणीय कृषि crore) (ii) National Food Security Mission-हेतु राष्ट्रीय मिशन (ii) सामान्य घटक (₹21 other Crops for General Component (₹21 करोड़) तथा जनजाति क्षेत्र उपयोजना (₹2 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹2 crore) करोड़) के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-(iii) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna अन्य फसलें (iii) जनजाति क्षेत्र उपयोजना for Tribal Area Sub-Plan (₹85 crore) and के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹85 Integrated Scheme on Agriculture Cooperation for General Component (₹10 करोड़) तथा सामान्य घटक के लिए कृषि crore) and Special Component Plan for सहकारिता पर एकीकृत योजना (₹10 कोड़) Scheduled Castes (₹0.70 crore) and Sub तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक Mission on Agriculture Extension for योजना (₹0.70 करोड़) तथा जनजाति क्षेत्र Tribal Area Sub-Plan (₹20 crore). 158.55 158.55 उपयोजना के लिए कृषि विस्तार पर उप मिशन (₹20 करोड़) प्रदान करने के लिए। (ड.) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के (e) For providing Grants-in-aid General अंतर्गत (i) एकीकृत उद्यानिकी विकास के under (i) General Component (₹29 लिए मिशन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹29 crore), Scheduled Caste Sub-Plan (₹1 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना (₹1 crore) and Tribal Sub-Plan (₹1 crore) under Mission for Integrated करोड़) तथा जनजाति उपयोजना (₹1 करोड़) Development of Horticulture and (ii) तथा (ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के Scheduled Caste Sub-Plan (₹2 crore) अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (₹2 करोड़) तथा जनजाति उपयोजना (₹3 करोड़) adn Tribal Sub-Plan (₹3 crore) under Rashtriya Krishi Vikas Yojna. 36.00 36.00 2 Department of Agricultural Research and 2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग For providing Grants-in-aid General to Indian भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए (i) पेंशनरों को सातवें वेतन Council of Agricultural Research for (i) payment मान के बकाए का भुगतान (₹300 करोड़) तथा of 7th CPC arrears to pensioners (₹300 crore) (ii) आईसीएआर मुख्यालय (₹21.86 करोड़) तथा and (ii) ICAR Headquarter (₹21.86 crore) and (iii) फानी तूफान से हुए नुकसान के मरम्मत (ii) Grants for Creation of Capital Assets to ICAR for repair works of damages caused by कार्यों के लिए आईसीएआर को पूंजीगत आस्तियों Cyclone Fani (₹41.17 crore). 363.03 363.03 के सृजन हेतु अनुदान (₹41.17करोड़)। DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY परमाणु ऊर्जा विभाग **Atomic Energy** 3. परमाणु ऊर्जा (a) For meeting additional expenditure (क) (i) सहायता प्राप्त संस्थानों को वेतन अनुदान towards (i) Grant in aid Salaries to Aided सहायता (₹334.88 करोड़) तथा परमाण् Institutes (₹334.88 crore) and to Atomic ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹16 करोड़) Energy Education Society (AEES) तथा (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों को (₹120 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान के (₹16 crore) and (ii) Grant in aid General

(₹120 crore) to Aided Institutes.

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

470.88

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue (ख) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) (b) For meeting additional requirement में निवेश की अतिरिक्त आवश्यकताओं को towards investment for Bharatiya पूरा करने के लिए। Nabhikiya Vidyut Nigam ltd (BHAVINI). 40.00 40.00 (ग) (i) भारी जल उत्पादन स्विधा (एचडब्ल्यूबी) (c) For meeting additional expenditure को (₹2.21 करोड़) की सामान्य सहायता towards (i) Grant in aid General (₹2.21 अनुदान (ii) फ्यूल फैबरिकेशन परियोजना crore) to Heavy Water Production (एनएफसी) के लिए मशीनरी एवं उपकरण Facility(HWB) (ii) Machinery and (₹152.25 करोड़), विकिरण एवं समस्थानिक Equipment for Fuel Fabrication प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी) के लिए Projects (NFC) (₹152.25 crore), for (₹55.27 करोड़) तथा बैक एण्ड फ्यूल Board of Radiation and Isotope सहायता परियोजना (एनआरबी) के लिए Technology(BRIT) (₹55.27 crore) and (₹95.08 करोड़) तथा (iii) फ्यूल फैबरिकेशन for Back End Fuel Cycle Projects परियोजना (एनएफसी) के प्रमुख कार्य के (NRB) (₹95.08 crore) and (iii) Major लिए (₹137.38 करोड़), बैक एण्ड फ्यूल Works for Fuel Fabrication Projects सहायता परियोजना (एनआरबी) (₹306.25 (NFC) (₹137.38 crore), for Back End करोड़) तथा सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) Fuel Cycle Projects(NRB)(₹306.25 के लिए (₹20.69 करोड़) के अतिरिक्त व्यय crore) and for General Service को पूरा करने के लिए। Organisation (GSO) (₹20.69 crore). 769.13 769.13 (घ) (i) डीएई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं (d) For meeting additional expenditure के लिए मशीनरी और उपस्कर (₹25.53 करोड़) towards (i) Machinery and Equipment और (ii) लेजर (आरआरसीएटी) (₹5.86 for DAE R&D Projects (₹25.53 crore) करोड़) के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी हेत् डीएई and (ii) Major Works for General अनुसंधान और विकास परियोजनाओं (₹55.89 Service Organisation (GSO) (₹20.69 करोड़) के लिए सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) crore), for DAE R&D Projects (₹55.89 के लिए मुख्य कार्य (₹20.69 करोड़) हेत् crore), for Advance Technology for अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। 107.97 107.97 LASER (RRCAT) (₹5.86 crore). आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, 4 Ministry of Ayurveda, Yoga And सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH) (क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता (a) For meeting expenditure towards अनुदान (₹8.60 करोड़) और वेतन सहायता Grants-in-aid General (₹8.60 crore) and अनुदान (₹17.89 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने Grants-in-aid Salary (₹17.89 crore) के लिए। 26.49 26.49 under various schemes. (ख) संस्थान के निर्माण संबंधी कार्यकलापों को (b) For meeting expenditure towards पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर आयुर्वेद और Grants-in-aid General (₹0.98 crore) and होम्योपैथी संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत Grants for Creation of Capital Assets सामान्य सहायता अनुदान (₹0.98 करोड़) (₹2.50 crore) under the scheme the और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए scheme, North-Eastern Institute of अनुदान (₹2.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने Ayurveda & Homoeopathy, Shillong for के लिए। meeting the construction activities under the institute. 3.48 3.48 नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION 8. नागर विमानन मंत्रालय Ministry of Civil Aviation क्षेत्रीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन For meeting expenditure towards Grants for प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के Creation of Capital Assets (₹200 crore) to अनुदान (₹200 करोड़) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय Airport Authority of India under Regional उड़ान अकादमी को सामान्य सहायता अनुदान Connectivity Scheme and Grants-in-aid General (₹3.70 crore) to Indira Gandhi (₹3.70 करोड़) हेत् व्यय पुरा करने के लिए। Rashtriya Uran Akademi. 203.70 203.70

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) 'काजू निर्यात संवर्धन परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (ii) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य	 (a) For meeting additional expenditure under Establishment related Expenditure. (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹2 crore) under the scheme 'Cashew Export Promotion 	29.60		29.60
सहायता अनुदान (₹8.50 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और सब्सिडियां (₹21.14 करोड़) (iii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.29 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹39.71 करोड़) और सब्सिडियां (₹4 करोड़) (iv)	(₹8.50 crore), Grants-in-aid Salary (₹8			
'रबड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹21 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹50 करोड़) और (v) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य	Subsidies (₹4 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iv) Grants-in-aid General (₹21 crore), Grants for creation			
(४) नेसाला बांड स्वेजन के अराना सानान्य सहायता अनुदान (₹४ करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹७ करोड़) और सब्सिडियां (₹2 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	'Rubber Board' and (v) Grants-in-aid General (₹4 crore), Grants-in-aid Salary (₹7 crore) and Subsidies (₹2 crore)	172 (4		170 (4
(ग) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	under the scheme 'Spices Board'. (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme 'Tea Board'.	172.64		172.64
11. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade	10.00		10.00
(i) स्वायत्त संस्थानों सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹20.16 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹19.08 करोड़) तथा (ii) क्रेडिट गारंटी निधि स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (iii) वेतन सहायता अनुदान और (₹5.15 करोड़) और (iv) 'स्वायत्त निकायों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.78 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary (₹20.16 crore) and Grants-in-aid General (₹19.08 crore) under the scheme Support to Autonomous Institutions (ii)	58.16		58.16
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
14 उपभोक्ता मामले विभाग (i) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को वेतन (₹0.40 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹0.60 करोड़) तथा (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़)।	14 Department of Consumer Affairs For meeting expenditure towards (i) Salary (₹0.40 crore) and Administrative Expenses (₹0.60 crore) to Central Consumer Protection Authority and (ii) Grants-in-aid General to	6.00		6.00
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	States/UTs (₹5 crore). 15 Department of Food and Public Distribution	6.00		0.00
(क) 1. (i) 40 एलएमटी चीनी के बफर स्टॉक (₹100 करोड़), चीनी के बफर स्टॉक (₹100 करोड़), के सृजन और अनुरक्षण के लिए तथा (ii) 2019-20 मौसम के लिए चीनी मिलों (₹100 करोड़), और 2018-19 मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹1000 करोड़) और (iii) निर्यातों पर आंतरिक	(a) For 1. Subsidies (i) for creation and maintenance of buffer stock of 40 LMT sugar (₹100 crore), of buffer stock of sugar (₹100 crore) and (ii) for assistance to Sugar Mills for 2019-20 season (₹100 crore) and to Sugar Mills for 2018-2019 season (₹1000 crore) and			

अनुदानों की पूरक मांगें, 🗆	2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(xiii)
		<i>(क</i> र	ोड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परिवहन, भाड़ा, हेण्डलिंग और अन्य प्रभारों के लिए चीनी मिलों को व्यय चुकाने के लिए (₹50 करोड़) हेतु सब्सिडियां 2. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹4.85 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) के लिए।	(iii) to sugar mills for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on exports (₹50 crore) 2.Grants-in-aid General (₹4.85 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.30 crore) to Warehousing Development and Regulatory Authority.	1,355.15		1,355.15
(ख) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत प्रयोगशाला उपकरणों की अधिप्राप्ति।	(b) For procurement of laboratory equipment under Machinery and Equipment by National Sugar Institute, Kanpur.		1.00	1.00
(ग) जलहीन एल्कोहल अथवा एल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण।	(c) For loan to sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol.		75.00	75.00
का ऋणा	ethanoi nom alconoi.		73.00	73.00
संस्कृति मंत्रालय (क) (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹5 करोड़), कला संस्कृति विकास योजना (₹2 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत और राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार स्कीम के लिए पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास (₹14.35 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुवान, और (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुवान (₹0.10 करोड़)। (ख) कला संस्कृति विकास योजना (₹15 करोड़) और सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंघान प्रयोगशाला (₹1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF CULTURE 17 Ministry of Culture (a) For meeting additional expenditure in (i) Grants-in-aid General under the schemes Archaeological Survey of India (₹5 crore), Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹2 crore) and Development of Libraries & Archives for the scheme National Cultural Audiovisual Archives (₹14.35 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Archaeological Survey of India (₹0.10 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Major Works under the schemes Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹15 crore) and National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹1 crore).	21.45		21.45
रक्षा मंत्रालय 20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय सेना के लिए 'वायुयान और वायु इंजन' (₹1000 करोड़) और नौसेना के लिए नौसेना बेड़ा (₹1250 करोड़) के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE 20 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure on account of Aircraft and Aeroengines (₹1000 crore) for Army and Naval Fleet (₹ 1250 crore) for Navy.		2,250.00	2,250.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹2.71 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹4 करोड़)।	 Ministry of Development of North Eastern Region (a) For providing additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹2.71 crore) and Grants for Cration of Capital Assets (₹4 crore) for North Eastern Region Community Resource Management project under the scheme North Eastern 			
(ख) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	Council. (b) For providing additional allocation under the scheme Central Pool of Resources for North East and Sikkim.	6.71	55.93	6.7155.93

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड़ पूंजी राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES 23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 23 Ministry of Earth Sciences माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (शिमला) For providing additional expenditure के निर्णय के अनुपालनार्थ 'वायुमंडल और जलवायु towards Major Works under the scheme अनुसंधान-मॉडलिंग ऑब्जरविंग सिस्टम्स एंड Atmosphere & Climate Research-Modelling सर्विसेज' (एसीआरओएसएस) स्कीम के अंतर्गत Observing Systems & Services (ACROSS) मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के as per the decision of Hon'ble High Court लिए। of Himachal Pradesh (Shimla). 28.00 28.00 इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 24 इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 24 Ministry of Electronics and Information **Technology** (क) पूर्वीत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 'इलेक्ट्रोनिक (a) For meeting expenditure towards Grants-अभिशासन' (₹34.80 करोड़) और 'राष्ट्रीय in-Aid General in respect of "Electronic ज्ञान नेटवर्क' (₹75 करोड़) के संबंध में Governance" (₹34.80 crore) and सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने "National Knowledge Network" (₹75 के लिए। crore) for development of North Eastern Region. 109.80 109.80 (ख) अनुसूचित जाति घटक (₹10 करोड़) से (b) For meeting expenditure towards Grants-सम्मिलित 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता in-Aid General in respect of "Pradhan अभियान' (₹34.80 करोड़) के संबंध में सामान्य Mantri Gramin Digital Sakshrta सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। Abhiyan" (₹34.80 crore) comprising Scheduled Caste Component (₹10 crore). 34.80 34.80 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **MINISTRY** OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change (क) 1. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए (a) For meeting expenditure towards 1. पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान Grants for creation of capital assets (₹4.07 करोड़) 2. भारतीय वानिकी अनुसंधान (₹4.07 crore) for Indian Institute of और शिक्षा परिषद के लिए वेतन सहायता Forest Management 2. Grants-in-aid-अनुदान (₹92.76 करोड़), सामान्य सहायता Salaries (₹92.76 crore), Grants-in-aid-अनुदान (₹7.54 करोड़), पूंजीगत आस्तियों General (₹7.54 crore) and Grants for के सृजन के लिए अनुदान (₹32.62 करोड़) creation of capital assets (₹32.62 crore) 3. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और for Indian Council of Forestry Research प्रशिक्षण के लिए सामान्य सहायता अनुदान and Education 3. Grants-in-aid-General (₹1 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹0.40 (₹1 crore) and Grants-in-aid-Salaries करोड़) 4. (i) भारतीय वन्यजीव संस्थान (₹0.40 crore) for Indian Plywood (₹10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण Industries Research and Training प्राधिकरण (₹1.70 करोड़) (iii) वन्यजीव Institute 4. Grants-in-aid General for (i) पर्यावास विकास (₹5 करोड़) और (iv) ग्रीन Wildlife Institute of India (₹10 crore) इंडिया मिशन- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ii) National Tiger Conservation (₹2.51 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान Authority (₹1.70 crore) (iii) 5. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए Development of Wildlife Habitats (₹5 सामान्य सहायता अनुदान (₹2.25 करोड़) crore) and (iv) Green India Mission-और वेतन सहायता अनुदान (₹0.20 करोड़) National Afforestation Programme हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (₹2.51 crore) 5. Grants-in-aid-General (₹2.25 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹0.20 crore) for Central Zoo Authority. 160.05 160.05 (ख) (i) प्रदुषण रोकने के लिए सामान्य सहायता (b) For meeting expenditure towards (i) अनुदान (₹0.76 करोड़) और पूंजीगत Grants-in-aid-General (₹0.76 crore) and आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.74 Grants for creation of capital assets (₹0.74

crore) for Pollution Abatement and (ii)

करोड़) तथा (ii) पर्यावरणीय सूचना प्रणाली

	2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO		ड़ रुपए Rupees	s in Crore)
		राजस्व	पूंजी	,,,,, ठ,ठ, <i>ठ,</i> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ग) 1. (i) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (₹0.25 करोड़) (ii) सामान्य घटक (₹27 करोड़) और टीएसपी घटक (₹3 करोड़) के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (iii) ईएपी घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹60 करोड़) (iv) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (₹0.13 करोड़) (v) प्रदूषण नियंत्रण (₹39.57 करोड़) तथा (vi) जैव विविधता संरक्षण (₹6.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान 2. प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान 2. प्रदूषण रोकने के लिए अनुदान (₹9.56 करोड़) 3. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.50 करोड़) 4. केन्द्रीय प्रदूषण अनुदान (₹2.50 करोड़) 4. केन्द्रीय प्रदूषण	Grants-in-aid-General (₹0.50 crore) for Environmental Information System. (c) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid-General for (i) Hazardous Substance Management (₹0.25 crore) (ii) Environment Education, Awareness and Training' under general component (₹27 crore) and under TSP component (₹3 crore) (iii) National Coastal Mission under EAP component (₹60 crore) (iv) National Green Tribunal (₹0.13 crore) (v) Control Pollution (₹39.57 crore) and (vi) Biodiversity conservation (₹6.50 crore) 2. Grants-in-aid-General (₹1.73 crore) and Grants for creation of capital assets (₹9.56 crore) for Pollution Abatement 3. Grants for creation of	2.00		2.00
अनुदान (₹2.50 करोड़) 4. कन्द्राय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹19.49 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3 करोड़) 5. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹9 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) तथा 6. उत्कृष्टता केन्द्र के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹1.04 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	capital assets (₹2.50 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development 4. Grants-in-aid General (₹19.49 crore) and Grants for creation of capital assets (₹3 crore) for Central Pollution Control Board 5. Grants-in-aid General (₹9 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.50 crore) to National Biodiversity Authority and 6. Grants-in-aid Salaries (₹1.04 crore) for Centre of Excellence.	183.27		183.27
(घ) भारतीय वन सर्वेक्षण के लिए मुख्य कार्यों	(d) For meeting expenditure towards Major	183.27		183.27
हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ड) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Works for Forest Survey of India. (e) For meeting expenditure towards Major Works for National Museum of Natural History.		2.00	0.13 2.00
	Thistory.	•••	2.00	2.00
विदेश मंत्रालय 26 विदेश मंत्रालय (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) मालदीव सरकार को ऋण (₹0.45करोड़) भूटान-मंगदेचू पनबिजली परियोजना (₹44.63करोड़), भूटान-पुनतसांगछू-II पनबिजली परियोजना (₹106.19करोड़) और भूटान-अन्य परियोजनाएं (₹30.28करोड़)हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 26 Ministry of External Affairs (a) For meeting expenditure towards Grants- in-Aid Salary in respect of Indian Council for Cultural Relations. (b) For meeting expenditure towards Loans to Government of Maldives (₹0.45 crore), Bhutan - Mangedechhu Hydroelectric Project (₹44.63 crore), Bhutan - Punatsangchhu-II Hydroelectric Project ₹106.19 crore) and Bhutan - Other Projects (₹30.28 crore).	5.02		5.02 181.55
वित्त मंत्रालय 27 आर्थिक कार्य विभाग (क) जी-20 भारत अध्यक्षता 2022, सेवा की नई लिखत को व्यावसायिक सेवाएं (₹0.15 करोड़) और कार्यालय व्यय (आईटी) (₹30 करोड़)	MINISTRY OF FINANCE 27 Department of Economic Affairs (a) For meeting expenditure towards Professional Services (₹0.15 crore) and Office Expenses (IT) (₹0.30 crore) to			
हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	G-20 India Presidency 2022.	0.45		0.45
(ख) आईसीएचए, सेवा की नई लिखत हेतु भुगतान।	(b) For payment towards International Corruption Hunters Alliance (ICHA).	0.15		0.15

				राजस्व	ोड़ रुपए Ruped पूंजी	जोड़
अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
32.	(ग) सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए विशेष विंडो का सृजन। प्रत्यक्ष कर (क) भूमि की खरीद और तिरपुर, कोयम्बटूर में आयकर कार्यालय और स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए।	32	 (c) For creation of a special window for affordable and middle-income housing. Direct Taxes (a) For purchase of land and construction of Income Tax Office and staff quarters at Tirupur and Coimbatore. 		1,000.00	1,000.00
	(ख) आय कर भवन परिसर, नुंगमबक्कम, चेन्नई में आयकर विभाग के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए।		(b) For construction of residential quarter for Income Tax Department at Aaykar Bhawan Complex, Nungambakkam, Chennai.		27.16	27.16
33	अप्रत्यक्ष कर	33	Indirect Taxes	•••	27.10	27.10
	(क) (i) चंडीगढ़ में भूमि का अधिग्रहण (₹1.57 करोड़) (ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय का कार्यालय, लखनऊ के लिए भूमि का अधिग्रहण (₹25 करोड़) (iii) सीजीएसटी, उज्जैन के लिए भूमि का अधिग्रहण (₹10.68करोड़) (iv) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा स्वापक, अट्टापुर, हैदराबाद का निर्माण (₹12 करोड़) (v) जामनगर, गुजरात में कार्यालय भवन का निर्माण (₹3 करोड़) (vi) अगरतला, त्रिपुरा में कार्यालय भवन का निर्माण (₹3 करोड़) और (vii) सीजीएसटी, जोधपुर, राजस्थान के लिए परिसर की आयोजना तथा कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का अभिकल्प के लिए व्यापक परामर्शदात्री सेवा (₹1.02 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(a) For meeting additional expenditure for (i) acquisition of land at Chandigarh (₹1.57 crore) (ii) acquisition of land for office of Directorate General of Revenue Intelligence, Lucknow (₹25 crore) (iii) acquisition of land for CGST, Ujjain (₹10.68 crore) (iv) construction of Regional Trainining Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Attapur, Hyderabad (₹12 crore) (v) construction of office building at Jamnagar, Gujarat (₹5 crore) (vi) construction of office building at Agartala, Tripura (₹3 crore) and (vii) Comprehensive consultancy service for planning of campus and design of office-cum-residential campus for CGST,			
	(ख) द्वारका, दिल्ली (₹12 करोड़), अन्ना नगर, चेन्नई (₹15 करोड़) तथा खारगढ़, नवी मुंबई (₹10 करोड़) में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Jodhpur, Rajasthan (₹1.02 crore). (b) For meeting additional expenditure for construction of residential quarters at Dwarka, Delhi (₹12 crore), Anna Nagar, Chennai (₹15 crore) and Kharghar,		58.27	58.27
20	राज्यों को अंतरण	20	Navi Mumbai (₹10 crore). Transfers to States		37.00	37.00
30	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों को आपदा राहत के लिए अत्रिक्त आबटंन प्रदान करना।	30	For providing additional allocation for disaster relief to State Governments under National Disaster Relief Fund (NDRF).	10,000.00		10,000.00
मत्स	य पालन, पशु पालन और डेरी कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
40	मत्स्य पालन, पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	40	Department of Animal Husbandry and Dairying			
	(क) खुर एवं मुख रोग तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		(a) For meeting expenditure towards Advertisement & Publicity under the scheme National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease and Brucellosis.	0.10		0.10
	(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।		(b) For release of Grants-in-aid General under the scheme National Livestock Mission.	60.12		60.12
खाह	प्र प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MI	NISTRY OF FOOD PROCESSING	00.12		00.12
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए		INDUSTRIES Ministry of Food Processing Industries For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets to Indian Institute			
	अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		of Food Processing Technology, Thanjavur.	45.50		45.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 42 Department of Health and Family Welfare (क) सीजीएचएस पेंशन भोगियों के चिकित्सीय (a) For additional requirement of fund for उपचार हेत् निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता medical treatment of CGHS Pensioners के लिए (पीओआरबी)। (PORB). 1,136.10 1,136.10 (ख) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य (b) For meeting additional expenditure सहायता अनुदान (₹451.83 करोड़), पूंजीगत towards (i) Grants in aid General आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹451.83 crore), Grants for creation of (₹353.17 करोड़) (ii) वेतन सहायता अनुदान Capital Assets (₹353.17 crore) (ii) (₹641.54 करोड़) और (iii) निम्नलिखित Grants in aid Salaries (₹641.54 crore) स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों के अंतर्गत under various schemes and (iii) other व्यय की अन्य मदें : डॉ. आर.एम.एल. items of expenditure under following हस्पताल, नई दिल्ली - अन्य प्रभार - ₹23.58 schemes/programmes/Institutions/ करोड़ - होरमैक परियोजना प्रा. लि. के Organisations: Dr. RML Hospital, New विवाचन मामले में ब्याज के साथ पंचाट की Delhi - Other Charges - ₹23.58 crore -लागत पूरी करने (₹17.46 करोड़) तथा To meet cost of award with interest झुग्गी वासियों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए (₹17.46 crore) in the Arbitration Case डीयूएसआईबी को ₹6.12 करोड़ का भी in the matter of HOSMAC Project India भूगतान करने हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करने Pvt. Ltd. and also payment of ₹6.12 के लिए। crore to DUSIB for rehabilitation/ relocation of Jhuggi Dwellers. 1,470.12 1,470.12 (ग) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹56.84 (c) For meeting additional expenditure करोड़) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के towards (i) Grants in aid General लिए अनुदान, एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (₹56.84 crore) (ii) Grants for creation (₹1.17 करोड़) (iii) निम्नलिखित संस्थानों of Capital Assets NIHFW, New Delhi के तहत वेतन सहायता अनुदान - अंतरराष्ट्रीय (₹1.17 crore) (iii) Grants in aid Salaries जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई - (₹2.77 under the following Institutions करोड़) 2. एनआईएच एफडब्ल्यू, नई दिल्ली International Institute for Population (₹0.04 करोड़) (iv) निम्नलिखित स्कीमों/ Sciences, Mumbai – (₹2.77 crore) 2. कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों के संबंध में व्यय NIHFW, New Delhi (₹0.04 crore) (iv) की अन्य मदें : जनसंख्या स्थिरता कोष other items of expenditure in respect of (₹23 करोड़), संघ राज्य क्षेत्रों - बिना following schemes/programmes/ विधानमंडल को वित्तीय सहायता, जम्मू और Institutions/Organisations: Jansankhya कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना Sthirata Kosh (₹23 crore), Financial (₹1.39 करोड़) - अन्य प्रभार, व्यावसायिक Assistance to U.Ts. Without legislature सेवाओं के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. समर्थित राष्ट्रीय - Prime Minister's Development Plan पोलियो निगरानी परियोजना (₹29 करोड़) for J&K – (₹1.39 crore) - Other Charges, हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। WHO Supported National Polio Surveillance Project (₹29 crore) for 114.21 Professional Services. 114.21 (घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता (d) For additional towards Grants in aid अनुदान (₹241.37 करोड़), निम्नलिखित General (₹241.37 crore) under various संस्थानों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन schemes, Grants for creation of Capital के लिए अनुदान:- 1. एनईआईजी आरआई Assets under the following Institutions:-एचएमएस, शिलांग (₹207.43 करोड़) 2. 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹207.43 आरआईएमएस, इम्फाल (₹15.72 करोड़) 3. crore) 2. RIMS, Imphal (₹15.72 crore) 3. आरआईपीएएनएस, आइजोल (₹5.50 करोड़) RIPANS, Aizawl (₹5.50 crore) and Grants तथा निम्नलिखित संस्थानों के लिए वेतन in aid Salaries under the following सहायता अनुदान : 1. एनईआईजीआरआइ Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong 'एचएमएस, शिलांग (₹12 करोड़) 2. आरआई (₹12 crore). 2. RIMS, Imphal (₹9.66 crore). 491.68 491.68 एमएस, इम्फाल (₹9.66 करोड़) हेतू अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ङ) निम्नलिखित संस्थानों के तहत सामान्य (e) For meeting expenditure towards सहायता अनुदान 1. संचारी रोगों के लिए Grants-in-aid General under फ्लेक्सिबल पूल (ईएसी) (₹248.60 करोड़) Institutions: 1. Flexible Pool for

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड़ पूंजी राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** और 2. नेमी टीकाकरण, पल्स पोलियो Communicable Diseases (EAC) टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी (₹248.60 crore) and 2. RCH Flexible विकार नियंत्रण कार्यक्रम (ईएसी) (₹571.22 Pool including Routine Immunization करोड़) सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल Programme, Pulse Polio Immunization हेतु व्यय पूरा करने के लिए। Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (EAC) (₹571.22 crore) 819 82 819.82 (च) निम्नलिखित संस्थानों के तहत सामान्य (f) For additional expenditure towards सहायता अनुदानः 1. संचारी रोगों के लिए Grant in Aid General under the following फ्लेक्सिबल पूल (ईएसी) (₹0.92 करोड़) Institutions; - 1. Flexible Pool for और 2. नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित Communicable Diseases (EAC) (₹0.92 आरसीएच फ्लेक्सिबल पल, पल्स पोलियो crore) 2. RCH Flexible Pool including टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी Routine Immunisation Programme, विकार नियंत्रण (ईएसी) (₹1.41 करोड़) Pulse Polio Immunization Programme, और 3. जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री National Iodine Deficiency Disorders विकास योजना - (₹61.95 करोड़) हेत् Control EAC) (₹1.41 crore) and 3. Prime अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। Minister's Development Plan for J&K -(₹61.95 crore). 64.28 64.28 (छ) अन्य संविदात्मक सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत (g) For meeting additional requirement स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त under the Schemes/Programmes under आवश्यकता पूरी करने के लिए। the head Other Contractual Services. 608.00 608.00 (ज) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थानों आदि (h) For meeting additional capital के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पूरा करने expenditure of the following Schemes/ के लिए:- 1. औषधालयों/हस्पतालों की स्थापना Programmes/Institutions etc.:- 1. (₹5.13 करोड़), 2. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा Setting up of Dispensaries and / योजना - (₹163 करोड़) - एम.ई. 3. डॉ. Hospitals (₹5.13 crore) 2. Pradhan आर.एम.एल. हस्पताल, नई दिल्ली (₹29 Mantri Swasthya Suraksha Yojana-करोड़) 4. सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली (₹163 crore) 3. Dr. Ram Manohar (₹38 करोड़) 5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज Lohia Hospital, New Delhi (₹29 crore) एवं श्रीमती एस.के. हस्पताल, नई दिल्ली -4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹38 (₹28.23 करोड़), 6. सीआईपी, रांची (₹8 Crore) 5. Lady Hardinge Medical करोड़) मुख्य कार्यों के लिए, 7. डब्ल्यू.एच.ओ College & Smt. S.K. Hospital, New -एसईएआरओ भवन का पुनर्निर्माण (₹85 करोड़) Delhi - (₹28.23 crore 6. CIP, Ranchi (₹8 मुख्य कार्यों के लिए, 8. राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान, crore) 7. Reconstruction of WHO -बेंगलोर - (₹0.44 करोड़) मोटर वाहनों के SEARO Building, (₹85 crore) 8. लिए। 9. केन्द्रीय कृष्टरोग शिक्षण और अनुसंधान National TB Institute, Bengalore (₹0.44 संस्थान, चेंगलपट्टू - (₹0.05 करोड़) मोटर crore) 9. Central Leprosy Teaching and वाहन के लिए, 10. क्षेत्रीय कुष्ठरोग शिक्षण Research Institute, Chengalpattu (₹0.05 और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - (₹1.40 crore) 10. Regional Leprosy Training करोड़) 11. क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और and Research Institute, Raipur (₹1.40 अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - (₹0.10 करोड़) crore) 11. Regional Leprosy Training मुख्य कार्यों के लिए, 12. केन्द्रीय अनुसंधान and Research Institute, Gauripur (₹0.10 संस्थान, कसौली - (₹0.52 करोड़), 13. crore) for Major Works 12. Central पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण - (₹0.5 करोड़) Research Institute, Kasauli (₹0.52 crore) 14. एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना व 13. Port Health Authority (₹0.05 crore) सुद्रद्रीकरण तथा स्वास्थ्य पहलें - (₹8.71 14. Establishment and Strengthening of करोड़) और 15. कूलरों और अन्य मदों की NCDC Branches and Health Initiatives अधिप्राप्ति के लिए मशीनरी और उपस्कर के - (₹8.71 Crore) and 15 National AIDS अंतर्गत राष्ट्रीय एडस एवं एसटीडी नियंत्रण & STD Control Programme (₹72.02 कार्यक्रम - (₹72.02 करोड़)। crore) under Machinery & Equipment fro procurement of work in coolers &

Other items.

439.65

अनुदाना का पूरक माग,	019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	RGRANTS		(xix)
		(करो	ड़ रुपए Rupee:	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(झ) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थानों आदि के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए:- 1. सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली (₹10 करोड़) मुख्य कार्यों के लिए, 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्री एस.के. हस्पताल, नई दिल्ली - (₹1 करोड़) और 3. सीआईपी, रांची (₹10 करोड़)। 43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला, 2019 में भागीदारी हेतु भुगतान के लिए सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करने हेतु।	 (i) For meeting additional capital expenditure under the following Schemes/Programmes/ Institutions etc.:- 1. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹10 crore) 2. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi – (₹1 crore) and 3. CIP, Ranchi (₹10 crore). 43 Department of Health Research For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General for payment for participation in India International Science Fair, 2019 under the scheme International Cooperation. 	5.00	21.00	21.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND			
44. भारी उद्योग विभाग आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसार नेपा लि. को अपने कर्मचारियों के वेतन/सांविधिक देयताओं तथा अन्य सरकारी देयताओं का भुगतान करने के लिए जारी इक्विटी का ऋण में रूपान्तरण के लिए।	PUBLIC ENTERPRISES 44 Department of Heavy Industry For conversion of equity released to Nepa Limited for payment of salary/statutory dues and other govt. dues to its employees into loan as per CCEA decision.		38.26	38.26
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय (क) एन.आई-विदेशी यात्रा व्यय हेतु अन्य गैर- कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) प्राधिकरण। (ख) धार्मिक स्थानों; मंदिरों आदि के संरक्षण और अयोध्या के रखरखाव हेतु अन्य प्रभार।	 46 Ministry of Home Affairs (a) For Other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for National Integration. (b) For Other Charges for upkeep of Shrines, Temples etc. Protection and 	1.39		1.39
47. मंत्रिमंडल	upkeep of Ayodhya. 47 Cabinet	20.40		20.40
(i) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय हेतु सिनर्जी परियोजनाओं के लिए और (ii) साइबर सुरक्षा (आर एंड डी) व अन्य प्रभार (₹13.59 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों (₹10 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) for O/o Principal Scientific Adviser for Synergy Projects and (ii) Cyber Security (R&D) and Other Charges (₹13.59 crore).	23.59		23.59
48. पुलिस (क) महिला सहायता डैस्क सिहत मानव-तस्करी विरोधी एकक हेतु। एसआरई सिहत सामान्य सहायता अनुदान। (ख) महिला सहायता डैस्क सिहत मानव-तस्करी	 48 Police (a) For providing Grants-in-aid General to states towards Anti-Human Trafficking Unit including Women Help Desks. (b) For providing Grants-in-aid to UTs 	184.00		184.00
विरोधी एकक हेतु। एसआरई सहित सामान्य सहायता अनुदान। (ग) सीमा अवसंरचना प्रबंधन (₹398 करोड़) हेतु मुख्य कार्य और कार्यालय परिसर (₹6.77 करोड़)	towards Anti-Human Trafficking Unit including Women Help Desks. (c) For meeting expenditure towards Major Works for Border Infrastructure Management	5.00		5.00
की दिल्ली पुलिस के तहत महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया निधि) हेतु व्यय पूरा करने हेतु।	(₹398 crore) and for Safety of Women under Delhi Police (Nirbhaya Fund Scheme) Office Building (₹6.77 crore). 49 Andaman and Nicobar Islands		404.77	404.77
(क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹8.40 करोड़) और आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाई (₹9.60 करोड़) के तहत स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting establishment related expenditure under National Vector Borne Disease Control Programme (₹8.40 crore) and Ayushman Bharat -			
ι 3	PMJAY (₹9.60 crore).	18.00		18.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** (ख) क्षतिपर्ति वनीकरण, आवाह क्षेत्र उपचार (b) For meeting expenditure under योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना Compensatory Afforestation, Catchment आदि हेत् व्यय पूरा करने के लिए। Area Treatment Plan, Integrated Wild Life Management Plan etc. 3.24 3.24 (ग) अंडमान और निकोबार नवाचार स्टार्ट अप (c) For meeting expenditure Andaman & नीति-2018 के व्यय को पुरा करने हेतू। Nicobar innovation Start-up Policy 2018. 1.00 1.00 (घ) पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार के (d) For meeting additional expenditure संबंध में विवाचन पंचाट के लिए अतिरिक्त towards Arbitration Awards in respect व्यय पुरा करने हेत्। of Extension of Runway at Port Blair Airport. 12.18 12.18 51. दादरा और नगर हवेली 51 Dadra and Nagar Haveli (क) उर्वरक की खरीद हेतु किसानों को सब्सिडियां (a) For meeting additional requirement to देने हेत् अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के provide subsidies to farmers for purchase of Fertilizer. 0.06 0.06 (ख) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान गिर गायों की providing subsidies खरीद हेत् लाभार्थियों को सब्सिडियां प्रदान beneficiaries for purchase of Gir Cows करने हेतू। during 2019-20. 0.12 0.12 53. लक्षद्वीप 53 Lakshadweep आंगनवाड़ी स्टाफ से संबंधित स्थापना संबंधी व्यय For meeting establishment related expenditure हेतु। pertaining to Anganwadi staff. 1.95 1.95 MINISTRY OF HOUSING AND URBAN आवास और शहरी कार्य मंत्रालय **AFFAIRS** 56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 56 Ministry of Housing and Urban Affairs (क) (i) आरईआरए से एनसीटी दिल्ली की (a) For meeting expenditure (i) Grants-in-आवश्यकता (₹7.50 करोड़) को पूरा करने aid General and Grants for Creation of हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य Capital Assets to meet requirement of सहायता अनुदान और (ii) प्रधानमंत्री आवास RERA to NCT of Delhi (₹7.50 crore) योजना के तहत प्रकाश स्तंभ परियोजना and (ii) Grants-in-aid General under (एलएचपी) और नमूना आवासन परियोजना PMAY(U) for Light House Project (डीएचपी) हेत् (₹95 करोड़) सामान्य सहायता (LHP) and Demonstration Housing अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेत्। Projects (DHP) (₹95 crore). 102.50 102.50 (ख) शहरी और पर्यावरणीय अध्ययन क्षेत्रीय केन्द्र (b) For meeting expenditure towards नगर पालिका, लखनऊ के कर्मचारियों Grants-in-aid General and Grants-in-aid (आरसीईयुएस) हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्कीम Salaries for the scheme of Training के लिए (₹1.91 करोड़) सामान्य सहायता Cenre for Municipal Employees of अनुदान और वेतन सहायता अनुदान और Regional Centre for Urban and (ii) सुल्तानपुर लोधी (₹5 करोड़) के विकास Environment Studies (RCEUS), हेतु 100 स्मार्ट शहर मिशन स्कीम के तहत Lucknow (₹1.91 crore) (ii) Grants-in-सामान्य सहायता अनुदान, पूंजीगत आस्तियों aid General, Grants for creation of के सृजन हेत् अनुदान के लिए व्यय पूरा capital assets under the scheme of 100 करने के लिए। Smart Cities Mission, for development 6.91 6.91 of Sultanpur Lodhi (₹5 crore). (ग) (i) सीएएए का माध्यम से आने वाले (c) For meeting expenditure for (i) General जेआईसीए द्वारा दिए गए ईएपी हेत् सामान्य Pool Accomodation for EAP granted by पूल के तहत आवास व्यवस्था (₹145 करोड़), JICA coming through CAAA.(₹145 (ii) मुख्य कार्य (₹200 करोड़) के तहत crore), (ii) ongoing project of Supreme सर्वोच्च न्यायालय की जारी परियोजना और Court under Major Work (₹200 crore) (iii) संसद भवन केन्द्रीय विस्टा और अन्य and (iii) development/re-development संबंधित भवनों का विकास/पुनर्विकास हेत् of Parliament building, new work of व्यय को पूरा करने के लिए (₹333 करोड़)। Central Vista and other connected buildings (₹333 crore). 678.00 678.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue (घ) अधिशेष भूमि की रजिस्ट्री, डी-मर्जर के आदेश (d) For meeting expenditure towards पर स्टाम्प डयूटी, एचपीआईएल और अन्य registry of surplus land, stamp duty on संयोगात्मक खर्चों आदि हेतु व्यय पूरा करने the order of De-merger, listing of securities of HPIL and other oincidental 700.00 700.00 expenses etc (ङ) एचपीआईएल की प्रतिभूतियां अधिसूचित करने (e) For providing Loans to M/s HPIL हेत् मैसर्स एचपीआईएल के लिए ऋण और towards listing of securities of HPIL. 51.00 51.00 अग्रिम के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 57 Department of School Education and Literacy (क) (i) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (a) For meeting expenditure towards (₹397.34 करोड़), केन्द्रीय विद्यालय संगठन Grants-in-aid General for the schemes (केवीएस) (₹2480.36 करोड़), राष्ट्रीय Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹397.34 crore), Kendriya Vidyalaye (एनसीईआरटी) (₹160.24 करोड़), केन्द्रीय Sangatham (KVS) (₹2480.36 crore), तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) (₹30.50 National Council of Educational करोड़), समग्र शिक्षा (₹14 करोड़) और राष्ट्रीय Research and Training (NCERT) बाल भवन (₹0.39 करोड़) स्कीमों हेत् सामान्य (₹160.24 crore), Central Tibetan सहायता अनुदान (ii) एनवीएस (₹574.48 Schools Administration (CTSA) करोड़), के केवीएस (₹820.44 करोड़), (₹30.50 crore), Samagra Shiksha (₹14 एनसीईआरटी (₹43.58 करोड़) और समग्र crore) and National Bal Bhawan (₹0.39 शिक्षा (₹4 करोड़) स्कीमों के तहत पूंजीगत crore) (ii) Grants for Creation of Capital आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (iii) एनवीएस Assets under the schemes NVS (₹931.80 करोड़), केवीएस (₹1161.52 (₹574.48 crore), KVS (₹820.44 crore), करोड़) और सीटीएसए (₹0.76 करोड़) स्कीमों NCERT (₹43.58 crore) and Samagra के तहत वेतन सहायता अनुदान और (iv) Shiksha ₹(₹4 crore) (iii) Grants-in-Aid राष्ट्रीय मीन्स सह मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम Salary under the schemes NVS (₹96.80 करोड़) के तहत छात्रवृत्ति/वृतिका (₹931.80 crore), KVS (₹1161.52 crore) हेत् व्यय पुरा करने के लिए। and CTSA (₹0.76 crore) and (iv) Scholarships/Stipend under the scheme National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹96.80 crore). 6,716.21 6716.21 (ख) एनवीएस (₹44 करोड़) और केवीएस (₹276 (b) For meeting additional expenditure करोड़) स्कीमों के तहत सामान्य सहायता towards Grants-in-Aid General under अनुदान (ii) एनवीएस (₹64 करोड़) और Schemes NVS (₹44 crore) and KVS केवीएस (₹92 करोड़) स्कीमों के तहत (₹276 crore) (ii) Grants for Creation of पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान Capital Assets under the Schemes of और (iii) एनवीएस (₹104 करोड़) और NVS (₹64 crore) and KVS (₹92 crore) केवीएस (₹130 करोड़) स्कीमों के तहत (iii) Grants-in-Aid Salary under the वेतन सहायता अनुदान। schemes NVS (₹104 crore) and KVS (₹130 crore). 710.00 710.00 (ग) समग्र शिक्षा (₹1330करोड़) और मदरसों/ (c) For meeting additional expenditure अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण योजना towards Grants-in-Aid General under (₹200 करोड़) स्कीमों के तहत सामान्य the Schemes Samagra Shiksha (₹1330 सहायता अन्दान और (ii) मदरसों/ crore) and Education Scheme for अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण योजना Madrassas/Minorities (₹200 crore) and (₹20 करोड़) स्कीमों के तहत पूंजीगत (ii) Grants for Creation of Capital Assets आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए under the schemes Education Scheme अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। for Madrassas/Minorities (₹20 crore). 1,550.00 1,550.00 (घ) समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सामान्य (d) For meeting expenditure towards सहायता अनुदान (₹30 करोड़) तथा पूंजीगत Grants-in-aid General (₹30 crore) and आस्तियों (₹50 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान Grants for Creation of Capital Assets के लिए व्यय को पुरा करने के लिए। (₹50 crore) under the scheme Samagra Shiksha. 80.00 80.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड़ पूंजी राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** 58. उच्चतर शिक्षा विभाग 58 Department of Higher Education (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹791.88 (a) For meeting expenditure towards (i) करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् Grants-in-aid General (₹791.88 crore), अनुदान (₹85 करोड़) तथा विभिन्न योजनाओं Grants for creation of capital assets (₹85 के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹1020 crore) and Grants-in-aid Salaries करोड़) (ii) भारत में अध्ययन हेतु योजना (₹1020 crore) under the various (₹7.39 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक schemes (ii) 'Professional Services' सेवाएं) (iii) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय under the scheme Study in India (₹7.39 के छात्रों हेत् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत crore) (iii) 'Scholarship/ Stipends' छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹25 करोड़) (iv) वैश्विक under the scheme Scholarship for संपर्क (₹5 करोड़) हेत् पहल योजना के College & University Students (₹25 crore) and (iv) 'Other Administrative अंतर्गत अन्य 'प्रशासनिक व्यय' के व्यय को पूरा करने हेत्। Expenses' under the scheme Initiatives 1,934.27 1934.27 for global engagement (₹5 crore). (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹454.45 (b) For meeting additional expenditure करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु towards (i) Grants-in-aid General अनुदान (₹460.07 करोड़) तथा विभिन्न (₹454.45 crore), Grants for Creation of योजनाओं के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान Capital Assets (₹460.07 crore) and (₹42 करोड़) (ii) टीईक्युआईपी के योजना Grants-in-Aid Salaries (₹42 crore) (₹10 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं under various schemes and (ii) के व्यय को पूरा करने के लिए। Professional Services under the scheme TEQIP (₹10 crore). 966.52 966.52 (ग) (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹150 करोड़) और (c) For meeting additional expenditure विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹50 towards (i) Grants-in-aid General under करोड़) को सहायता हेत् योजनाओं के अंतर्गत the schemes Central Universities (₹150 सामान्य सहायता अनुदान (ii) एसएलआईईटी, crore) and Support to University Grants एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफसी रांची, Commission (UGC) (₹50 Crore) (ii) सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थाओं Grants for creation of capital assets को सहायता योजनाओं के अंतर्गत पुंजीगत under the scheme Assistance to other आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹20 करोड़) institutes including SLIET, NERIST, (iii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों योजनाओं (₹250 NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹20 करोड़) के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under तथा एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, the schemes Central Universities (₹250 एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार crore) and Assistance to other institutes (₹४ करोड़) सहित अन्य संस्थाओं को सहायता including SLIET, NERIST, NIFFT के व्यय को पूरा करने के लिए। Ranchi, CIT Kokrajhar (₹4 crore). 474.00 474.00 जल शक्ति मंत्रालय MINISTRY OF JAL SHAKTI Department of Water Resources, River 60. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग **Development and Ganga Rejuvenation** 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय जल For meeting expenditure towards 1. Grants-मिशन (₹1.40 करोड़) (ii) नाबार्ड ऋण (₹126.61 in-aid General (i) to National Water Mission करोड़) पर व्याज अदायगी (iii) राष्ट्रीय जल विकास (₹1.40 crore) (ii) interest payment on एजेंसी को प्रबंधन (₹6.40 करोड़) (iv) राष्ट्रीय NABARD loan (₹126.61 crore) and (iii) for जल विज्ञान संस्थान (₹9.10 करोड़) तथा 2. River Basin Management (₹6.40 crore) to राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (₹2.50 करोड़) को National Water Development Agency (iii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के व्यय National Institute of Hydrology (₹9.10 को पूरा करने के लिए। crore) and 2. Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Hydrology 146 01 146.01 (₹2.50 crore). 61. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 61 Department of Drinking Water and Sanitation (क) (i) नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (₹69 (a) For providing (i) Grants-in-aid General करोड़) हेत् सामान्य सहायता अनुदान (ii) for newly created Union Territory of

Ladakh (₹69 crore) and (ii) Grants for

जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण

			(करो	ड़ रुपए Rupe	es in Crore,
अनुदान	संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(સ	पेयजल कार्यक्रम) (₹51.45 करोड़) के अंतर्गत राख्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र के लिए राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणता केन्द्र को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। ब) जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत नवनिर्मित जम्मू	creation of capital assets for Rashtriya Swachhta Kendra to National Centre for Drinking Water, Sanitation & Quality under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme) (₹51.45 crore). (b) For providing Grants-in-aid General to Union Territory of Jammu and Kashmin	120.45		120.45
	और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme).			143.00
श्रम औ	र रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT	1		
(व	म और रोजगार मंत्रालय (३) (i) 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' योजना के अंतर्गत (₹4 करोड़) का अंशदान (ii) 'कर्मचारी पेंशन योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (₹450 करोड़) तथा अंशदान (₹540.36 करोड़) एवं (iii) 'केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड' योजना के अंतर्गत (₹31.30 करोड़) वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (३) अंशदान (₹444.64 करोड़) तथा 'कर्मचारी पेंशन योजना' के अंतर्गत (₹50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (ii) 'केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड' योजना के अंतर्गत (₹3.70 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान तथा 'राष्ट्रीय करियर सेवाएं' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा 'राष्ट्रीय करियर सेवाएं' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हितु व्यय को पूरा करने के लिए। (१) राष्ट्रीय करियर सेवाएं योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	 Ministry of Labour and Employment (a) For meeting expenditure towards (i) Contribution (₹4 crore) under the scheme 'International Cooperation' (ii) Contribution (₹540.36 crore) and Grant-in-aid General (₹450 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme' and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹31.30 crore) under the Scheme 'Central Board for Workers Education'. (b) For meeting expenditure towards Contribution (₹444.64 crore) and Grant-in-aid General under the scheme 'Employees Pension Scheme' (₹50 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries (₹3.70 crore) under the scheme 'Central Board for Workers Education' and (iii) Grant-in-aid General (₹1.68 crore) under the scheme 'National Career Services'. (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Career Services. 	1,025.66		1,025.66 500.02
68. अ अन् के अन	व्यक कार्य मंत्रालय ल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नुसंधान/अध्ययन, योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन लिए वेतन सहायता अनुदान (₹4.80 करोड़) तथा य प्रशासनिक शीर्ष (₹0.20 करोड़) हेतु व्यय को ा करने के लिए।	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 68 Ministry of Minority Affairs For meeting expenditure towards Grants-inaid Salaries (₹4.80 crore) and Other Administrative head (₹0.20 crore) for Research/Studies, Monitoring and Evaluation of schemes.			5.00
नवीन ए	वं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
सी उप उप के क	शिन एवं नवीकरणीय फर्जा मंत्रालय र रुर्जा (ऑफ ग्रिंड) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वयोजना (₹3 करोड़) तथा अनुसूचित जाति वयोजना (₹72 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों सृजन हेतु अनुदान तथा (ii) पवन रुर्जा (ग्रिंड) अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना (₹118 रोड़) तथा अनुसूचित जाति उपयोजना (₹56 रोड़) के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करने के लिए।	For providing (i) Grants for creation of capital assets for Scheduled Tribe Sub-Plan (₹3 crore) and Scheduled Caste Sub-Plan (₹72 crore) under Solar Power (Off-Grid) and (ii) Subsidy under Scheduled Tribe Sub-Plan (₹118 crore) and Scheduled Castes Sub-Plan (₹56 crore) under Wind Power (Grid)			249.00

			गेड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
71 संसदीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	71 Ministry of Parliamentary Affairs For meeting additional expenditure under Information Technology for implementation of National eVidhan Application.	1.00		1.00
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
72 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	GRIEVANCES AND PENSIONS 72 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
(क) मोटर वाहन एवं प्रमुख कार्यों के अंतर्गत सीबीआई के लिए।	(a) For CBI under Motor Vehicles and Major Works.		6.35	6.35
(ख) प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कैट एवं एलबीएसएनएए के लिए।	(b) For CAT and LBSNAA under Major Works.		14.97	14.97
रेल मंत्रालय 82 रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
मध्य रेल के जिरए ₹336.79 करोड़ की लागत से सात (7) मंडलों पर केंद्रीकृत ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली तथा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से 'सिग्नल एवं टेलीकम्यूनिकेशन कार्य' शीर्ष के अंतर्गत पूर्वी रेल के जिरए ₹290.57 करोड़ लागत से पांच (5) मंडलों में व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on Centralized Traffic Control system on seven (7) Divisions costing ₹336.79 crore through Central Railway and in five (5) Divisions costing ₹290.57 crore through Eastern Railway under the head 'Signalling and Telecommunication Works' from Rashtriya Rail Sanraksha Kosh.		627.36	627.36
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
83. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 83 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) उत्तर पूर्व क्षेत्र में रोड विंग के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग आधारभूत कार्य - जनजाति	(a) For meeting additional expenditure towards Major Works for Road Wing in North East Region.(b) For meeting expenditure towards Major		1,600.00	1,600.00
क्षेत्र उपयोजना हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Works for National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan.		380.00	380.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84 ग्रामीण विकास विभाग (क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत लोक वित्त	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development (a) For Public Financial Management			
प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)-कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के लिए।	System (PFMS) – Programme Management Unit (PMU) under professional services.	0.01		0.01
(ख) (i) एससी प्रशासनिक लागत तथा (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई- ग्रामीण) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के	(b) For providing Grant-in-aid General for (i) Scheduled Caste Administration Cost and (ii) interest subsidy under the scheme Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramin			
लिए। (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को ब्याज आर्थिक सहायता के लिए अन्य	(PMAY-Gramin) (c) For providing Other Charges for interest Subvention to Women Self Help Group (WSHGs) under National Rural	335.53		335.53
प्रभार प्रदान करने के लिए।	Livelihood Mission	4.40		4.40

		(करो	ड़ रुपए Rupee:	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति प्रशासन लागत के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए। (ङ) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत अन्य प्रभारों - प्रशासनिक लागत के लिए	 (d) For Grant-in-aid General for Scheduled Tribe Administration Cost unde Pradhan Mantri Aawas Yojana – Gramii (PMAY-G). (e) For Grant-in-aid General for other charge Administration Cost under Pradhan 	2.55		2.55
सामान्य सहायता अनुदान के लिए। (च) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को निध जारी करने के लिए।	Mantri Aawas Yojana – Gramin. (f) For releasing fund to Union Territory of Jammu and Kashmir under Nationa Rural Livelihood Mission.			17.19
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE ANI		•••	0.01
86 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (i) भारतीय सर्वेक्षण के लिए मोटर वाहन, मशीनरी और उपस्कर तथा मुख्य कार्यों के अंतर्गत क्रमशः ₹1 करोड़, ₹1.50 करोड़ और ₹2 करोड़ तथा (iii) डिजीटल मानचित्रण प्रणाली (एनएटीएमओ) के लिए 'मशीनरी और उपस्कर' के अंतर्गत ₹1.50 करोड़ का व्यय पूरा करने के लिए।	TECHNOLOGY 86 Department of Science and Technology For meeting expenditure of (i)₹1 crore, ₹1.50 crore and ₹2 crore under Motor Vehicle Machinery and Equipment and Major work respectively for Survey of India and (ii) ₹1.50 crore under 'Machinery and Equipment' for Digital Mapping System (NATMO).	, S	6.00	6.00
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
 श्रिणं परिवहन मंत्रालय (क) 'अंतर्दशीय जल परिवहन' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु। (ख) (i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (₹9.75 करोड़) (ii) आयकर देनदारियां (₹53.86 करोड़) तथा हुगली गोदी एवं पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड को सामान्य कानूनी देनदारियां (₹9.41 करोड़) को (₹73.02 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए। 	 Ministry of Shipping (a) For Grants for creation of Capital Asset under the scheme 'Inland Water Transpor (b) For Grants-in-aid General for (i implementation of Voluntary Retiremen Scheme (₹9.75 crore) (ii) Income Tax Liability (₹53.86 crore) and (iii) Genera Statutory Liabilities (₹9.41 crore) to Hooghly Dock & Port Engineers Limited 	? 8.15 b t		8.15
(ग) (i) सागरमाला परियोजना के लिए ''व्यावसायिक सेवाएं' (₹12.57 करोड़) तथा	(₹73.02 crore).(c) For meeting expenditure towards (i 'Professional Services' for Sagarmala	146.04		146.04
(ii) लघु पत्तनों के लिए लघु कार्यों (₹9.45 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (घ) महानिदेशालय (पोत परिवहन) के लिए लघु कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Project (₹12.57 crore) and (ii) 'Minor Works' for Minor Ports (₹9.45 crore). (d) For meeting expenditure towards 'Minor Works' for Directorate Genera	22.02		22.02
(ड) 'बांग्लादेश को सहायता' योजना के अंतर्गत	(Shipping).(e) For providing Grants-in-aid Genera	1.00	•••	1.00
सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	under the scheme 'Aid to Bangladesh			0.01
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP	1		
90. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	90 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	I		
(क) (i) 'संस्थागत प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण' योजना के अंतर्गत डीटीई (₹0.85 करोड़) तथा ओएई (₹1.30 करोड़) एवं 'कौशल विकास' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹246 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i DTE (₹0.85 crore) and OAE (₹1.30 crore) under the scheme 'Strengthening of Infrastructure for Institutiona Training and (ii) Grants-in-aid Genera (₹246 crore) under the scheme 'Development of Skills'.) ; !		248.15
(ख) 'कौशल विकास' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme 'Development of Skills'.	3		0.44

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** (ग) 'कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण' योजना (c) For meeting expenditure towards Motor के अंतर्गत मोटर वाहन (₹0.02 करोड़) तथा Vehicle (₹0.02 crore) and Machinery & मशीनरी एवं उपकरण (₹0.20 करोड़) हेत् Equipment (₹0.20 crore) under the scheme व्यय पूरा करने के लिए। 'Strengthening of Skill Institutions'. 0.22 0.22 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND **EMPOWERMENT** 91. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 91 Department of Social Justice And **Empowerment** (क) (i) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹10 करोड़), (a) For meeting additional expenditure एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (₹100 towards (i) Grants in aid General under करोड़), एससी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति Post Matric Scholarships (₹10 crore), (₹10 करोड़), डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल National Fellowship for SCs (₹100 (₹5 करोड़), पिछड़े वर्ग के लिए स्वैच्छिक crore), Pre Matric Scholarships for संगठनों को सहायता (₹20 करोड़), ओबीसी SCs(₹10 crore), Dr. Ambedkar National एवं ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (₹50 Memorial (₹5 crore), Assistance to करोड़) एवं गैर अधिसूचित घुमंतू एवं अर्ध Voluntary Organisations for Backward घुमंत् समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण Classes (₹20 crore), National बोर्ड (₹1 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम Fellowship for OBCs and EBCs (₹50 योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.20 करोड़) crore) and Development and Welfare (iii) एससी के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के Board for Denotified, Nomadic and अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹33 करोड़) (iv) Semi-Nomadic Communities(₹1 crore) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के (ii) Other Charges under Pradhan अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए Mantri Adarsh Gram Yojana (₹0.20 अनुदान (₹50 करोड़) बाल और बालिका crore) (iii) Scholarship/Stipend under विद्यालय (₹20 करोड़) (v) राष्ट्रीय अनसचित Top Class Education for SCs (₹33 जनजाति आयोग के अंतर्गत विदेशी यात्रा crore) (iv) Grants for Creation of व्यय (₹0.50 करोड़) तथा राष्ट्रीय सफाई Capital Assets under Babu Jagjivan कर्मचारी आयोग (₹0.50 करोड़) (vi) गैर-Ram Chhatrawas Yojna (₹50 crore), अधिसूचित, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों Boys and Girls Hostel (₹20 crore) (v) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के अंतर्गत Foreign Travel Expenses under वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) हेतु National Commission for Scheduled अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। Castes (₹0.50 crore) and National Commission for Safai Karamcharis (₹0.50 crore) (vi) Grants in aid Salaries under Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Communities (₹2 crore). 302.20 302.20 (ख) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्रवाई योजना (₹20 (b) For meeting additional expenditure करोड़), एल्कोहल एवं अन्य मादक (नशीली towards Grants in aid General under दवाईयों) पदार्थ निषेध (₹20 करोड़), राष्ट्रीय National Action Plan for Senior दवाई मांग कमी कार्रवाई योजना (₹20 Citizens(₹20 crore), Prevention of करोड़), वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के लिए Alcoholism and Substance (Drugs) स्वैच्छिक संगठन को सहायता (₹20 करोड़) Abuse (₹20 crore), National Action Plan के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा for Drug Demand Reduction (₹20 अनुसंधान अध्ययन एवं अनुसंधान प्रकाशन crore), Assistance to Voluntary (₹10 करोड़) के लिए सहायता अनुदान हेत् Organisations for Programmes Relating अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। to Aged (₹20 crore) and Grants in aid for Research Studies and Research 90.00 Publications (₹10 crore). 90.00 (ग) राष्ट्रीय नशीली दवाई मांग कमी कार्रवाई (c) For meeting additional expenditure योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनदान towards Grants in aid General under हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। National Action Plan for Drug Demand

Reduction.

10.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्त अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue Total (घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एससी (d) For meeting additional expenditure के लिए उद्यम पूंजी निधि (₹100 करोड़) towards Investments under Venture एससी (आईएफसी के जरिए) (₹50 करोड़) Capital Fund for SCs to Industrial के लिए क्रेडिट गारंटी योजना तथा ओबीसी Finance Corporation of India (₹100 के लिए उद्यम पूंजी निधि (₹44 करोड़) के crore), Credit Guarantee Fund for SCs अंतर्गत निवेश हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने (Through IFC) (₹50 crore) and Venture के लिए। Capital Fund for OBCs (₹44 crore). 194.00 194.00 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 93 अंतरिक्ष विभाग 93 Department of Space (क) (i) नई परियोजनाएं अर्थात चंद्रयान-॥। (₹15 (a) For meeting expenditure towards (i) करोड़), जीसैट 12 आर (₹23.44 करोड़) new Projects viz. Chandrayaan-III (₹15 एवं जीसैट 20/24 लांच सेवाएं (₹2.25 crore), GSAT 12R (₹23.44 crore) & करोड़) (ii) अर्द्ध चालक प्रयोगशाला GSAT 20/24 Launch services (₹2.25 (₹144.72 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान crore) (ii) Grant-in-aid General and एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹6 करोड़) भौतिक Grants for creation of capital assets of अनुसंधान प्रयोगशाला (₹22.30 करोड़) तथा Semi - Conductor Laboratory (₹144.72 राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला crore), Indian Institute of Space Science (₹3 करोड़) तथा (iii) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान & Technology (₹6 crore), Physical एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹22 करोड़), उत्तर Research Laboratory (₹22.30 crore) and पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (₹3.75 करोड़), National Atmospheric Research भौतिक अनुसंधान (₹47.41 करोड़) एवं Laboratory (₹3 crore)and (iii) Grants for राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला creation of capital assets of Indian (₹7.50 करोड़) के पूंजीगत आस्तियों के Institute of Space Science & सृजन के लिए अनुदान हेत् व्यय पूरा करने Technology (₹22 crore), North Eastern के लिए। Space Application Centre (₹3.75 crore), Physical Research Laboratory (₹47.41 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹7.50 crore). 297.37 297.37 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 94. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 94 Ministry of Statistics and Programme **Implementation** (i) विश्व बैंक द्वारा ''राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली For meeting expenditure towards (i) Capacity की गुणवत्ता में सुधार'' की विदेशी सहायता प्राप्त Development Scheme for Externally Aided परियोजना के लिए क्षमता विकास योजना (₹0.52 Project of "Improvement of Quality of करोड़) (ii) 7वीं आर्थिक जनगणना एवं राष्ट्रीय National Statistical System" by World Bank एकीकृत सुचना पोर्टल (₹657.91 करोड़) की (₹0.52 crore) (ii) 7th Economic census and स्थापना एवं (iii) सामान्य सहायता अनुदान setting up of a National Integrated (₹10.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन Information Portal (₹657.91 crore). & (iii) (₹9.60 करोड़) तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, Grant-in-aid General (₹10.50 crore), Creation कोलकाता के जीआईए-वेतन (₹44.10 करोड़) of Capital Assets (₹9.60 crore) and GIA-हेत् व्यय को पूरा करने के लिए Salaries (₹44.10 crore) of Indian Statistical Institute, Kolkata. 722.63 722.63 MINISTRY OF TEXTILES कपडा मंत्रालय 96. कपड़ा मंत्रालय 96 Ministry of Textiles (क) (i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' (a) For meeting expenditure towards (i) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के Grants for Creation of Capital Assets सृजन हेत् अनुदान (₹3 करोड़) तथा सामान्य (₹3 crore) and Grants-in-aid General सहायता अनुदान (₹6.53 करोड़) (ii) राष्ट्रीय (₹6.53 crore) under the scheme फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, (₹10 करोड़), 'National Handloom Development पूर्वोत्तर में कृषि वस्त्रों के संवर्धन के लिए Programme', (ii) Grants for Creation of

Capital Assets under the schemes

योजना (₹6 करोड़) तथा "पूर्वोत्तर में भू

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** वस्त्रों का उपयोग" (₹10 करोड़) नामक 'National Institute of Fashion योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के Technology' (₹10 crore), Scheme for सृजन हेतु अनुदान (iii) 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड' Promoting Agro Textiles in North East' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹6 crore) and Usage of Geotextiles in (₹3.99 करोड़) तथा सामान्य सहायता North East' (₹10 crore) (iii) Grants-in-अनुदान (₹25 करोड़) हेत् व्यय पूरा करने aid Salaries (₹3.99 crore) and Grants-के लिए। in-aid General (₹25 crore) under the 64.52 64.52 scheme 'Central Silk Board'. (ख) (i) अन्य हथकरघा योजनाएं, स्कीम के अंतर्गत (b) For meeting expenditure towards (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.15 करोड़) Grants-in-aid General (₹0.15 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.85 crore) तथा वेतन सहायता अनुदान (0.85 करोड़) (ii) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' under the scheme 'Other Handloom योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान Schemes', (ii) Grants-in-aid General (₹39.89 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों (₹39.89 crore) and Grants for Creation के सृजन हेतु अनुदान (₹15.50 करोड़) of Capital Assets (₹15.50 crore) under (iii) 'अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' the scheme 'National Handloom के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹3 Development Programme', (iii) Grants-करोड़) (iv) 'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी in-aid General (₹3 crore) under the विकास' (₹3 करोड़), 'हस्तशिल्प वृहत समूह scheme 'Ambedkar Hastshilp Vikas विकास कार्यक्रम-हस्तशिल्प वृहत समृह' Yojna', (iv) Grants for creation of Capital (₹2.57 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत Assets under the scheme 'Infrastructure आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (v) विपणन and Technology Development' (₹3 सहायता एवं सेवाएं 'योजना के अंतर्गत सामान्य crore), 'Handicraft Mega Cluster सहायता अनुदान (₹8 करोड़) (vi) 'केन्द्रीय Development Programme (₹2.57 crore) रेशम बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य (v) Grants-in-aid General (₹8 crore) सहायता अनुदान (₹151.53 करोड़), पूंजीगत under the scheme 'Marketing Support आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.50 and Services', (vi) Grants-in-aid General करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹26.47 (₹151.53 crore), Grants- for creation of करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। Capital Assets (₹3.50 crore) and Grantsin-aid Salaries (₹26.47 crore) under the scheme Central Silk Board. 254.46 254.46 (ग) (i) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (₹59 (c) For meeting expenditure towards (i) करोड़), 'फ्लैटर्ड फैक्ट्री सह इंकुबेटर्स' (₹3 Grants for Creation of Capital Assets करोड़), 'समेकित प्रसंस्करण विकास योजना' under the scheme 'National Institute of (₹21.50 करोड़) योजना के अंतर्गत पुंजीगत Fashion Technology', (₹59 crore), आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (ii) 'आरएंडडी Flattered Factory cum incubators', (₹3 वस्त्र' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता crore), 'Integrated Processing अनुदान (₹42.99 करोड़) तथा पूंजीगत Development Scheme', (₹21.50 crore) आस्तियों के सृजन हेतू अनुदान (₹15 (ii) Grants-in-aid General (₹42.99 करोड़), (iii) 'वस्त्र समिति को सहायता' crore) and Grants for Creation of योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान Capital Assets (₹15 crore) under the (₹15.26 करोड़), वेतन सहायता अनुदान scheme 'R & D Textiles', (iii) Grants-(₹38.15 करोड़) तथा सामान्य सहायता in-aid General (₹15.26 crore), Grants-अनुदान (₹10 करोड़) (iv) 'पटसन क्षेत्र in-aid Salaries (₹38.15 crore) and विकास योजना' योजना के अंतर्गत सामान्य Grants-in-aid General (₹10 crore) under सहायता अनुदान (₹70 करोड़), पूंजीगत the scheme 'Assistance to Textiles आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹4 करोड़) Committee', (iv) Grants-in-aid General और वेतन सहायता अनुदान (₹7 करोड़) (₹70 crore), Grants for Creation of (vii) 'बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन Capital Assets (₹4 crore) and Grants-निगम को सब्सिडी' योजना के अंतर्गत in-aid Salaries (₹7 crore) under the सब्सिडियाँ (83 करोड़) (viii) 'अन्य scheme 'Scheme for Development of (टीआरए, सीओपी) ' योजना के अंतर्गत अंशदान Jute Sector', (vii) Subsidies (₹83 crore) (₹0.50 करोड़) हेत् व्यय पुरा करने के लिए। under the scheme 'Subsidy to Jute Corporation of India towards market operation, (viii) Contribution (₹0.50 369.40 369.40 crore) under the other schemes.

जनुवाना का यूर्क नाम,	2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO			(XXIX)
			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) 'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना' के अंतर्गत मुख्य कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Infrastructure and Technology Development scheme.		10.79	10.79
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
(i) चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत गतिविधियों	For providing (i) Grants in aid General (₹2			
को सुगम बनाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान	Crore), advertising and publicity (₹5 crores)			
(₹2 करोड़) विज्ञापन और प्रचार (₹5 करोड़) तथा	and Other charges (₹40 Crores) to facilitate			
अन्य प्रभार (₹40 करोड़) तथा सेवा प्रदाताओं की	activities under Champion Services Sector			
क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) के अंतर्गत सामान्य	Scheme and funds for Grants in Aid General			
सहायता अनुदान (₹10 करोड़) प्रदान करने के	under Capacity Building for Services			
लिए।	Providers (CBSP) (₹10 crore).	57.00		57.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय	98 Ministry of Tribal Affairs			
(क) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत	(a) For meeting additional expenditure			
प्रकाशन के लिए (₹0.17 करोड़), अन्य	under National Commission for			
प्रशासनिक व्यय (₹0.39 करोड़) तथा विज्ञापन	Scheduled Tribes towards Publications			
और प्रचार (₹0.50 करोड़), (ii) मैट्रिकोत्तर	(₹0.17 crore), Other Administrative			
छात्रवृत्ति के अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹0.50	Expenses (₹0.39 crore) and			
करोड़) तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण	Advertisement & Publicity (₹0.50			
हेतु कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	crore) (ii) Office Expenses under the			
(₹0.10 करोड़) (iii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	scheme Post Matric Scholarship (₹0.50			
(₹0.25 करोड़), अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों को	crore) and Aid to Voluntary			
सहायता (₹0.04 करोड़) (iv) निगरानी और	Organisations working for the welfare of Scheduled Tribes (₹0.10 crore) (iii)			
मूल्यांकन योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार	Professional Services under the			
्रिताउन पाना प्रशास ज प्रभास (₹1.50 करोड़) (v) एकलव्य मॉडल	schemes Post Matric Scholarship (₹0.25			
आवासीय स्कूल (₹0.98 करोड़), मैट्रिक	crore), Aid to Voluntary Organisations			
पूर्व योजना (₹1.25 करोड़) योजनाओं के	working for the welfare of Scheduled			
अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, जनजातीय	Tribes (₹0.04 crore) (iv) Other Charges			
उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत	under the scheme Monitoring &			
सहायता (₹45.50 करोड़) तथा लघु वन	Evaluation (₹1.50 crore) (v) Grants-in-			
उत्पाद के लिए न्यूनतम सहायता लागत	aid General under the schemes Eklavya			
(₹60 करोड़) (vi) एकलव्य मॉडल आवासीय	Model Residential School (₹0.98			
स्कूल योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों	crore), Pre- Matric Scheme (₹1.25			
के सृजन के लिए अनुदान (₹14.99 करोड़)	crore), Institutional Support for			
(vii) एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना	Development and Marketing of Tribal			
के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (0.24	Products (₹45.50 crore) and Minimum			
करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के	Support Price for Minor Forest Produce			
लिए।	(₹60 crore) (vi) Grants for Creation of			
	Capital Assets under the scheme			
	Eklavya Model Residential School			
	(₹14.99 crore) (vii) Grants-in-aid			
	Salaries under the scheme Eklavya Model Residential School (₹0.24 crore).	126.41		126.41
(ख) एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल योजना के	(b) For meeting additional expenditure	140.41	•••	120.41
अंतर्गत मुख्य कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा	towards Major Works under the scheme			
करने के लिए।	Eklavya Model Residential School.	•••	10.00	10.00
	Ziia. ja iilodoi reoldoittai bollool.	•••	10.00	10.00

तकनीकी परक

सांकेतिक पूरक

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** महिला और बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 99. महिला और बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and Child **Development** (क) (i) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास (a) For meeting additional expenditure संस्थान (एनआईपीसीसीडी) योजना के अंतर्गत towards (i) Grants-in-aid General under सामान्य सहायता अनुदान (₹5.68 करोड़), the scheme National Institute of Public वेन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड Cooperation and Child Development (सीएसडब्ल्युबी) (₹28.09 करोड़), केन्द्रीय (NIPCCD) (₹5.68 crore), Central Social एकक संसाधन प्राधिकरण (0.80 करोड़), Welfare Board (CSWB) (₹28.09 crore), राष्ट्रीय महिला आयोग (₹1 करोड़) तथा Central Adoption Resource Authority राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (₹0.80 crore), National Commission for (एनसीपी सीआर) (₹0.23 करोड़) (ii) राष्ट्रीय Women (₹1 crore) and National महिला आयोग योजना के अंतर्गत पूंजीगत Commission for Protection of Child आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹0.50 Rights (NCPCR) (₹0.23 crore) (ii) करोड़) (iii) एनआईपीसीसीडी (₹3.06 Grants for Creation of Capital Assets करोड़) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता under the scheme National Commission अनुदान, केन्द्रीय वर्गीकरण दत्तक संसाधन for women (₹0.50 crore) (iii) Grants-प्राधिकरण (₹1.20 करोड़) तथा in-aid Salary under the scheme एनसीपीसीआर (₹0.29 करोड़) के अतिरिक्त NIPCCD (₹3.06 crore), Central व्यय पूरा करने के लिए। Adoption Resource Authority (₹1.20 crore) and NCPCR (₹0.29 crore). 40.85 40.85 (ख) एमआईपीसीसीडी स्कीम के अंतर्गत सामान्य (b) For meeting additional expenditure सहायता अनुदान हेत् अतिरिक्त व्यय को towards Grants-in-aid General under पुरा करने के लिए। the scheme NIPCCD. 1.00 1.00 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 100. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 100 Ministry of Youth Affairs and Sports (i) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के अंतर्गत For meeting expenditure towards (i) Grants-वेतन सहायता अनुदान (₹10 करोड़) (ii) खेलो in-aid Salary (₹10 crore) under the scheme इंडिया स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक Sports Authority of India (ii) Grants-in-aid (₹0.40 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक General (₹1.53 crore) under SC Component (₹0.18 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता (₹0.40 crore) and under ST component अनुदान (₹1.53 करोड़) तथा अनुसूचित जाति (₹0.18 crore) and Grants for Creation of घटक (₹1.58 करोड़) और अनुसूचित जनजाति Capital Assets (₹6.12 crore) under SC घटक (₹0.72 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों component (₹1.58 crore) and ST component के सृजन के लिए अनुदान (₹6.12 करोड़) हेतु (₹0.72 crore) under the scheme Khelo India. 20.53 20.53 व्यय पूरा करने के लिए। कुल सांकेतिक **Total Token** 0.93 0.35 1.28 5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए 5. An advance of ₹26,52,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of भारत की समेकित निधि में से ₹26,52,00,000 करोड़ India for meeting contingency requirement. This will be recouped to the Fund after की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की the Supplementary Demands for Grants are approved. पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। **GRAND TOTAL** 17,441.37 3,804.79 21,246.16 कुल योग 3,649.96 18,995.51 **Net Cash Outgo** 15,345.55 निवल नकद व्यय **Technical Supplementary** 2,094.89 154.48 2,249.37

Token Supplementary

0.35

0.93

विषय सूची CONTENTS

						(₹ द	जरोड़ in र	₹crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग	संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि	एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE AND					
	कल्याण मंत्रालय		FARMERS' WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और किसान		1. Department of Agriculture, Cooperation					
	कल्याण विभाग	स्वीकृत	and Farmers' Welfare	Voted	0.05		0.05	1-2
2.	कृषि अनुसंधान और		2. Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत	and Education	Voted	0.01		0.01	3
परम	ाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3.	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	0.01	0.03	0.04	4
आयु	र्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	, यूनानी,	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND					
	सिद्धा तथा होम्योपैथी		NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA					
	(आयुष) मंत्रालय		AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकि	त्सा, यूनानी,	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,					
	सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02		0.02	5-6
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILI	ZERS				
7.	भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted		160.00	160.00	7
नाग	र विमानन मंत्रालय	-	MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01		0.01	8
वाणि	ाज्य और उद्योग		MINISTRY OF COMMERCE					
	मंत्रालय		AND INDUSTRY					
10.	वाणिज्य विभाग	भारित	10. Department of Commerce	Charged	0.02		0.02	9-10
		स्वीकृत		Voted	218.03	65.00	283.03	
11.	उद्योग तथा आंतरिक व्यापार	-	11. Department for Promotion of					
	संवर्धन विभाग	स्वीकृत	Industry and Internal Trade	Voted	400.50	165.00	565.50	11
उपभ	गेक्ता मामले, खाद्य और	Č	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted	0.01		0.01	12
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	भारित	15. Department of Food and Public Distribution	Charged	0.01		0.01	13
		स्वीकृत		Voted	0.01	0.02	0.03	
कॉर	पोरेट कार्य मंत्रालय	Č	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
16.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	16. Ministry of Corporate Affairs	Voted	12.85		12.85	14
	हृति मंत्रालय	C	MINISTRY OF CULTURE					
	् संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.01	0.01	0.02	15
	मंत्रालय	C	MINISTRY OF DEFENCE					
19.	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वीकृत	19. Defence Services (Revenues)	Voted	2000.00		2000.00	16
20	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	20. Capital Outlay on Defence Services	Voted		0.01	0.01	17
पूर्वोत्त	तर क्षेत्र विकास	C	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF					
٠,	मंत्रालय		NORTH EASTERN REGION					
22.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		22. Ministry of Development of North					
	मंत्रालय	स्वीकृत	Eastern Region	Voted	24.08	0.01	24.09	18
पृथ्वी	विज्ञान मंत्रालय	c	MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
-	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Earth Sciences	Voted		0.01	0.01	19
	c	с		. 0.00		01		

						(₹ ₹	करोड़ in र	₹crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग	संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
इलैव	म्ट्रोनिक्स और सूचना		MINISTRY OF ELECTRONICS AND					
	प्रौद्योगिकी मंत्रालय		INFORMATION TECHNOLOGY					
24.	इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्ये	ागिकी	24. Ministry of Electronics and					
	मंत्रालय	स्वीकृत	Information Technology	Voted	0.02		0.02	20
पर्या	वरण, वन और जलवायु		MINISTRY OF ENVIRONMENT,					
	परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25.	पर्यावरण, वन और जलवायु पी	रेवर्तन	25. Ministry of Environment, Forests					
	मंत्रालय	भारित	and Climate Change	Charged		0.29	0.29	21-22
		स्वीकृत		Voted	0.03	0.02	0.05	
विदेः	रा मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
26.	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	26. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	23
वित्त	मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
27.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	27. Department of Economic Affairs	Voted	13.69	33.97	47.66	24
29.	वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	29. Department of Financial Services	Voted	•••	2500.00	2500.00	25
32.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	32. Direct Taxes	Voted	•••	0.02	0.02	26
33.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	33. Indirect Taxes	Voted		0.02	0.02	27
34.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभ	गग स्वीकृत	34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	27.39		27.39	28
38.	राज्यों को अंतरण	भारित	38. Transfers to States	Charged	1000.00		1000.00	29
		स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
मत्स	पपालन, पशुपालन और		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL					
	डेरी कार्य मंत्रालय		HUSBANDRY AND DAIRYING					
40.	पशुपालन और डेरी		40. Department of Animal Husbandry					
	कार्य विभाग	स्वीकृत	and Dairying	Voted	0.02		0.02	30
खाद	। प्रसंस्करण उद्योग		MINISTRY OF FOOD					
	मंत्रालय		PROCESSING INDUSTRIES					
41.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्राल	य स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01		0.01	31
स्वार	थ्य एवं परिवार		MINISTRY OF HEALTH AND					
	कल्याण मंत्रालय		FAMILY WELFARE					
42.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभ	गग स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.07	0.02	0.09	32-34
	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	0.01		0.01	35
भारी	उद्योग और लोक		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
	उद्यम मंत्रालय		AND PUBLIC ENTERPRISES					
44.	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted		0.01	0.01	36
गृह	मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46.	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	8820.64		8820.64	37
47.	मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	0.01	•••	0.01	38
48.	पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	3387.48	0.01	3387.49	39
49.	अंडमान और निकोबार द्वीप स	मूह स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.03	0.01	0.04	40
50.	चंडीगढ़	भारित	50. Chandigarh	Charged	***	60.00	60.00	41
51.	दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	51. Dadra and Nagar Haveli	Voted	0.02	5.00	5.02	42
	लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.01	•••	0.01	43
आव	ास और शहरी		MINISTRY OF HOUSING AND					
	कार्य मंत्रालय		URBAN AFFAIRS					
56.	आवास और शहरी कार्य मंत्राल	य <i>भारित</i>	56. Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged	9.10	•••	9.10	44-45
		स्वीकृत						

					(₹ व	करोड़ in र	₹crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
मानव संसाधन विकास		MINISTRY OF HUMAN					
मंत्रालय		RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता		57. Department of School Education					
विभाग	स्वीकृत	and Literacy	Voted	0.04		0.04	46
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.03		0.03	47-48
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
60. जल संसाधन, नदी विकास		60. Department of Water Resources,					
और गंगा संरक्षण		River Development and					
विभाग	स्वीकृत	Ganga Rejuvenation	Voted	0.01		0.01	49
61. पेयजल एवं स्वच्छता		61. Department of Drinking					
विभाग	स्वीकृत	Water and Sanitation	Voted	0.02		0.02	50
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYM	ENT				
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.03	5.10	5.13	51
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	64. Election Commission	Voted		6.22	6.22	52
65. विनियोग-भारत का उच्चतम		65. Appropriation - Supreme					
न्यायालय	भारित	Court of India	Charged	20.58		20.58	53
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01		0.01	54
नवीन तथा नवीकरणीय		MINISTRY OF NEW AND					
ऊर्जा मंत्रालय		RENEWABLE ENERGY					
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रात	गय स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	60.00	60.01	55
संसदीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAI	RS				
71. संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.01		0.01	56
कार्मिक, लोक शिकायत और		MINISTRY OF PERSONNEL,					
पेंशन मंत्रालय		PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIO	NS				
72. कार्मिक, लोक शिकायत और		72. Ministry of Personnel, Public					
पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	Grievances and Pensions	Voted		0.02	0.02	57
पेट्रोलियम और प्राकृतिक	C	MINISTRY OF PETROLEUM					
गैस मंत्रालय		AND NATURAL GAS					
74. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रा	लय स्वीकृत	74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	1000.00		1000.00	58
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
75. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Planning	Voted	22.18		22.18	59
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक	C	THE PRESIDENT, PARLIAMENT,					
सेवा आयोग और		UNION PUBLIC SERVICE COMMISS	ION				
उप-राष्ट्रपति का		AND THE SECRETARIAT OF					
सचिवालय		THE VICE PRESIDENT					
79. राज्यसभा	स्वीकृत	79. Rajya Sabha	Voted	20.00		20.00	60
रेल मंत्रालय	C	MINISTRY OF RAILWAYS					
82. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	82. Ministry of Railways	Voted	•••	0.01	0.01	61
सड़क परिवहन और	C	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT					
राजमार्ग मंत्रालय		AND HIGHWAYS					
83. सड़क परिवहन और		83. Ministry of Road Transport and					
राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	Highways	Voted		0.02	0.02	62
ग्रामीण विकास मंत्रालय	····c·"	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	. 5.64		~-~ =	-	~~
84. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	84. Department of Rural Development	Voted	0.06		0.06	63
- 1 - 20 0 C C C C C C C C C C C C C C C C C		Department of Rular Development	, 5100	0.00	•••	0.00	03

मं संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital 70tal Page विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वीकृत 86. Department of Science and Technology Voted 54.00 0.01 54.01 64.00 विज्ञान प्रियहन मंत्रालय स्वीकृत 89. Ministry of Shipping Voted 0.05 22.87 22.92 65. विज्ञान विकास और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 89. Ministry of Shipping Voted 0.05 22.87 22.92 65. विज्ञान विकास और Hinimate Hinimate And Entrepreneurship Science and Technology Voted 0.05 22.87 22.92 65. विज्ञान विकास और Hinimate Hinimate And Entrepreneurship Science and Technology Voted 0.05 22.87 22.92 65. विज्ञान विकास और Hinimate Hinima						(₹	करोड़ in र	₹crore)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 86. Department of Science and Technology Voted 54.00 0.01 54.01 64 पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING 89. पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत 89. Ministry of Shipping Voted 0.05 22.87 22.92 65 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय AND ENTREPRENEURSHIP 90. Ministry of Skill Development and उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.02 50.01 50.03 66 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and					राजस्व	पूंर्ज	गे जोड़	पृष्ट
86विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागस्वीकृत86. Department of Science and TechnologyVoted54.000.0154.0164पोत परिवहन मंत्रालयMINISTRY OF SHIPPING89.पोत परिवहन मंत्रालयस्वीकृत89. Ministry of ShippingVoted0.0522.8722.9265कौशल विकास औरMINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT90.कौशल विकास और90. Ministry of Skill Development andउद्यमिता मंत्रालयस्वीकृतEntrepreneurshipVoted0.0250.0150.0366सामाजिक न्याय औरअधिकारिता मंत्रालयAND EMPOWERMENT91.सामाजिक न्याय और91. Department of Social Justice and	मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
पोत परिवहन मंत्रालय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOG	GY				
89. पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत 89. Ministry of Shipping Voted 0.05 22.87 22.92 65 कोशस्त विकास और MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT उद्यमिता मंत्रालय AND ENTREPRENEURSHIP 90. कोशल विकास और 90. Ministry of Skill Development and उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.02 50.01 50.03 66 सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय और 91. Department of Social Justice and	86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	86. Department of Science and Technology	Voted	54.00	0.01	54.01	64
कौशल विकास और MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT उद्यमिता मंत्रालय AND ENTREPRENEURSHIP 90. कौशल विकास और 90. Ministry of Skill Development and उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.02 50.01 50.03 66 सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and	पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
उद्यमिता मंत्रालय AND ENTREPRENEURSHIP 90. कौशल विकास और 90. Ministry of Skill Development and उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.02 50.01 50.03 66 सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and	89. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Shipping	Voted	0.05	22.87	22.92	65
90. Ministry of Skill Development and उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.02 50.01 50.03 66 सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and	कौशल विकास और		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT					
उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.02 50.01 50.03 66 सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and	उद्यमिता मंत्रालय		AND ENTREPRENEURSHIP					
सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and	90. कौशल विकास और		90. Ministry of Skill Development and					
अधिकारिता मंत्रालयAND EMPOWERMENT91. सामाजिक न्याय और91. Department of Social Justice and	उद्यमिता मंत्रालय	स्वीकृत	Entrepreneurship	Voted	0.02	50.01	50.03	66
91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and	सामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
21. Sopulation of South Vision and	अधिकारिता मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
अधिकारिता विभाग स्वीकृत Empowerment Voted 0.03 0.01 0.04 67-68	91. सामाजिक न्याय और		91. Department of Social Justice and					
	अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	Empowerment	Voted	0.03	0.01	0.04	67-68
अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE	अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
93. अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत 93. Department of Space Voted 0.01 666.00 666.01 69	93. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	93. Department of Space	Voted	0.01	666.00	666.01	69
सांख्यिकी और कार्यक्रम MINISTRY OF STATISTICS AND	सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय PROGRAMME IMPLEMENTATION	कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION					
94. सांख्यिकी और कार्यक्रम 94. Ministry of Statistics and	94. सांख्यिकी और कार्यक्रम		94. Ministry of Statistics and					
कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत Programme Implementation Voted 0.01 0.01 70	कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Programme Implementation	Voted	0.01		0.01	70
कपड़ा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES	कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
96. कपड़ा मंत्रालय स्वीकृत 96. Ministry of Textiles Voted 0.03 0.01 0.04 71-72	96. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Textiles	Voted	0.03	0.01	0.04	71-72
पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM	पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
97. पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत 97. Ministry of Tourism Voted 0.01 0.01 73	97. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Tourism	Voted	0.01		0.01	73
जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS	जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय भारित 98. Ministry of Tribal Affairs <i>Charged 185.00 185.00 74</i>	98. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारित	98. Ministry of Tribal Affairs	Charged	185.00		185.00	74
स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.02		स्वीकृत		Voted	0.01	0.01	0.02	
महिला और बाल विकास MINISTRY OF WOMEN AND	महिला और बाल विकास		MINISTRY OF WOMEN AND					
मंत्रालय CHILD DEVELOPMENT	मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
99. महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत 99. Ministry of Women and Child Development Voted 0.02 5.00 5.02 75	99. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	5.00	5.02	75
युवा कार्यक्रम और MINISTRY OF YOUTH	युवा कार्यक्रम और		MINISTRY OF YOUTH					
खेल मंत्रालय AFFAIRS AND SPORTS	खेल मंत्रालय		AFFAIRS AND SPORTS					
100. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 100. Ministry of Youth Affairs and Sports Voted 225.01 225.01 76	100. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्राल	य	100. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	225.01		225.01	76
कुल जोड़ GRAND TOTAL 17441.37 3804.79 21246.16	कुल जोड़		GRAND TOTAL		17441.37	3804.79	21246.16	
भारित Charged 1214.71 60.29 1275.00		भारित		Charged	1214.71	60.29	1275.00	
स्वीकृत Voted 16226.66 3744.50 19971.16		स्वीकृत		Voted	16226.66	3744.50	19971.16	

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS" WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनदानों की मांगों का पष्ट 1 देखिये)

(₹ 0.70 करोड़) के लिए 'एकीकृत कृषि सहयोग स्कीम' के अंतर्गत सामान्य सहायता

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए 'कृषि विस्तार पर उपमिशन' के अंतर्गत सामान्य

सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)।

जोड़ Total 130485 हस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 00 पूर्वि Capital 00 जोड़ (पूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 130485 हम्म पूर्वि श्री	0.51 4.70 5.21 0.05	0 1	130485.	0.51 4.70
स्वित्व Revenue 130450 34 34	4.70 5.21 0.05 	0 1	34. 130485.	4.70
ती Capital 34 35 36 34 34 34 34 34 34 34	4.70 5.21 0.05 	0 1	34. 130485.	4.70
ाह स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	5.21 0.05 0.05	1	130485.	
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	0.05 0.05			5.21
ल्लास्त Revenue 0.0 ती	 0.05	5	•	
ति Capital Total	 0.05	5	_	
ाड़ (मूल और पूरक)	0.05		0.	0.05
हुँ (मूल और पूरक)				
श्रदेश Capital 33450 .	5 26			0.05
सि Capital ॥. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः ॥. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्वीकृ Charged Vote (Fig. 4) प्राप्त कर सीर्ष (Charged Vote) (Fig. 4) प्राप्त			130485. 130450.	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित सुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head	4.70			4.70
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृ Charged Vote जिस्त भाग REVENUE SECTION अस्य शीर्ष MAJOR HEAD 401-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 0 425-सहकारिता 2425-Co-operation 0 435-अन्य कृषि कार्यक्रम 2435-Other Agricultural Programmes 0 552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0 51 अत्युचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर (a) Grants-in-aid General for Spe 3प-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (रै 10 करोड़)। Scheduled Castes under Sextension (रै 10 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक जन्दान मांगा जाता है। जिस्ति का उपलब्ध वचतों के लिए विशेष घटक योजना (रै 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग Special Component Plan for Sche पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। Tribal Area Sub-Plan (रै 5 crore) Agriculture Cooperation. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक त्रिया त्र त्र त्र उठ.30 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए कृषि सहयोग Special Component Plan for Sche पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। Tribal Area Sub-Plan (रै 5 crore) Agriculture Cooperation. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक त्र	1.70	U	34.	1.70
शारित स्वीकृ Charged Vote जस्य भाग REVENUE SECTION इब्ब शीर्ष MAJOR HEAD 101-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 245-Co-operation 335-अन्य कृषि कार्यक्रम 2435-Other Agricultural Programmes 352-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 302-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 3602-Grants-in-aid General for Spectation 3602-Grants-in-aid General for Spectation 3602-Grants-in-aid General for Spectation In In Interview (10 page 1) 3602-Grants-in-aid General for Spectation In Interview (10 page 1) 3602-Grants-in-aid General for Spectation Interview (10 page 1) 3602-Grants-in-aid General for Spectation Interview (10 page 1) 3602-Grants-in-aid General for Gener				
स्थित भाग स्थापिक स्थाप स्थाप सहायता अनुदान (र 10 करोड़)। हम् पूरक अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। **REVENUE SECTION** **MAJOR HEAD** **ABJOR HEAD** **AB			जৌ ड़	:
श्रुव्य श्रीर्ष MAJOR HEAD 401-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 00 425-सहकारिता 2425-Co-operation 00 435-अन्य कृषि कार्यक्रम 2435-Other Agricultural Programmes 00 552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 00 602-मुंबा राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 00 ह पूरक अनुदान ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: ह पूरक अनुदान ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: ह पूरक अनुदान ने किम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: ह पूरक अनुदान ने किम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: ह पूरक अनुदान के किम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: ह पूरक अनुदान के किम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: ह पूरक अनुदान के किम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for:	d		Total	al
401-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 0 425-सहकारिता 2425-Co-operation 0 435-अन्य कृषि कार्यक्रम 2435-Other Agricultural Programmes 0 552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 0 503-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 0 503-संघ राज्य का अनुतान 0 503-संघ राज्य का अनुतान 0 504-संघ राज्य का अनुतान 0 505-संघ राज्य का अनुतान 0 506-संघ राज्य का अनुतान 0 507-संघ राज्य का अनुतान 0 507-संघ राज्य का अनुतान 0 508-संघ राज्य का स्वाय 0 509-संघ राज्य 0 509				
425-Reariरिता 2425-Co-operation 00 435-अन्य कृषि कार्यक्रम 2435-Other Agricultural Programmes 00 552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 00 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 00 ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: हा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर (a) Grants-in-aid General for Spe उप-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। Scheduled Castes under Sextension (₹ 10 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक of the Grant, a token supplementary Grants are required for: □ अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक of the Grant, a token supplementary Grants are required for: □ अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक of the Grant, a token supplementary Grants are required for: □ उप-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग Special Component Plan for Sche (₹ 4 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग Special Component Plan for Sche पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। □				
435-अन्य कृषि कार्यक्रम 2435-Other Agricultural Programmes 0 552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0 ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर (a) Grants-in-aid General for Spot उप-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। Scheduled Castes under Sextension (₹ 10 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक जन्दान मांगा जाता है। of the Grant, a token supplementary Grants are required for: ### The supplementary Grants are required for: ### Scheduled Castes under Sextension (₹ 10 crore). ### Taking into account the savings of the Grant, a token supplementary Grants-in-aid General for G	0.01	•	,	0.01
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0 502-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता तुदान इह (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0 इ पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। सामान्य घटक (₹ 35.30 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (१ कि	0.01	•	•	0.01
3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0 तुदान हिं (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) ह पूरक अनुदाने तिम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। सामान्य घटक (₹ 35.30 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (१ कि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। सामान्य घटक (१ विशेष घटक योजना (१ कि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	0.01	,	•	0.01
नुदान हि (राजस्व भाग)	0.01	,	•	0.01
ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: ह) सन्पत्त अनुदाने के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। सामान्य घटक (₹ 35.30 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। सामान्य घटक (१००० करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (१००० करोड़) के लिए कृषि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। सन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक प्राचना (१००० करोड़) के लिए कृषि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। सन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। सन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। सन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक जनुदान पर पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। सन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक जनुदान मांगा जाता है।	0.01	1 (ड	še) 0.	0.01
ह) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर (a) Grants-in-aid General for Spongur-Hिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। Scheduled Castes under Spongur-Have के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the savings अनुदान मांगा जाता है। Grants-in-aid General for General (₹ 35.30 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (b) Grants-in-aid General for General (₹ 4 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग Special Component Plan for Sche पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। Tribal Area Sub-Plan (₹ 5 crore) Agriculture Cooperation. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। of the Grant, a token supplementa	0.05	5	0.	0.05
हुं) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए कृषि विस्तार पर (a) Grants-in-aid General for Spe उप-मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। Scheduled Castes under S Extension (₹ 10 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the savings of the Grant, a token supplementa (₹ 4 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। Tribal Area Sub-Plan (₹ 5 crore) Agriculture Cooperation. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Grants-in-aid General for Spe Grants-in-aid General for Spe Grants-in-aid General for Spe (₹ 10 crore). Taking into account the savings of the Grant, a token supplementa				
ा) सामान्य घटक (₹ 35.30 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (b) Grants-in-aid General for General (₹ 4 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग Special Component Plan for Sche पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। Tribal Area Sub-Plan (₹ 5 crore) Agriculture Cooperation. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक of the Grant, a token supplementa	Sub-Mis	-Missio	on on Agric	ricultu
(₹ 4 करोड़) तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए कृषि सहयोग Special Component Plan for Sche पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। Tribal Area Sub-Plan (₹ 5 crore) Agriculture Cooperation. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings अनुदान मांगा जाता है। of the Grant, a token supplementa	-		-	
अनुदान मांगा जाता है। of the Grant, a token supplementa	eduled	uled Ca	astes (₹ 4 cror	ore) a
r) 'कषक उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता (c) Grante-in-aid General under the				secti
अनुदान (₹ 30 करोड़)। Promotion of Farmers Producers				
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings अनुदान मांगा जाता है। of the Grant, a token supplementa				secti
r) (i) (j) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैव मूल्य शृंखला (d) (i) Grants for creation of Capital As: विकास' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5 करोड़)। under the scheme of 'Organic V North Eastern Region' (₹ 5 crore).	/alue (
(ii) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वहनीय कृषि मिशन' स्कीम के अंतर्गत (ii) Grants-in–aid General for Triba सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.85 करोड़)। scheme of 'National Mission (₹ 14.85 crore).	al Are			
(iii) सामान्य घटक (₹ 21 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹ 2 करोड़) के लिए (iii) Grants-in-aid General for Gene राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - अन्य फसलें के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। and Tribal Area Sub-Plan (₹ 2 Security Mission' - Other Crops.				
	,		ea Sub-Plan 5 crore).	und
(v) सामान्य घटक (₹ 10 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (v) Grants-in-aid General for Genera	ribal /	<i>x</i> (< 00		ore) a

Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 0.70 crore) under 'Integrated Scheme on Agriculture Cooperation'.

Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under

'Sub-Mission on Agriculture Extension' (₹ 20 crore).

(e)

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) (i) (j) 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 29 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना (₹ 1 करोड़) और जनजातीय उपयोजना (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान ।
 - (ii) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (₹ 2 करोड़)
 और जनजातीय उपयोजना (₹ 3 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान ।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in–aid General under General Component (₹ 29 crore), Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 1 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹1 crore) under 'Mission for Integrated Development of Horticulture'.
- (ii) Grants-in-aid General under Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 2 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 3 crore) under 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		8078.76	8078.76	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		8078.76	8078.76	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8078.77	8078.77	
राजस्व	Revenue		8078.77	8078.77	
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	गया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) निम्नलिखित के लिए आईसीएआर को सामान्य सहायता अनुदान (मुख्यालय) (i) पेंशनभोगियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान (₹ 300.00 करोड़) और (ii) आईसीएआर मुख्यालय (₹ 21.86 करोड़)।
- (ii) फानी चक्रवात से हुई टूट-फूट के मरम्मत कार्यों के लिए आईसीएआर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 41.17 करोड़)। अनुदान के एक ही भाग के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, यह एक नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research (Headquarter) for (i) payment of 7th CPC arrears to pensioners (₹ 300.00 crore) and (ii) ICAR Headquarter (₹ 21.86 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets to ICAR for repair works of damages caused by Cyclone Fani (₹ 41.17 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 3 परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

. 0	·	, भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़) (In ₹ crore সৌৱ
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	J			
ाजस्व	Revenue	1.00	14957.52		14958.52
जी	Capital	10.00	9399.37		9409.37
गेड़	Total	11.00	24356.89		24367.89
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ाजस्व	Revenue		0.01		0.01
जी	Capital		0.03		0.03
ोइ	Total	•••	0.04		0.04
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	24356.93		24367.93
ाजस्व ः	Revenue	1.00	14957.53		14958.53
जी	Capital	10.00	9399.40		9409.40
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	er the following Majo भारित	r Head स्वीकृत		जॊ ड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख् य शीर्ष	MAJOR HEAD				
401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research		0.01	(कa)	0.01
्ंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ख़्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		0.01	(खb)	0.01
861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries		0.01	(गc)	0.01
			0.04	(घd)	0.01
401-परमाणुँ ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research		0.01	(qu)	0.01
401-परमाणुँ ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय गेड़ (पूंजी भाग)	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research Total (Capital Section)	•••	0.01	(4u)	0.03

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹ 334.88 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹ 16 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ii) सहायता प्राप्त संस्थांनों को (₹ 120 करोड़) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान देने हेतु।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) के लिए निवेश हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 40 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(गं) (i) भारी जल उत्पादन सुविधा (एचडब्ल्यूबी) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.21 करोड़) (ii) ईंधन निर्माण परियोजनाओं (एनएफसी) (₹ 152.25 करोड़), विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी) (₹ 55.27 करोड़) और बैक एण्ड ईंधन चक्र परियोजनाएं (एनआरबी) (₹ 95.08 करोड़) के लिए मशीनरी और उपस्कर तथा (iii) ईंधन निर्माण परियोजनाओं (एनएफसी) (₹ 137.38 करोड़), बैक एण्ड ईंधन चक्र परियोजनाएं (एनआरबी) (₹ 306.25 करोड़) और सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) (₹ 20.69 करोड़) के लिए मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) (i) डीएई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर (₹ 25.53 करोड़), (ii) सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु (₹ 20.69 करोड़), डीएई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (₹ 55.89 करोड़) लेसर (आरआरसीएटी) के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5.86 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid Salaries to Aided Institutes (₹ 334.88 crore) and to Atomic Energy Education Society (AEES) (₹ 16 crore) and (ii) Grant in aid General (₹ 120 crore) to Aided Institutes.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement towards investment for Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Itd (BHAVINI) (₹ 40 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid General (₹ 2.21 crore) to Heavy Water Production Facility(HWB) (ii) Machinery and Equipment for Fuel Fabrication Projects (NFC) (₹ 152.25 crore), for Board of Radiation and Isotope Technology(BRIT) (₹ 55.27 crore) and for Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹ 95.08 crore) and (iii) Major Works for Fuel Fabrication Projects (NFC) (₹ 137.38 crore), for Back End Fuel Cycle Projects(NRB)(₹ 306.25 crore) and for General Service Organisation (GSO) (₹ 20.69 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipment for DAE R&D Projects (₹ 25.53 crore) and (ii) Major Works for General Service Organisation (GSO) (₹ 20.69 crore), for DAE R&D Projects (₹ 55.89 crore), for Advance Technology for LASER(RRCAT) (₹ 5.86 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	· ·		
राजस्व	Revenue		2445.55	2445.55
पूंजी	Capital		0.21	0.21
जोड़	Total		2445.76	2445.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2445.78	2445.78
राजस्व	Revenue		2445.57	2445.57
पूंजी	Capital		0.21	0.21
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतः	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major He	ad	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) अंतर्राष्ट्रीय योग और आयुर्वेद दिवस आदि मनाने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'सचना, शिक्षा और संचार पर व्यय' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) (ii) राष्ट्रीय भेषज सतर्कता समन्वय केंद्र को निधियां वितरित करने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'एएसयू दवाईयों के लिए भेषज सतर्कता पहल (₹ 0.93 करोड़) (iii) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गते सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) (iv) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (v) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गत[े]सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.61 करोड़) (vi) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.75 करोड़) (vii) संस्थान की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पुरा करने के लिए 'राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.56 करोड़) (viii) परिषद की प्रतिबद्ध देयता के लिए व्यय पूरा करने के लिए 'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनदान (₹ 1.25 करोड़) (ix) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'एएसयू की औषध विज्ञान समितियां और भारतीय चिकित्सा के औषध विज्ञान आयोग का सुदृढ़ीकरण (पीसीआईएम)' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़) (x) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली' (एआईआईए) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) (xi) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेत् 'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (xii) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.50 करोड़) (xiii) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.70 करोड़) (xiv) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.39 करोड़) (xv) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा करने हेतु 'राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.75 करोड़) (xvi) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा रिक्त पदों को भरने के लिए व्यय पूरा

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Expenditure on Information, Education and Communication" for meeting expenditure for celebration of International Day of Yoga and Ayurveda Day etc.(₹ 3 crore). (ii) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Pharmacovigilance Initiative for ASU Drugs" for meeting expenditure for disbursing the funds to the National Pharmacovigilance Co-ordination Centre(₹ 0.93 crore). (iii) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Central Council for Research in Ayurveda Sciences, New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute (₹ 1 crore). (iv) Grants-in-aid-General, under the scheme, " Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute(₹ 0.50 crore). (v) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Central Council for Research in Homeopathy, New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute (₹ 0.61 crore). (vi) Grants-in-aid-General, under the scheme, "Central Council for Research in Siddha. Chennai" for meeting expenditure for committed liabilities of the Council (₹ 0.75 crore). (vii) Grants-in-aid-General, under the scheme, "National Institute of Siddha, Chennai" for meeting expenditure for committed liabilities of the Institute (₹ 0.56 crore). (viii) Grantsin-aid-General, under the scheme, "All India Institute of Ayurveda, New Delhi" for meeting expenditure for committed liabilities of the Council (₹ 1.25 crore). (ix) Grants-in-aid-salary under the scheme, "Pharmacopoeia Committees of ASU and Strengthening of Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine(PCIM)" for meeting the expenditure for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.30 crore). (x) Grants-in-aid-salary under the scheme, "All India Institutive of Ayurveda(AIIA), New Delhi" for meeting the expenditure for implementation of 7th CPC and filling -up of vacant posts (₹ 5 crore). (xi) Grants-in-aid-salary under the scheme, "Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi" for meeting the expenditure for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.50 crore). (xii)Grants-in-aid-salary

करने हेतु 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.55 करोड़) (xvii) वेतन तथा अन्य भत्तों का व्यय पूरा करने के लिए 'राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा अनुसंधान संस्थान, लेह' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) संस्थान के प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलाँग स्कीम के अधीन सहायता-अनुदान-सामान्य (₹ 0.98 करोड़), (ii) संस्थान के अधीन निर्माण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलाँग स्कीम के अधीन पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

under the scheme, "National Institute of Homeopathy, Kolkata" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 4.50 crore). (xiii) Grants-in-aid-salary under the scheme, "Central Council for Research in Homeopathy" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 1.70 crore). (xiv)Grants-in-aid-salary under the scheme, "Central Council for Research in Unani Medicine" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 4.39 crore). (xv) Grants-in-aid-salary under the scheme, "National Institute of Siddha, Chennai" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.75 crore). (xvi)Grants-in-aid-salary under the scheme, "National Institute of Naturopathy, Pune" for implementation of 7th CPC and filling up of vacant posts (₹ 0.55 crore). (xvii)Grants-in-aidsalary under the scheme, "National Research Institute for Sowa-Rigpa, Leh" for meeting the expenditure for salary and other allowances (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid-general under the scheme, North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong for meeting the committed liabilities of the Institute (₹ 0.98 crore). (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme, North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong for meeting the construction activities under the institute (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख)

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		•		r) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		230.45	230.45
पूंजी	Capital		5.06	5.06
जोड़	Total		235.51	235.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		160.00	160.00
जोड़	Total		160.00	160.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		395.51	395.51
राजस्व	Revenue		230.45	230.45
पूंजी	Capital	•••	165.06	165.06
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेग	т:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow	wing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries		160.00	160.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आईडीपीएल, आरडीपीएल और एचएएल) के कर्मचारियों को भुगतान न किए गए वेतन/वीआरएस संबंधी देयताओं का आंशिक भुगतान करना (₹ 160 crore)। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

payment of employee's liabilities of unpaid salary/VRS of PSUs (IDPL, RDPL and HAL) as approved by Cabinet (₹ 160 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				ड़ि) (In ₹ crores)
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4474.99	4474.99
पूंजी	Capital		25.01	25.01
जोड़	Total		4500.00	4500.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital		•••	***
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4500.01	4500.01
राजस्व	Revenue	•••	4475.00	4475.00
पूंजी	Capital		25.01	25.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc	der the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) क्षेत्रीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदान (₹ 200 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants for creation of Capital Assets to Airport Authority of India under Regional Connectivity Scheme (₹ 200 crore).
 - ii) Grants-in-aid General to Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi (₹ 3.70 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 10 वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				₹ करोड़)	ज्रोड़) (In ₹ croi	
		भारित	स्वीकृत		जोड़	
		Charged	Voted		Total	
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
ाजस्व	Revenue	0.01	5709.31		5709.32	
जी	Capital		510.00		510.00	
ोड़	Total	0.01	6219.31		6219.32	
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
जस्व	Revenue	0.02	218.03		218.05	
जी	Capital		65.00		65.00	
ोड़	Total	0.02	283.03		283.05	
गेड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	6502.34		6502.37	
ाजस्व	Revenue	0.03	5927.34		5927.37	
जी	Capital		575.00		575.00	
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be acco	ounted for under th भारित	e following Major Hea स्वीकृत	ads:	जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION					
ख् य शीर्ष	MAJOR HEAD					
451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.02	(कa) 0.01	(खb)	0.03	
407-पौधरोपण	2407-Plantations		0.01	(गc)	0.01	
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(घd)	0.01	
453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion		218.00	(डe)	218.00	
गेड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	218.03		218.05	
एंजी भाग	CAPITAL SECTION					
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
	4059-Capital Outlay on Public Works		65.00	(चf)	65.00	
.059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	root capital callay on table from					

(c)

(क) दिल्ली के माननीय पटियाला कोर्ट द्वारा लगाई गई शास्ति के भुगतान के लिए दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति संख्या 2/1/2019-एनटीआर के द्वारा स्वीकृत आकस्मिकता अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) 'स्थापना व्यय (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 19.98 करोड़), आरआरटी (₹ 5.35 करोड़), एफटी (₹ 2.00 करोड़) और ओई (₹ 2.27 करोड़) हेतु व्यय परा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय होगा।

(गं) 'काजू निर्यात संबर्धन परिषद' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) (ii) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोड़) और सिस्सिडियां (₹ 21.14 करोड़) (iii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.29 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 39.71 करोड़) और सिस्सिडियां (₹ 4.00 करोड़) (iv) 'रबड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़) (v) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.00 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 7.00 करोड़) और सिस्सिडियां (₹ 2.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय होगा।

 (घ) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Meeting expenditure towards: Recoupment of Contingency Advance sanctioned vide MoF's sanction no.2/1/2019-NTR dated 4th September, 2019 for payment of penalty imposed by Hon'ble Patiala House Court of Delhi (₹ 0.02 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Voted) Section of the Grant,the above expenditure will not entail any cash outgo.

Meeting expenditure towards: Professional Services (₹ 19.98 crore), RRT (₹ 5.35 crore), FT (₹ 2.00 crore) and OE (₹ 2.27 crore) under the scheme 'Establishment Expenditure (Secretariat)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-Aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Cashew Export Promotion Council', (ii) GIA General (₹ 8.50 crore), GIA Salary (₹ 8.00 crore) and Subsidies (₹ 21.14 crore) under the scheme 'Tea Board', (iii) GIA Salary (₹ 39.71 crore), GIA General (₹ 4.29 crore) and Subsidies (₹ 4.00 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iv) GIA General (₹ 21.00 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 1.00 crore) and GIA Salary (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Rubber Board', (v) GIA General (₹ 4.00 crore), GIA Salary (₹ 7.00 crore) and Subsidies (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Spices Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Tea Board'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ड)

(i) 'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़), सब्सिडियां (₹ 20.00 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान (₹ 20.00 करोड़) (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.00 करोड़), सब्सिडियां (₹ 9.35 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.88 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 1.02 करोड़) (iii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 283.00 करोड़) (iv) 'बाजार पहुंच पहल' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़) (v) 'रत्न और आभूषण सेक्टर' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान (₹ 5.00 करोड़) (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 50.00 करोड़) (vii) 'व्यापार आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹ 8.50 करोड़), डीटीई (₹ 0.50 करोड़), ओई (₹ 0.30 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.20 करोड़) और लघु कार्य (₹ 0.50 करोड़) (viii) 'विशेष आर्थिक जोन को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹ 2.00 करोड़), डीटीई (₹ 0.50 करोड़), ओई (₹ 0.50 करोड़), (ix) 'व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा' स्कीम के अंतर्गत ओई (₹ 0.50 करोड़), प्रकाशन (₹ 0.40 करोड़) तथा विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.60 करोड़) (x) 'स्थापना व्यय (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत डीजीएफटी सुचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन (₹ 35.50 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 0.70 करोड़), डीटीई (₹ 3.00 करोड़), ओई (₹ 5.50 करोड़), आरआरटी (₹ 1.00 करोड़), पीएस (₹ 0.80 करोड़) और ओएई (₹ 2.00 करोड़) (xi) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत एससीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 3.75 करोड़) और एसटीएसपी के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 1.02 करोड़) (xii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 77.00 करोड़) और (xiii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनुसंधान केंद्र' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 14.74 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 218.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(च) 'स्थापना व्यय (सचिवालय)' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (₹ 65.00 करोड़) (f) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 10.00 crore), Subsidies (₹ 20.00 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 20.00 crore) under the scheme 'Agricultural Product Export Development Authority (APEDA)', (ii) GIA General (₹ 5.00 crore), Subsidies (₹ 9.35 crore), GIA Salary (₹ 20.88 crore), Subsidies under SCSP (₹ 3.75 crore) and Subsidies under STSP (₹ 1.02 crore) in the scheme 'Marine product Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Subsidies (₹ 283.00 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) GIA General (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Market Access Initiative', (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector' (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) Salaries (₹ 8.50 crore), DTE (₹ 0.50 crore), OE (₹ 0.30 crore), Advertisement & Publicity (₹ 0.20 crore) and Minor Works (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Trade Commissioners', (viii) Salaries (₹ 2.00 crore), OE (₹ 0.50 crore) and DTE (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Assistance to Special Economic Zones', (ix) OE (₹ 0.50 crore), Publication (₹ 0.40 crore) and Advertisement & Publicity (₹ 0.60 crore) under the scheme 'Trade Remedies and Trade Defence', (x) Revamping of DGFT IT System (₹ 35.50 crore), Medical Treatment (₹ 0.70 crore), DTE (₹ 3.00 crore), OE (₹ 5.50 crore), RRT (₹ 1.00 crore) PS (₹ 0.80 crore) and OAE (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Establishment Expenditure (Secretariat)' (xi) Subsidies under SCSP (₹ 3.75 crore) and Subsidies under SCTP (₹ 1.02 crore) under the Scheme 'Marine product Export Development Authority (MPEDA)', (xii) Subsidies (₹ 77.00 crore) under the scheme 'Duty Draw Back' and (xiii) Other Charges (₹ 14.74 crore) under the scheme 'Centre for Research on International Trade'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 218.00 crore. Meeting expenditure towards: Major Works (₹ 65.00 crore) under the scheme 'Establishment Expenditure (Secretariat)'. The above expenditure will entail a net cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 11

उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़ ,) (In ₹ cro সৌৱ
		Charged	स्याकृत Voted		Total
TT 2173171	I. ORIGINAL GRANT:	Chargeo	voted		Total
. मूल अनुदान:			5001 70		
जिस्व - 	Revenue	•••	5001.79		5001.79
ंजी गेड	Capital	***	672.72		672.72
•••	Total	•••	5674.51		5674.51
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस्व -	Revenue		400.50		400.50
जी	Capital		165.00		165.00
गोड़	Total		565.50		565.50
गेड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6240.01		6240.01
ाजस्व	Revenue		5402.29		5402.29
जी	Capital	•••	837.72		837.72
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Major H	ead		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		192.00	(कa)	192.00
१852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01
१885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals		208.49	(गc)	208.49
गोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		400.50		400.50
<i>रंजी`भाग</i>	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
•	4875-Capital Outlay on Other Industries		165.00	(घd)	165.00
।875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय					

(b)

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 192.00 करोड़) (ii) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.05 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.85 करोड़) तथा (iii) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 30.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 192.00 करोड़ का व्यय होगा।

(ख) (i) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.16 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 19.08 करोड़) तथा (ii) 'क्रेडिट गारंटी निधि' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (iii) 'स्वायत्त निकायों को सहायता स्कीम' के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 5.14 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.78 करोड़) ।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 208.49 करोड़) (ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरा खण्ड के विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 20.00 करोड़) (iii) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 19.57 करोड़) और (iv) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 60.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 208.49 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(घ) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 165.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 192.00 crore under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan states' (ii) GIA General (₹ 6.05 crore) & GIA Salaries (₹ 2.85 crore)under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' and (iii) Subsidies (₹ 30.00 crore) under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 192.00 crore. Meeting expenditure towards: (i) GIA Salary (₹ 20.16 crore) & GIA General (₹ 19.08 crore) under the Scheme 'Support to Autonomous Institutions' (ii) GIA General (₹ 10.00 crore) under the scheme Credit Guarantee Fund' and (iii) GIA Salary (₹ 5.14 crore) & GIA General (₹ 3.78 crore) under the scheme 'Assistance to Autonomous Bodies'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Subsides (₹ 208.49 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan states', (ii) Subsidies (₹ 20.00 crore) under the scheme 'Package for Special Category States for Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand' (iii) Subsidies (₹ 19.57 crore) under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme and (iv) subsidies (₹ 60.00 crore) under the scheme 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 208.49 crore. Meeting expenditure towards: Investment (₹ 165.00 crore) under the scheme 'Fund of Funds'.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 14 उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करॉ	ड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	2240.32	2240.32
पूंजी	Capital		51.50	51.50
जोड़	Total	•••	2291.82	2291.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2291.83	2291.83
राजस्व	Revenue		2240.33	2240.33
पूंजी	Capital		51.50	51.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को वेतन (₹ 0.40 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹ 0.60 करोड़)।
- (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Salary (₹ 0.40 crore) and Administrative Expenses (₹ 0.60 crore) to Central Consumer Protection Authority.
- (ii) Grants-in-aid General to the States/UTs (₹ 5 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17-18 देखिये)

						भारित		स्वीकृत	(₹ करोड़	इ) (In ₹ crores जॊड़
						Charged		Voted		Total
I. मूल	। अनुदान	?	I. ORIGINAL GRANT:							
राजस्व	г		Revenue					190914.27		190914.27
् रंजी			Capital					51326.12		51326.12
नोड़			Total					242240.39		242240.39
इस सम	मय आवश्य	ाक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the an required:	nount no)W					
राजस्व	Г		Revenue			0.01		0.01		0.02
<u>र्</u> युजी			Capital					0.02		0.02
गोड़			Total			0.01		0.03		0.04
ोड़ (ग	मूल और पृ	(रक)	Total (Original plus Supplementar	y)		0.01		242240.42		242240.43
जस्व			Revenue	•		0.01		190914.28		190914.29
ुं जी			Capital					51326.14		51326.14
•			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त महा ९	गिर्धों के अं	नर्गन टिखामा जागेगाः		0.1020		0.020
			II. This Supplementary Grants/App	_			nder the	following Maid	or Heads	s:
						भारित		स्वीकृत		- ज <u>ो</u> ड़
						Charged		Voted		Total
ाजस्	व भाग		REVENUE SECTION							
ख्य १	रीर्ष		MAJOR HEAD							
408-	-खाद्य भंड	ारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehous	sing				0.01	(कa)	0.01
456-	-नागरिकः	आपूर्ति	3456-Civil Supplies	_		0.01	(खb)			0.01
ोड़ (र	राजस्व भा	ग)	Total (Revenue Section)			0.01	. ,	0.01		0.02
रंजी १		•	CAPITAL SECTION							
ख्य १			MAJOR HEAD							
•		ारण और भाण्डागारण पर पूंजी	4408-Capital Outlay on Food Store	age and				0.01	(गc)	0.01
.०० रिव्य		1213112 111 31 112 1 12 2-11	Warehousing	ago ana		•••		0.01	(10)	0.01
860-	-उपभोक्ता	उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Indust	ries				0.01	(घd)	0.01
	पूंजी भाग)	•	Total (Capital Section)			•••		0.02	(/	0.02
बोड़ (प			Total (Supplementary)			0.01		0.03		0.04
	ø)		votal (cappionicitally)			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0.00		
ग्ह पूर	क अनुदाने	ा/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित	है:	The	supplem	entary Grants/Appr	ropriation	ns are require	d for:	
क)	(i)	40 एलएमटी चीनी के बफर स्टॉक करोड़)।	के सृजन और अनुरक्षण के लिए सब्सिडी (₹ 100	(a)	(i)	Subsidies for cre LMT sugar (₹ 10			ice of b	uffer stock of 40
	(ii)	2019-20 मौसम के लिए चीनी करोड़)।	मिलों को सहायता के लिए सब्सिडी (₹ 100		(ii)	Subsidies for as (₹ 100 crore).	ssistance	e to Sugar M	lills for	2019-20 season
	(iii)	भांडागारण विकास और विनिया (₹ 4.85 करोड़) और वेतन सहायत	मक प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान ा अनुदान (₹ 0.30 करोड़) ।		(iii)			-		nts-in-aid Salary and Regulatory
	(iv)	2018-19 मौसम के लिए चीनी ी	मेलों को सहायता के लिए सब्सिडी (₹ 1000		(iv)	Authority. Subsidies for as	ssistance	e to Sugar M	lills for	2018-19 season
		करोड़)।				(₹ 1000 crore).				
	(v)	चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और व	मनुरक्षण के लिए सब्सिडी (₹ 100 करोड़)।		(v)	Subsidies for c sugar (₹ 100 cro		and maintena	ance of	buffer stock of
	(vi)	आंतरिक परिवहन, भाड़ा, लदान त अदायगी के लिए चीनी मिलों का स	था निर्यात (₹ 50 करोड़) पर होने वाले व्यय की व्सिडी।		(vi)		rt, freigl	-		enditure towards her charges on
		अनुपूरक मांग की गई है।	समान बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक				ount the	_		he same section
ख)		किराया, दर और कर के अंतर्गत	बकाया विद्युत और जल प्रभारों का भुगतान	(b)		payment of outs	standing	electricity ar	nd wate	r charges under

(d)

(₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत प्रयोगशाला (ग) उपस्करों की अधिप्राप्ति (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समान बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

अनुपूरक मांग की गई है।

(घ)

जलहीन एल्कोहल अथवा एल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण (₹ 75 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समान बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांग की गई है।

Rent, Rates and Taxes (₹ 0.01 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

procurement of laboratory equipment under Machinery and Equipment by National Sugar Institute, Kanpur (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

loan to sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol (₹ 75 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		_		₹ कराॆड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	570.34		570.34
पूंजी	Capital		41.00		41.00
जोड़	Total	***	611.34		611.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	12.85		12.85
पूंजी	Capital	***			•••
जोड़	Total	•••	12.85		12.85
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	624.19		624.19
राजस्व	Revenue	***	583.19		583.19
पूंजी	Capital		41.00		41.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	ne following Major Hea	d		
		भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		8.00	(कa)	8.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		4.85	(खb)	4.85
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		12.85		12.85

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) कॉर्पोरेट आंकड़ा प्रबंधन (₹ 2 करोड़) तथा भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान का स्थापना व्यय (₹ 6 करोड़)।

> अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए, एनएफआरए मुख्य अनुप्रयोग प्रणाली की शुरूआत और आईसीएलएस अधिकारियों के विभिन्न प्रशिक्षण हेतु कंपनी कानू सेवा अकादमी (₹ 4.85 करोड़)।

> अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;

The supplementary Grants are required for:

Corporate Data Management (₹ 2 crore) and establishment expenditure of Indian Institute of Corporate Affairs (₹ 6 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

National Financial Reporting Authority for filling up of vacant posts, introduction of NFRA Core application system and Indian Corporate Law Service Academy for various training of ICLS Officers. (₹ 4.85 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 17 संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		•		करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2953.21	2953.21
पूंजी	Capital	***	89.14	89.14
जोड़	Total	•••	3042.35	3042.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3042.37	3042.37
राजस्व	Revenue	•••	2953.22	2953.22
पूंजी	Capital		89.15	89.15
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major	Head	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(खb) 0.01
परिव्यय	Culture			
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(ख)

(i)भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹ 5 करोड़), (2) कला संस्कृति विकास योजना (₹ 2 करोड़) और राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार स्कीम के लिए पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास (₹ 14.35 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, और (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

कला संस्कृति विकास योजना (₹ 15 करोड़) और (2) सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(i) Meeting additional expenditure in GIA General under the scheme (1) Archaeological Survey of India (₹ 5 crore), (2) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 2 crore) and Development of Libraries & Archives for the scheme National Cultural Audiovisual Archives (₹ 14.35 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Archaeological Survey of India (₹ 0.10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme (1) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 15 crore) and (2) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व) DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोंः	ड) (In ₹ crores जॊड़ Total
।. मूल अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:		_			
राजस्व		Revenue		102.92	222254.47		222357.39
पूंजी		Capital		•••			
जोड़		Total		102.92	222254.47		222357.39
इस समय आवः	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	now require	ed:			
राजस्व	., •	Revenue	-		2000.00		2000.00
र् रूजी		Capital					
जोड़		Total			2000.00		2000.00
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		102.92	224254.47		224357.39
राजस्व		Revenue		102.92	224254.47		224357.39
पूंजी		Capital		***			•••
••		।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्	ग शीर्षों के अंत				
		II. This Supplementary Grants will be ac			Head		
		ii. This dappiementary drams will be at	occurrica for	भारित	ाट्यत स्वीकृत		जो ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		-			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
ु 2076-रक्षा सेव	गएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army			1500.00	(कa)	1500.00
-07 <i>0</i> रक्ता सेव 2077-रक्षा सेव	•	2077-Defence Services - Navy			300.00	(संद्र) (खb)	300.00
2078-रक्षा सेव	•	2078-Defence Services - Air Force			200.00	(गट)	200.00
नोड़ (राजस्व ध		Total (Revenue Section)		•••	2000.00	(10)	2000.00
(,						
	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supp	lementary Grants are requi	red for:		
(ক)		ातान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1500	(a)	meeting additional ex Allowances of Army (₹	•	rds payn	nent of Pay and
(ख)	नौसेना के वेतन और भत्तों की ५ करोड़); और	गुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 300	(b)	meeting additional ex Allowances of Navy (₹	•		nent of Pay and
(ग)	वायुसेना के वेतन और भत्तों (₹ 200 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	की भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए	(c)	meeting additional ex Allowances of Air Ford The above expenditur	ce (₹ 200 crore).		

मांग संख्या DEMAND NO 20 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ क	रोड़) (In ₹ crores)
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue			***
पूंजी	Capital	83.35	103310.96	103394.31
जोड़	Total	<i>83.35</i>	103310.96	103394.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			***
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>83.35</i>	103310.97	103394.32
राजस्व	Revenue			***
पूंजी	Capital	83.35	103310.97	103394.32
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सेना के लिए 'वायुयान और वायु इंजन' (₹ 1000 करोड़) और नौसेना के लिए 'नौसेना बेड़ा' (₹ 1250 करोड़) के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on account of 'Aircraft and Aeroengines' ($\overline{\tau}$ 1000 crore) for Army and 'Naval Fleet' ($\overline{\tau}$ 1250 crore) for Navy.

As the savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 22

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 55.93 करोड़)।

अनुदान मांगा जाता है।

(ग)

See pag	e 26 of the Demands to	r Grants of Central Government for the	year 2019-2020)		(₹ करोड़) (In ₹ crores
			भारित	स्वीकृत	11 11/15) (/// ९ <i>८/८/८८</i>) जोड़
			Charged	Voted		Total
l. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:	3			
 जिस्व		Revenue		2292.80		2292.80
जी		Capital		767.20		767.20
ोड़		Total	•••	3060.00		3060.00
स समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now		-		
जस्व जस्व		Revenue		24.08		24.08
नी		Capital		0.01		0.01
इ		Total		24.09		24.09
इ (मूल औ	रि पुरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3084.09		3084.09
जस्व	6 ,	Revenue	***	2316.88		2316.88
f t		Capital		767.21		767.21
		up II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष				
		II. This Supplementary Grants will be accoun		hee		
		ii. This Supplementary Grants will be account	भारित	_{न्यप} स्वीकृत		সৌব্র
			Charged	Voted		Total
जस्व भा	ग	REVENUE SECTION	Charges	70.00		1014
ड्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
52-पुर्वोत्त	ार क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
•	सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	···	24.07	(ন্ <u>a</u>) (खb)	24.07
ड़ (राजस्व	•	Total (Revenue Section)		24.08	(45)	24.08
जी भाग		CAPITAL SECTION	<i></i>	255		200
ज्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
	ार क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
।ड़ (पूरक)	१८ क्षमा १८ पूजा ११८७५४	Total (Supplementary)	···	24.09	(40)	24.09
\$ (<u>1</u> (4)		rotal (Supplementally)	···	24.09		24.09
] दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The	supplementary Grants are required	for:		
5)		के अंतर्गत एनईआर सीओआरएम परियोजना के लिए (a)	providing additional Gra	nts-in-Aid Gen	neral (₹ 2	2.71 crore) and
•	अतिरिक्त सामान्य सहायता अ	ानुदान (₹ 2.71 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के	Grants for creation of Ca		•	*
	सृजन के अनुदान प्रदान करने के	लिए (₹ 4 करोड़)।	project under the scheme	. ,	,	
	अनुदान की इसी भाग में उपल	तब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	Taking into account the s	avings availab	le in the	same section of
	अनुदान मांगा जाता है।		the Grant, a token supple	mentary is sou	ught.	
)	पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्की	म- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक के अंतर्गत (b)	providing additional Gra	ants for creat	ions of	Capital Assets
	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के वि	लेए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 24.07	under North East Roa	ad Sector De	evelopme	ent Scheme -
	करोड़)।	-	Externally Aided Projects	Component (₹ 24.07 cr	rore).
		ध ₹ 24.07 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में	Taking into account the	surrender of s	savings o	f ₹ 24.07 crore
	रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त न	नकद व्यय नहीं होगा।	available in the Capita	Section of	the Gra	int, the above
			expenditure will not entail	l any additiona	l cash ou	tgo.
	- 					

providing additional allocation under the scheme of Central

Taking into account the savings available in the same section of

Pool of Resources for North East and Sikkim (₹ 55.93 crore).

the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 23 **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				ਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1765.05	1765.05
पूंजी	Capital		141.00	141.00
जोड़	Total		1906.05	1906.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			•••
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1906.06	1906.06
राजस्व	Revenue		1765.05	1765.05
पूंजी	Capital	***	141.01	141.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखा	या जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under t	he following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डॉपलर मौसम राडार को स्थापित करने के लिए शिमला में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुकदमे के संबंध में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (शिमला) के निर्णय के पालन के लिए 'वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग ऑब्जरविंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज' (एसीआरओएसएस) स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्यों (₹ 28 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing additional expenditure towards Major Works (₹ 28 Crore) under the scheme "Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS)" to adhere the decision of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh (Shimla) regarding litigation case pertaining to land acquisition in Shimla for installation of Doppler Weather Radar. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 24

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		_		(₹ करोड़)) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	6306.00		6306.00
पूंजी	Capital	***	348.00		348.00
जोड़	Total	•••	6654.00		6654.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	***	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	6654.02		6654.02
राजस्व	Revenue		6306.02		6306.02
पूंजी	Capital		348.00		348.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	der the following Major He	ad		
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन' (₹ 34.80 करोड़) और 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क' (₹ 75 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) अनुस्चित जाति घटक (₹ 10 करोड़) और गैर-अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति/उत्तरपूर्व घटक (₹ 24.80 करोड़) से सम्मिलित 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान' (₹ 34.80 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

n) meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of Electronic Governance (₹ 34.80 crore) and National Knowledge Network (₹ 75 crore) for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (₹ 34.80 crore) comprising Scheduled Caste Component (₹ 10 crore) and non-SC/ST/NE component (₹ 24.80 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 25

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				^F करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2998.20		2998.20
पूंजी	Capital		64.52		64.52
जोड़	Total		3062.72		3062.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital	0.29	0.02		0.31
जोड़	Total	0.29	0.05		0.34
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.29	3062.77		3063.06
राजस्व	Revenue		2998.23		2998.23
पूंजी	Capital	0.29	64.54		64.83
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be a		he following Maior	Heads:	
	, , , , , , ,	भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	•			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	` (खb)	0.01
3435-पारिस्थितीकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life		0.01	(घd)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर	5425-Capital Outlay on Other Scientific and	0.29	(डe) 0.01	(चf)	0.30
पूंजी परिव्यय	Environmental Research		. ,	` /	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	0.29	0.02		0.31
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.29	0.05		0.34
*** *	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

यह पुरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) (1) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4.07 करोड़) (2) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 92.76 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.54 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 32.62 करोड़) (3) भारतीय प्लाईबुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.40 करोड़) (4) (i) भारतीय वन्यजीव संस्थान (₹ 10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (₹ 1.70 करोड़) (iii) वन्यजीव पर्यावास विकास (₹ 5 करोड़) और (iv) ग्रीन इंडिया मिशन- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (₹ 2.51 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (5) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.25 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.76 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.74 करोड़) तथा (ii) पर्यावरणीय सूचना प्रणाली के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (1) (i) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (₹ 0.25 करोड़) (ii) सामान्य घटक (₹ 27 करोड़) और टीएसपी घटक (₹ 3 करोड़) के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (iii) ईएपी घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹ 60 करोड़) (iv) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (₹ 0.13 करोड़) तथा (v) प्रदूषण नियंत्रण (₹ 39.57 करोड़) और जैविविधिता संरक्षण (₹ 6.50 करोड़) ((2) प्रदूषण रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.73 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 9.56

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting expenditure towards 1. Grants for creation of capital assets (₹ 4.07 crore) for Indian Institute of Forest Management 2. Grants-in-aid-Salaries (₹ 92.76 crore), Grants-in-aid-General (₹ 7.54 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 32.62 crore) for Indian Council of Forestry Research and Education 3. Grants-in-aid-General (₹ 1 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.40 crore) for Indian Plywood Industries Research and Training Institute 4. Grants-in-aid General for (i) Wildlife Institute of India (₹ 10 crore) (ii) National Tiger Conservation Authority (₹ 1.70 crore) (iii) Development of Wildlife Habitats (₹ 5 crore) and (iv) Green India Mission-National Afforestation Programme (₹ 2.51 crore) 5. Grants-in-aid-General (₹ 2.25 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.20 crore) for Central Zoo Authority. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

the Grant, a token supplementary is sought.
meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 0.76

crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 0.74 crore) for Pollution Abatement and (ii) Grants-in-aid-General (₹ 0.50 crore) for Environmental Information System.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid-General for
(i) Hazardous Substance Management (₹ 0.25 crore) (ii)
Environment Education, Awareness and Training' under
general component (₹ 27 crore) and under TSP component
(₹ 3 crore) (iii) National Coastal Mission under EAP component
(₹ 60 crore) (iv) National Green Tribunal (₹ 0.13 crore) (v)

करोड़) (3) जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 19.49 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3 करोड़) (5) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) तथा (6) उत्कृष्टता केन्द्र के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.04 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.13 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ड) भारतीय जीवविज्ञान सर्वेक्षण (₹ 0.22 करोड़) और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (e (₹ 0.07 करोड़) के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (च) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (र 2 करोड़)।
 - अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Control Pollution (₹ 39.57 crore) and (vi) Biodiversity conservation (₹ 6.50 crore) 2. Grants-in-aid-General (₹ 1.73 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 9.56 crore) for Pollution Abatement 3. Grants for creation of capital assets (₹ 2.50 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development 4. Grants-in-aid General (₹ 19.49 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 3 crore) for Central Pollution Control Board 5. Grants-in-aid General (₹ 9 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore) to National Biodiversity Authority and 6. Grants-in-aid Salaries (₹ 1.04 crore) for Centre of Excellence.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Major works ($\overline{\mathbf{x}}$ 0.13 crore) for Forest Survey of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Major works for Zoological Survey of India (\ref{total} 0.22 crore) and for Botanical Survey of India (\ref{total} 0.07 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting expenditure towards Major works (₹ 2 crore) for National Museum of Natural History.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 26

विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	स्वीकृत	(₹ कराॆड़) (In ₹ crores) সৌৱ
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.03	16511.20		16511.23
पूंजी	Capital		1373.55		1373.55
जोड़	Total	0.03	17884.75		17884.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	17884.77		17884.80
राजस्व	Revenue	0.03	16511.21		16511.24
पूंजी	Capital	***	1373.56		1373.56
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u		lead		
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02		0.02

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5.02 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) मालदीव सरकार (₹ 0.45 करोड़) (ii) भूटान सरकार- मंगदेचू पनिबजली परियोजना (₹ 44.63 करोड़) (iii) भूटान सरकार- पुनतसांगछू-II पनिबजली परियोजना (₹ 106.19 करोड़) और (iv) भूटान सरकार- अन्य परियोजनाएं (₹ 30.28 करोड़) को ऋण हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards Grants-in-Aid Salary in respect of Indian Council for Cultural Relations (₹ 5.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Loans to (i) Govt. of Maldives (₹ 0.45 crore) (ii) Govt. of Bhutan - Mangedechhu Hydroelectric Project (₹ 44.63 crore) (iii) Govt. of Bhutan - Punatsangchhu-II Hydroelectric Project (₹ 106.19 crore)and (iv) Govt. of Bhutan - Other Projects (₹ 30.28 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 27

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

				भारित	(स्वीकृत	र कराड़ ,) (In ₹ crore সৌৱ
				Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	•	I. ORIGINAL GRANT:			, , , ,		
राजस्व		Revenue			3211.46		3211.46
<u></u> ्रंजी		Capital			17208.97		17208.97
नोड़		Total			20420.43		20420.43
इस समय आवश्य	क रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now requir	ed:			
ाजस्व		Revenue			13.69		13.69
<u>र</u> ्जी		Capital		•••	33.97		33.97
गोड़		Total			47.66		47.66
गोड़ (मूल और पूर 	रक)	Total (Original plus Supplementary))		20468.09		20468.09
ाजस्व :-०		Revenue		•••	3225.15		3225.15
् जी		Capital			17242.94		17242.94
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित					
		II. This Supplementary Grants will b	e accounted to	r under the following Major भारित			সৌভ্র
				मारत Charged	स्वीकृत Voted		जाड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		Chargos	70.00		· Otal
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
!052-सचिवालय	ा-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services			0.01	(कa)	0.01
2075-विविध सा	•	2075-Miscellaneous General Service	es		1.30	(खb)	1.30
3466-अंतर्राष्ट्रीय	वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Instituti	ions		12.37	(गc)	12.37
3605-अन्य देशों	के साथ तकनीकी और आर्थिक	3605-Technical and Economic Co-c	operation with C	Other	0.01	(घd)	0.01
सहयोग		Countries					
नोड़ (राजस्व भा ग	π)	Total (Revenue Section)			13.69		13.69
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
गु ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5465-सामान्य वि नेवेश	वेत्तीय और व्यापारिक संस्थानों में	5465-Investments in General Finan- Institutions	cial and Tradin	g	0.01	(डe)	0.01
• •	वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International F	inancial Institut	ions	33.96	(चf)	33.96
नोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)			33.97		33.97
बोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		···	47.66		47.66
ान गरक अनुनाने	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplem	nentary Grants are required	for:		
			The supplen		101.		
ch I		(i) व्यावसायिक सेवागं (₹ 0.15 करोड़)	(a)			sional Se	ervices (₹ 0
ক)		(i) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.15 करोड़) करोड़)।	(a)	G-20 India Presidency 2	022 (i) Profess		ervices (₹ 0.
ক)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30	करोड़)।	(a)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 c	rores).	•
ক)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30	**	(a)	G-20 India Presidency 2	022 (i) Profess es (IT) (₹ 0.30 d avings available	crores). e in the s	•
	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प	करोड़)।	(a) (b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 cavings available ementary is sougtanding agains	crores). e in the s ght.	ame section
	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प की माफी।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक गरिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि		G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 control of the cont	crores). e in the s ght. et Nation	ame section
	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प की माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Reseat As this will be matched	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 control of the cont	crores). e in the s ght. et Nation	ame section
ख)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान पकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक गिरपद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo.	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 converses available ementary is soughtanding agains surch(NCAER).	crores). e in the s ght. t Nation	ame section al Council not entail a
ख)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान पकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक गरिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय गन्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान		G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sou	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is soughtanding agains such (NCAER). If by receipts, to the South Experimental in the S	crores). e in the sight. It Nation this will ience Ex	ame section al Council not entail al
ख)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान पकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक गरिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय गन्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Col	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is soughtanding agains such (NCAER). If by receipts, to the South Experimental in the S	crores). e in the sight. It Nation this will ience Ex	ame section al Council not entail a
ख)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान पक्ती माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय(ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक गरिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय गन्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)।	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sout Fund (SEETF). (ii) Confund (₹ 12.37 Crores).	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 c avings available ementary is sought anding agains arch (NCAER). If by receipts, the South Experintribution toward	erores). e in the sight. the Nation this will ience Exids Asian	ame section al Council not entail a xchange Tru Developme
ख)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक गरिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय गन्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Col Fund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the statement of the s	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 c avings available ementary is sought anding agains arch (NCAER). If by receipts, the South Experintribution toward avings available	crores). e in the sight. it Nation this will ience Exides Asian	ame section al Council not entail a schange Tru Developme ame section
ख)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक द विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and inguitant against the sought and inguitant against the sought and inguitant against the sought available ementary is sought as the sought available ementary is sought as the sought are in the sough are in the sought are in the sought are in the sought are in the	crores). e in the sight. this will ience Exids Asian e in the sight and the sight	ame section al Council not entail a schange Tru Developme ame section he expenditu
ख)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान पक्षी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक द विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Col Fund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the statement of the s	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and inguitant against the sought and inguitant against the sought and inguitant against the sought available ementary is sought and incomplete the sought an	crores). e in the sight. this will ience Exids Asian e in the sight and to tot entail of	ame section al Council not entail a schange Tru Developme ame section he expenditu
ख) ग)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक द विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and inguity available ementary is sought and inguity assue of securities.	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exids Asian e in the sight and to to entail coes.	ame section al Council not entail al kchange Tru Developme ame section he expenditu ash outgo al
ख) ग)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ई विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और ह माध्यम से की जाएगी।	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through in the Grant of the	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and inguity available ementary is sought and inguity assue of securities.	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exids Asian e in the sight and to to entail coes.	ame section al Council not entail al kchange Tru Developme ame section he expenditu ash outgo al
ख) ग)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ई विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और ह माध्यम से की जाएगी।	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through in Payment towards Inter	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and inguity and inguity and inguity and inguity available ementary is sought available ementary is sought and inguity available ementary is sought and inguity and i	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exiting the sight and to the entail coes.	ame section al Council not entail al schange Tru Developme ame section he expenditu ash outgo al nters Allian
ख) ग)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ई विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और 5 माध्यम से की जाएगी। आईसीएचए) को भुगतान (₹ 0.15 करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through Payment towards Inter (ICHA) (₹ 0.15 Crores).	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and inguity and inguity and inguity and inguity available ementary is sought available ementary is sought and inguity available ementary is sought and inguity available ementary is sought and inguity available ementary available ementary is sought and inguity available ementary is sought ementary available ementary is sought ementary available ementary availa	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exiting the sight and to the entail coes. e in the sight and to the entail coes.	ame section al Council not entail al schange Tru Developme ame section he expenditu ash outgo al nters Allian
(অ) (ग)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ई विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और क माध्यम से की जाएगी। आईसीएचए) को भुगतान (₹ 0.15 करोड़)।	(b)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through Payment towards Inter (ICHA) (₹ 0.15 Crores). Taking into account the standard into account the st	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and in graph of the converse of the conv	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exiting a Asian e in the sight and to the entail coes. e in the sight and the sight and the sight and the sight and the sight.	ame section al Council not entail al schange Tru Developme ame section he expenditu eash outgo al nters Alliand ame section
ख) ग) घ)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान में इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। सस्ते और मध्य आय वर्ग के आवास के	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक है विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और ह माध्यम से की जाएगी। आईसीएचए) को भुगतान (₹ 0.15 करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक लिए विशेष विंडो का सृजन (₹ 1000 करोड़)।	(b) (c) (d)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through Payment towards Inter (ICHA) (₹ 0.15 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple Creation of a special wir housing (₹ 1000 crore).	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sout tanding agains arch (NCAER). If by receipts, the South Expernitribution toward avings available ementary is sout ent Fund will not ssue of securitie that in a converse avings available ementary is sout avings available ementary is sout avings available ementary is sout adow for affordational corruptions of the converse avings available ementary is sout adow for affordational corruptions of the converse avings available ementary is sout adow for affordational corruptions of the converse avings available ementary is sout adow for affordational corruptions of the converse available ementary is sout adow for affordations of the corruptions of the converse available ementary is sout at the converse available ementary is south at the converse available ementary at	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exit ds Asian e in the sight and to the entail coes. ethic in the sight and the sight and the sight and the sight. e in the sight.	ame section al Council not entail al schange Tru Developme ame section he expenditu eash outgo al nters Alliand ame section middle-incon
ख) ग) घ)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान मांगा जाता है। सस्ते और मध्य आय वर्ग के आवास के अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मंंगा जाता है।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय ा न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ई विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और 5 माध्यम से की जाएगी। आईसीएचए) को भुगतान (₹ 0.15 करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(b) (c) (d)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through Payment towards Inter (ICHA) (₹ 0.15 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple Creation of a special wir housing (₹ 1000 crore). Taking into account the sthe Grant, a token supple Creation of a special wir housing (₹ 1000 crore). Taking into account the standard into account the stand	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and in graph of the converse of the conv	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exit Asian e in the sight and to the entail coes. e in the sight and to the entail coes. e in the sight and the sight and the sight and the sight.	ame section al Council not entail al schange Tru Developme ame section he expenditu eash outgo al nters Alliand ame section middle-incon
ख) ग) घ) ड)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान मांगा जाता है। सस्ते और मध्य आय वर्ग के आवास के अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया ब्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय त न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक है विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और ह माध्यम से की जाएगी। आईसीएचए) को भुगतान (₹ 0.15 करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक लिए विशेष विंडो का मृजन (₹ 1000 करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(b) (c) (d) (e)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through Payment towards Inter (ICHA) (₹ 0.15 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple Creation of a special wir housing (₹ 1000 crore). Taking into account the sthe Grant, a token supple token supple towards Inter (ICHA) (₹ 1000 crore). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Inter (ICHA) (₹ 1000 crore).	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and in graph of the converse of the conv	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exit ds Asian e in the sight and to the entail coes. e in the sight. It is the sight and the sight. It is the sight and the sight. It is the sight.	ame section al Council not entail al schange Tru Developme ame section he expenditu ash outgo al nters Alliand ame section middle-incon ame section
(ঘ) (ঘ) (ভ)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान पक्षी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदार अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान मांगा जाता है। सस्ते और मध्य आय वर्ग के आवास के अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया व्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय त न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ह विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और	(b) (c) (d)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Con Fund (SEETF). (iii) Con Fund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through Payment towards Inter (ICHA) (₹ 0.15 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple Creation of a special wir housing (₹ 1000 crore). Taking into account the sthe Grant, a token supple (i) Subscription to Asian Security (iii) Subscription to Asian Security (iii) Subscription to Asian Security (iii) Office Expenses (iiii) Office Expenses (iiiii) Office Expenses (iiiii) Office Expenses (iiiii) Office Expenses (iiiii) Office Expenses (iiiiii) Office Expenses (iiiiiii) Office Expenses (iiiiiiiiii) Office Expenses (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is south tanding agains arch (NCAER). If by receipts, the South Experintribution toward avings available ementary is south entered avings available ementary is south toward avings available ementary is south down for affordational corruptions available ementary is south down for affordational avings available ementary is south fican Develo	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exit ds Asian e in the sight and to the entail of ess. bit on the sight. It is the sight and the sight and the sight.	ame section all Council not entail ar schange Tru Developme ame section he expenditu eash outgo ar nters Alliand ame section middle-incon ame section Bank (AfDI
क) (य) (प्घ) (च)	(ii) कार्यालय व्यय (आईटी) (₹ 0.30 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान प्रकी माफी। चूंकि इसकी पूर्ति अनुरूपी प्राप्तियों से नहीं होगा। (i) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय (ii) एशियाई विकास निधि को अंशदा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है और एशियाई इसकी पूर्ति प्रतिभूतियां जारी करने वे इंटरनेशनल करप्शन हन्टर्स अलायंस (अनुदान मांगा जाता है। सस्ते और मध्य आय वर्ग के आवास के अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है।	करोड़)। चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ारिषद (एनसीएईआर) पर बकाया व्याज राशि हो जाएगी, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय त न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान न (₹ 12.37 करोड़)। ाचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ह विकास निधि में नकद व्यय नहीं होगा और	(b) (c) (d) (e)	G-20 India Presidency 2 crores) (ii) Office Expens Taking into account the sthe Grant, a token supple waiver of interest outs Applied Economic Resea As this will be matched additional cash outgo. (i) Contribution to Sour Fund (SEETF). (ii) Confund (SEETF). (iii) Confund (₹ 12.37 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Asian Developm will be matched through Payment towards Inter (ICHA) (₹ 0.15 Crores). Taking into account the sthe Grant, a token supple Creation of a special wir housing (₹ 1000 crore). Taking into account the sthe Grant, a token supple token supple towards Inter (ICHA) (₹ 1000 crore). Taking into account the sthe Grant, a token supple towards Inter (ICHA) (₹ 1000 crore).	022 (i) Professes (IT) (₹ 0.30 convings available ementary is sought and in graph of the converse of the conv	crores). e in the sight. It Nation this will ience Exit Asian e in the sight and to the entail of ess. bition Hu e in the sight. bitien and e in the sight. complete in the sight.	ame section al Council not entail ar schange Tru Developme ame section he expenditu ash outgo ar nters Alliand ame section middle-incom ame section Bank (AfDi ean Bank f

मांग संख्या DEMAND NO 29

वित्तीय सेवा विभाग DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

	·	भारित	<i>(₹ करॊः</i> स्वीकृत	ड) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	· ·		
राजस्व	Revenue		1305.16	1305.16
पूंजी	Capital		73935.04	73935.04
जोड़	Total		75240.20	75240.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***		***
पूंजी	Capital		2500.00	2500.00
जोड़	Total		2500.00	2500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		77740.20	77740.20
राजस्व	Revenue		1305.16	1305.16
पूंजी	Capital		76435.04	76435.04
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under t	the following Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions		2500.00	2500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) पुनर्पूँजीकरण बंधपत्रों को जारी करने के माध्यम से आईडीबीआई बैंक लि. में पूंजी निवेश (₹ 4557 करोड़)। (ii) बीमा कंपनियों के पुनर्पूँजीकरण के लिए ₹ 2500 करोड़ निधि की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनियों के पुनर्पुंजीकरण के लिए ₹ 2500 करोड़ निधि की नकद आवश्यकता है। The supplementary Grant is required for:

(i) Capital infusion in IDBI Bank Ltd. through issuance of recapitalization bonds (₹4557crore). (ii) An additional requirement of fund of ₹ 2500 crore for Recapitalization of Insurance Companies.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 2500 crore for Recapitalization of Insurance Companies.

मांग संख्या DEMAND NO 32

प्रत्यक्ष कर **DIRECT TAXES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			भारित		(₹ कर <u>ो</u> ड़) (I	'n ₹ crores)
			****	स्वीकृत		- ব্যায়
			Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue			7036.44		036.44
पूंजी	Capital			302.00		302.00
जोड़	Total			7338.44	7	338.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	nt now required	d:			
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital			0.02		0.02
जोड़	Total			0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			7338.46	7	338.46
राजस्व	Revenue			7036.44	7	036.44
पूंजी	Capital			302.02		302.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be a			ad		
			भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
			Charged	Voted	•	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works			0.01	(कa)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		•••	0.02	, ,	0.02
	, , ,					
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplen	nentary Grants are required f	or:		
(क) तिरपुर, कोयम्बटूर में आय कर काय	र्ाालय और स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.72	(a)	Purchase of land measu	iring 1.72 ac	res for cons	struction of
एकड़ भूमि की खरीद (₹ 11.01 कर	रोड़)।		Income Tax Office and	staff quarters	at Tirpur,	Coimbatore
			(₹ 11.01 crore).			
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the s	avings availal	ole in the sa	me Section
अनुदान मांगा जाता है।	-		of the Grant, a token Supp	lementary is	sought.	
(ख) आय कर भवन परिसर, नुंगमबक्कम,	चेन्नई में आय कर विभाग के लिए 38 टाइप-VI	(b)	Construction of 38 Nos. 7	ype-VI (G+19) residential	quarter for
(जी+19) आवासीय क्वार्टरों का नि	र्माण (₹ 27.16 करोड़)।	-	Income Tax Departme			
, ,						• '
			Nungambakkam, Chennai	(₹ 27.16 cror	e).	
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Nungambakkam, Chennai Taking into account the s	•	,	me Section

मांग संख्या DEMAND NO 33

अप्रत्यक्ष कर INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

					भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़ ,) (In ₹ crores जॊड़
					Charged	Voted		Total
. मूल अनुद	रान:	I. ORIGINAL GRANT:						
ाजस्व		Revenue			0.50	7493.15		7493.65
जी		Capital				406.85		406.85
गिड़		Total			0.50	7900.00		7900.50
	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	nt now	required:				
ाजस्व जी		Revenue			•••			
ा ोड़		Capital				0.02		0.02 0.02
।।» ोड़ (मूल औ	र गर क \	Total			 0.50	0.02 7900.02		7900.52
ाड़ (मूल आ [.] ाजस्व	र पूरक)	Total (Original plus Supplementary) Revenue			0.50 0.50	7900.02 7493.15		7900.52 7493.65
जी								
्जा		Capital				406.87		406.87
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु						
		II. This Supplementary Grants will be	accoun	tea for u	nder the following Major He भारित	ad स्वीकृत		সৌভ়
					******	•		जाङ Total
जी भाग		CARITAL SECTION			Charged	Voted		iotai
्या माग ख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION						
	निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	MAJOR HEAD				0.04	(Ta)	0.01
	नमाण काया पर पूजा पारव्यय इ पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works 4216-Capital Outlay on Housing			***	0.01 0.01	(कa) (खb)	0.01 0.01
∠ाठ-आजारा ोड़ (पूंजी भा	**	Total (Capital Section)				0.02	(90)	0.02
(%	• •,	Total (Suplial Society)				0.02		0.02
ह पूरक अनु	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The	supplem	entary Grants are required f	or:		
क) (i)	चंडीगढ़ में भूमि अधिग्रहण के ि	लेए ₹ 1.57 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।	(a)	(i)	Additional requirement of Chandigarh.	f₹ 1.57 crore	for acquis	sition of land at
(ii)	राजस्व आसूचना महानिदेशाल लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 25	य, लखनऊ आंचलिक इकाई, लखनऊ के कार्यालय के करोड़।		(ii)	₹ 25 crore for acquisit General of Revenue Lucknow.			
(iii)	। सीजीएसटी, उज्जैन के लिए भ आवश्यकता।	र्मि अधिग्रहण हेतु ₹ 10.68 करोड़ की अतिरिक्त		(iii)	Additional requirement o for CGST, Ujjain.	f ₹ 10.68 cror	e for acq	uisition of land
(iv)) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्री	य सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर एवं स्वापक,		(iv)	Additional requirement	of ₹ 12 cro	re for c	construction o
	अट्टापुर, हैदराबाद के निर्माण वे	न्न लिए ₹ 12 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।			Regional Training Institution Indirect Taxes and Narco		-	
(v)	जामनगर, गुजरात में कार्यालय आवश्यकता।	ा भवन के निर्माण के लिए ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त		(v)	Additional requirement of building at Jamnagar, Gu		or constru	uction of office
(vi)) अगरतला, त्रिपुरा में कार्यालय आवश्यकता।	भवन के निर्माण के लिए ₹ 3 करोड़ की अतिरिक्त		(vi)	Additional requirement of building at Agartala, Tripi	of ₹ 3 crore fo	or constru	uction of office
(vii)) सीजीएसटी, जोधपुर, राजस्था	न के लिए कैम्पस की आयोजना और कार्यालय-सह- 5 लिए व्यापक परामर्शदात्री सेवा के लिए ₹ 1.02 ा।		(vii)	Additional requirement consultancy service for office-cum-residential cal	of ₹ 1.02 cro planning of	campus	and design o
	अनुदान के इसी भाग में उपल अनुदान मांगा जाता है।	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक			Taking into account the of the Grant, a token sup	savings availa	ble in the	-
ब) (i)	द्वारका, दिल्ली (₹ 12 करोड़),	अन्ना नगर, चेन्नई (₹ 15 करोड़) और खारगढ़, नवी ोय क्वार्टरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।	(b)	(i)	Additional requirement f at Dwarka, Delhi (₹ (₹ 15 crore) and Khargha	or construction 12 crore),	n of resid Anna Na	agar, Chenna
	अनुदान के इसी भाग में उपल अनुदान मांगा जाता है।	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक			Taking into account the softhe Grant, a token sup	savings availa	ble in the	•

मांग संख्या DEMAND NO 34

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ कर	ਹੋੜ) (In ₹ crc
		भारित	स्वीकृत	সৌর
		Charged	Voted	Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
जस्व	Revenue	177.69	4832.22	5009.91
नी	Capital	•••	16.00	16.00
इ	Total	177.69	4848.22	5025.91
न समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
क अनुमान:				
जस्व	Revenue		27.39	27.39
नी	Capital			
इ	Total	•••	27.39	27.39
ाड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	177.69	4875.61	5053.30
जस्व	Revenue	177.69	4859.61	5037.30
ग ी	Capital		16.00	16.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION			
ड्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
016-लेखा परीक्षा	2016-Audit		27.39	27.39
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे	ने दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किय	ा गया है जिन्हें व्यय में से घ	ाटाकर समायोजित
	किया जाता है !			
	Note: The above estimates of additional requirements of	lo not take into account the recover	ies shown below, whi	ch are
	adjusted in reduction of expenditure.			
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2016-लेखा परीक्षा

वेतन और स्थापना पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 32.39 करोड़)।

2016-Audit

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 5.00 करोड़ की बचतों और ₹ 1.17 करोड़ की अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 26.22 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on Salary and establishment (\mathfrak{F} 32.39 crore).

(-)1.17

(-)1.17

Taking into account the savings of ₹ 5.00 crore available in the same Section of the Grant and additional Recoveries of ₹ 1.17 crore, this will entail net cash outgo of ₹ 26.22 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 38 राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध ₹ 1000 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण

को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

				भारित	<i>(₹</i> स्वीकृत	₹ करोंड़) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted	Total
I. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व		Revenue		120466.22	32480.00	152946.22
पूंजी		Capital		19823.28		19823.28
जोड़		Total		140289.50	32480.00	172769.50
इस समय आ	विश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount n	ow required:			
राजस्व		Revenue		1000.00	0.01	1000.01
पूंजी		Capital		•••		
जोड़		Total		1000.00	0.01	1000.01
जोड़ (मूल अं	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		141289.50	32480.01	173769.51
राजस्व		Revenue		121466.22	32480.01	153946.23
पूंजी		Capital		19823.28		19823.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grants/Appropriat			wing Major Heads	S:
				भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
				Charged	Voted	Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2245-प्राकृ	तेक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calam	ities		0.01	(कa) 0.01
3601-राज्य	सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	6	1000.00 (खb)		1000.00
जोड़ (राजस्व	त्र भाग)	Total (Revenue Section)		1000.00	0.01	1000.01
 यह पूरक अन्	नुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपे	क्षित है:	The supple	mentary Grants/Appropriation	ons are required f	or:
(ক)	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन	।डीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों को आपदा राहत	(a)	providing additional a	llocation for dis	aster relief to State
	के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदा	न करने के लिए (₹ 10000 करोड़)।		Governments under N (₹ 10000 crore).	ational Disaster	Relief Fund (NDRF)
	अनुदान मांगा जाता है।	लब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the the Grant, a token supple	•	
(ख)	स्थानीय निकाय – ग्रामीण वि प्रदान करने के लिए (₹ 1000	नेकाय के लिए अनुदानों के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन करोड़)।	(b)	providing additional allo Rural Bodies (₹ 1000 cm	ocation under Gra	
		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	

available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 40 पशु पालन और डेरी कार्य विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				(₹ करोड़)) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	3301.01		3301.01
पूंजी	Capital		41.64		41.64
जोड़	Total	•••	3342.65		3342.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3342.67		3342.67
राजस्व	Revenue		3301.03		3301.03
पूंजी	Capital	***	41.64		41.64
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	der the following Major He	ead		
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'खुर एवं मुख रोग और ब्रुसेलोसिस हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' स्कीम
में विज्ञापन और प्रचार हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (ख) 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य घटक- ₹ 45 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना - (₹ 9.96 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - (₹ 5.16 करोड़) के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards Advertisement & Publicity under the scheme of 'National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease and Brucellosis' (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General for General Component (₹ 45 crore), Special Component for Scheduled Castes Sub Plan (₹ 9.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 5.16 crore) under the scheme of 'National Livestock Mission'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		_		ਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1196.60	1196.60
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		1196.60	1196.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1196.61	1196.61
राजस्व	Revenue		1196.61	1196.61
पूंजी	Capital			•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिः	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde	er the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 45.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Grants for creation of Capital Assets to Indian Institute of Food Processing Technology, Thanjavur (₹ 45.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

, , ,	·	्र भारित Charged	<i>(</i> स्वीकृत Voted	∕₹ कराॆड़)	(In ₹ crores) जॊड़ Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		90145.25		90145.25
पूंजी	Capital		2890.20		2890.20
जोड़	Total		93035.45		93035.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.07		0.07
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total	•••	0.09		0.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		93035.54		93035.54
राजस्व	Revenue		90145.32		90145.32
पूंजी	Capital		2890.22		2890.22
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिर	बाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		ajor Head		
		भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits		0.01	(कa)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(खb)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(घd)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(डe)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(चf)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment		0.01	(छg)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.07		0.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(जh)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(झi)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.09		0.09

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) सीजीएचएस पेंशनरों (पीओआरबी) के चिकित्सीय उपचार के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 1136.10 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. लेडी हार्डिंग ... मेडिकल कालेज एवं श्रीमती एस. के हास्पिटल, नई दिल्ली (₹ 23.20 करोड़) 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 283.40 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो साइन्स संस्थान बैंगलुरू (₹ 16.76 करोड़) 4. जिपमेर, पुदुच्चेरी (₹ 4.19 करोड़) 5. बल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (₹ 7) करोड़) 6. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा (₹ 7.82 करोड़) 7. नई दिल्ली टीवी सेंटर (₹ 0.18 करोड़) 8. चितरंजन राष्ट्रीय संस्थान, कोलकाता (सीएनसीआई) (₹ 0.95 करोड़) 9. लाला राम स्वरूप टीबी एवं संबद्ध रोग संस्थान , नई दिल्ली (₹ 0.40 करोड़) 10. इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टैक्नोलॉजी इम्प्रिंट (₹ 4.98 करोड़) 11. नर्सिंग सेवाओं का विकास - नर्सिंग के विद्यमान स्कूलों का सुदृढ़ीकरण (₹ 36.50 करोड़) 12. राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 66.45 करोड़) जिसमें शामिल हैं (i) वैश्विक निधि सहायक परियोजना (ईएपी)- विदेशी सहायता घटक (ईएसी) (₹ 0.01 करोड़), (ii) राष्ट्रीय/राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन परिषद (जीसी) (₹ 0.05 करोड़) (iii) अन्य व्यय (जीसी) (₹ 0.05 करोड़) (iv) राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (जीसी) (₹ 7.68 करोड़), (v) विश्व बैंक पल निधि सहायक परियोजना (ईएसी) (₹ 29.33 करोड़) (vi) विश्व बैंक पूल निधि सहायक परियोजना (जीसी) (₹ 29.33 करोड़), (ii) निम्न संस्थानों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 1. स्नाततोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 175 करोड़) 2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो साइंस संस्थान बैंगलुरू (₹ 104.63 करोड़) 3. अखिल भारतीय बधिर तथा श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 72.74 करोड़), 4. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, The supplementary Grants are required for:

(a) Additional fund requirement for medical treatment of CGHS Pensioners (PORB) (₹ 1136.10 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General under the following Institutions:-1. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 23.20 crore), 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 283.40 crore). 3 National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bengaluru (₹ 16.76 crore). 4. JIPMER, Puduchery (₹ 4.19 crore). 5. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi, University, Delhi (₹ 7 crore). 6. Kasturba Health Society, Wardha (₹ 7.82 crore). 7. New Delhi TB Centre (₹ 0.18 crore). 8. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (CNCI) (₹ 0.95 crore). 9. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.40 crore). 10. Impacting Research Innovation & Technology (IMPRINT) (₹ 4.98 crore). 11. Development of Nursing Services -Strengthening of existing Schools of Nursing (₹ 36.50 crore). 12. National AIDS & STD Control Programme (₹ 66.45 crore) - comprising of (i) Global Fund Assisted Project-External Aid Component (EAC) (₹ 0.01 Crore); (ii) National/State Blood Transfusion Councils (GC) (₹ 0.05 crore); (iii) Other Expenses (GC) (₹ 0.05 crore); (iv) State AIDS Control Societies (GC) (₹ 7.68 crore; (v) World Bank Pool Fund Assisted Project (EAC) (₹ 29.33 crore); (vi) World Bank Pool Fund Assisted Project (GC) (₹ 29.33 crore).

(c)

नई दिल्ली (₹ 0.05 करोड़ 9. लाला राम स्वरूप टीबी एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.75 करोड़) (iii) निम्न संस्थानों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान 1. एम्स (नई दिल्ली) (₹ 85 करोड़) 2. स्नातकोत्तर चिकित्सा थिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 85 करोड़) 3. निमहंस बेंगलुरू (₹ 3.41 करोड़) 4. लाला राम स्वरूप टीबी एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 6.15 करोड़) 5. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता (सीएनसीआई) (₹ 1.85 करोड़) 6. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 450 करोड़) 7. अखिल भारतीय बिधर एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 3.35 करोड़) 8. राष्ट्रीय जीविबज्ञान संस्थान नोएड़ा (₹ 1.15 करोड़) 9. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा (₹ 5.63 करोड़) (iv) निम्नलिखित योजना/कार्यक्रम/संस्थान/संगठन के अलावा व्यय की अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए – डॉ आरएमएल हास्पिटल, नई दिल्ली, अन्य प्रभार (₹ 23.58 करोड़) डासमैक परियोजना, भारत प्रायवेट लिमिटेड के मामले में मध्यस्थता मामले में (₹ 17.46 करोड़) व्याज तथा झुग्गी वासियों के पुनर्वास/पुनस्थिपन के लिए डीयूएसआईबी को (₹ 6.12 करोड़) के भुगतान को भी लागत पुरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग)

(घ)

निम्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 1.90 करोड़) 2. जनसंख्या अनुसंधान संस्थान (₹ 4.20 करोड़) 3. स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन (₹ 35.50 करोड़) 4. एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए (₹ 0.01 करोड़) सहित (₹ 0.52 करोड़) 5. आरसीएच लचीली पूल नियमित प्रतिरक्षक कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण (ईएसी) (₹ 4.72 करोड़) 6. एनआरएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (₹ 10.00 करोड़) (ii) निम्न संस्थान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सूजन का अनुदान – एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (₹ 1.17 करोड़) (iii)निम्न संस्थानों के अंतर्गत वेतन सहायता में अनुदान 1. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई (₹ 2.77 करोड़) 2. एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली (₹ 0.04 करोड़) (iv) निम्न योजना/कार्यक्रमों/संस्थानों / संगठनों के संबंध में सहायता अनुदान के अलावा व्यय के अन्य अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. जनसंख्या स्थिरता कोष (₹ 23 करोड़) 2. केंद्रीय शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता बिना विधान के – प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर विकास योजना (₹ 1.39 करोड़) अन्य प्रभार। (ग) 3. डब्ल्यू एच ओ समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (₹ 29 करोड़) व्यावासायिक सेवाओं हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

निम्न संस्थाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान 1. एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग (₹ 49.64 करोड़) 2. रिम्स, इम्फाल (₹ 24.19 करोड़), 3. जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 0.45 करोड़) (ङ) 4. राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 7.39 करोड़) जिसमें शामिल है (i) वैश्विवक निधि सहायित परियोजना (ईएसी) (₹ 0.01 करोड़), (ii) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (जीसी) (₹ 1.30 करोड़), (iii) विश्व बैंक पल निधि सहायित परियोजना (ईएसी) (₹ 3.04 करोड़), (iv) विश्व बैंक पूल निधि सहायित परियोजना (जीसी)-(₹ 3.04 करोड़), 5. आरसीएच लचीली पूल सहित नियमित प्रतिरक्षक कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण (ईएसी) (₹ 30.65 करोड़), 6. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण - एनआरएचएम के अंतर्गत व्यापक प्राथमिकी स्वास्थ्य के लिए अन्य गतिविधियां (₹ 25.00 करोड़), 7. अवसंरचना रखरखाव-उपकेन्द्र (₹ 99.38 करोड़), 8. संक्रामक रोगो के लिए लचीला पूल (ईएसी) (₹ 4.67 करोड़), (ii) निम्न संस्थानों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 1. एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग (₹ 207.43 करोड़), 2. रिम्स, इम्फाल (₹ 15.72 करोड़), 1 रिपन्स, आईजाल (₹ 5.50 करोड़), (iii) वेतन सहायता में अनुदान निम्न संस्थानों के अंतर्गत एनईआईजीआईआईएचएमएस, शिलांग (₹ 12 करोड़), 2. रिम्स, इम्फाल (₹ 9.66 करोड़)।

(ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institutions - 1. Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (₹ 175 crore). 2 National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bengaluru (₹ 104.63 crore). 3.All India Institute of Speech & Hearing , Mysore (₹ 72.74 crore). 4.National Academy of Medical Sciences, New Delhi (₹ 0.05 crore). 9. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.75 crore). (iii) Grants in aid Salaries under the following Institutions:- 1. AIIMS, New Delhi (₹ 85 crore), 2. Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (₹ 85 crore). 3. NIMHANS, Bengaluru (₹ 3.41 crore). 4. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 6.15 crore), 5. Chittaranian National Cancer Institute, Kolkata (CNCI) (₹ 1.85 crore). 6. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 450 crore). 7. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 3.35 crore). 8. National Institute of Biologicals, NOIDA (₹ 1.15 crore). 9. Kasturba Health Society, Wardha (₹ 5.63 crore). (iv) For meeting additional expenditure on other items of expenditure other than Grants-in-aid in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: Dr. RML Hospital, New Delhi Other Charges (₹ 23.58 crore) - To meet cost of award with interest (₹ 17.46 crore) in the Arbitration Case in the matter of HOSMAC Project India Pvt. Ltd. And also payment of ₹ 6.12 crore to DUSIB for rehabilitation/relocation of Jhuaai Dwellers.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General under the following Institutions:-1 International Institute for Population Sciences, Mumbai (₹ 1.90 crore). 2. Population Research Centres (₹ 4.20 crore). 3. Health Surveys and Research Studies (₹ 35.50 crore). 4. NIHFW, New Delhi (₹ 0.52 Crore) inclusive of ₹ 0.01 crore for Swachhta Action Plan. 5. RCH Flexible Pool including Routine Immunization Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (EAC) (₹ 4.72 crore) 6. Strengthening of National Programme Management Unit under NRHM (₹ 10 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institution:-NIHFW, New Delhi (₹ 1.17 crore) (iii) Grants in aid Salaries under the following Institutions:- 1 International Institute for Population Sciences, Mumbai (₹ 2.77 crore) 2. NIHFW, New Delhi (₹ 0.04 crore) (iv) For meeting additional expenditure on other items of expenditure other than Grants-in-aid in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: 1. Jansankhya Sthirata Kosh (₹ 23 crore) 2. Financial Assistance to U.Ts. Without legislature - Prime Minister's Development Plan for J&K (₹ 1.39 crore) - Other Charges 3. WHO Supported National Polio Surveillance Project (₹ 29 crore) for Professional Services.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants in aid General under the following Institutions:-1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 49.64 crore) 2. RIMS, Imphal (₹ 24.19 crore) 3. Population Research Centres - ₹ 0.45 crore) 4. National AIDS & STD Control Programme (₹ 7.39 crore) comprising of (i) Global Fund Assisted Project (EAC) (₹ 0.01 crore); (ii) State AIDS Control Societies (GC) (₹ 1.30 crore); (iii) World Bank Pool Fund Assisted Project (EAC) (₹ 3.04 crore); (iv) World Bank Pool Fund Assisted Project (GC) (₹ 3.04 crore) 5. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National lodine Deficiency Disorders Control (EAC) (₹ 30.65 crore) 6. Health System Strengthening under NRHM - Other activities for Comprehensive Primary Health Care under NRHM (₹ 25 crore) 7. Infrastructure Maintenance Sub-Centre (₹ 99.38 crore) 8. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAC) (₹ 4.67 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 207.43 crore). 2. RIMS, Imphal (₹ 15.72 crore). 1. RIPANS, Aizawl (₹ 5.50 crore). (iii) Grants in aid Salaries under the following

(g)

(h)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(इ) निम्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1 संक्रामक बीमारियों के लिए लचीला पूल (ईएसी) (₹ 248.60 करोड़) तथा 2. नियमित प्रतिरक्षक कार्यक्रम सहित आरसीएच लचीला पूल, पल्स पौलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (ईएसी) (₹ 571.22 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(च) निम्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनदान 1. संक्रामक बीमारियों के लिए लचीला पूल (ईएसी) (₹ 0.92 करोड़) 2. आरसीएच लचीली पूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (ईएसी) (₹ 1.41 करोड़) तथा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर विकास योजना (₹ 61.95 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(छ) शीर्ष अन्य संविदात्मक सेवाओं के अंतर्गत निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (**रॅ** 608 करोड़)।

(ज)

(झ)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों इत्यादि के अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1.औषधालय एवं चिकित्सालय की स्थापना (₹ 5.13 करोड़), मोटर वाहन खरीदने के लिए (₹ 4.70 करोड़)(एम्बुलेंस), एमई-(₹ 0.41 करोड़), एमडब्ल्यू (₹ 0.02 करोड़), 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- (₹ 163 करोड़), एमई 3. डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली (₹ 29 करोड़), एमई – (₹ 24 करोड़) तथा एमडब्ल्यू (₹ 5 करोड़), 4. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 38 करोड़) एमई-(₹ 20 करोड़), एमडब्ल्यू (₹ 18 करोड़), 5. लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज एवं श्रीमति एस के अस्पताल, नई दिल्ली, (₹ 28.23 करोड़), एमवी-(₹ 0.82 करोड़), एमई-(₹ 20 करोड़) तथा एमडब्ल्यू (₹ 7.41 करोड़), 6. सीआईपी रांची (₹ 8 करोड़), मुख्य कार्य के लिए 7. डबल्यू एचओ-एसईएआरओ भवन का पुर्ननिर्माण (मुख्य कार्य के लिए (₹ 85 करोड़), 8. राष्ट्रीय टीबी संस्थान, बैंगलोर-मोटर वाहन के लिए (₹ 0.44 करोड़), 9. केन्द्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चिंगालपट्टू मोटर वाहन संस्थान, चिंगालपट्टू, मोटर वाहन के लिए (₹ 0.05 करोड़), 10. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर मुख्य कार्य के लिए (₹ 1.40 करोड़), 11. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गोरीपूर-मुख्य कार्य के लिए (₹ 0.10 करोड़), 12. केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली-मशीनरी और उपकरण के लिए (₹ 0.52 करोड़), 13. मुख्य कार्य के लिए पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹ 0.05 करोड़), 14. एनसीडीसी शाखाओं और स्वास्थ्य संबंधी पहलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-मुख्य कार्य के लिए (₹ 8.71 करोड़), तथा 15. कूलरों संबंधी कार्यों तथा अन्य मदों की खरीद के लिए मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 72.02 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 10 करोड़), मुख्य कार्य के लिए 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमति एस के अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 1 करोड़) तथा 3. सीआईपी, रांची (₹ 10 करोड़) मुख्य कार्य के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Institutions:- 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 12 crore). 2. RIMS, Imphal (₹ 9.66 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General under the following Institutions:1. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAC) (₹ 248.60 crore) and 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunization Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (EAC) (₹ 571.22 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant in Aid General under the following Institutions;- 1. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAC) (₹ 0.92 crore) 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control EAC) (₹ 1.41 crore) and 3. Prime Minister's Development Plan for J&K (₹ 61.95 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional requirement of various Schemes/ Programmes under the head Other Contractual Services (₹ 608 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Setting up of Dispensaries and Hospitals (₹ 5.13 crore) for procurement of Motor Vehicles (₹ 4.70 crore (Ambulances); Machinery & Equipment (₹ 0.41 crore), Major Works (₹ 0.02 crore) 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 163 crore)-Machinery & Equipment. 3. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹ 29 crore), Machinery & Equipment (₹ 24 crore); and Major Works (₹ 5 crore) 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 38 Crore), Machinery & Equipment (₹ 20 crore); Major Works (₹ 18 crore) 5. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 28.23 crore)- Motor Vehicle (₹ 0.82 crore);Machinery & Equipment (₹ 20 crore) and Major Works (₹ 7.41 crore) 6. CIP, Ranchi (₹ 8 crore) for Major Works 7. Reconstruction of WHO -SEARO Building, (₹ 85 crore) for Major Works 8. National TB Institute, Bengalore (₹ 0.44 crore) for Motor Vehicle 9. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (₹ 0.05 crore) for Motor Vehicle 10. Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹ 1.40 crore) for Major Works 11. Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur (₹ 0.10 crore) for Major Works 12. Central Research Institute. Kasauli (₹ 0.52 crore) for Machinery & Equipment 13. Port Health Authority (₹ 0.05 crore) for Major Works 14. Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives (₹ 8.71 Crore) for Major Works and; 15 National AIDS & STD Control Programme (₹ 72.02 crore) under Machinery & Equipment for procurement of work in coolers & Other items.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant. a token supplementary is sought.

To meet additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 10 crore), for Major Works 2. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 1 crore) and: 3. CIP. Ranchi (₹ 10 crore) for Major Works.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				ड़ि) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3374.65	3374.65
पूंजी	Capital	···		
जोड़	Total		3374.65	3374.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital	***	***	•••
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3374.66	3374.66
राजस्व	Revenue	···	3374.66	3374.66
पूंजी	Capital			•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un-	der the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला, 2019 में भाग लेने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के भाग के रूप में भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शीर्ष के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 5 करोड़) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

(I) To meet additional requirement of Grants in Aid General (₹ 5 crore) under the Head International Cooperation for payment as share of Department of Health Research for participation in India International Science Fair, 2019.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		980.74	980.74
पूंजी	Capital		386.26	386.26
जोड़	Total		1367.00	1367.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1367.01	1367.01
राजस्व	Revenue		980.74	980.74
पूंजी	Capital	•••	386.27	386.27
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:	:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow	ing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 03.10.2018 के निर्णय के अनुसार नेपा लि. के कर्मचारियों को वेतन/सांविधिक देयताओं तथा अन्य सरकारी देयताओं का भुगतान करने के लिए इक्विटी के परिवर्तन(₹ 38.26 करोड़) को जारी करना।

आवश्यक लेखांकन समायोजन करने के लिए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Conversion of equity (₹ 38.26 crore) release to Nepa Limited for payment of salary/statutory dues and other govt. dues to its employees into Gol loan as per CCEA decision dated 03.10.2018.

For carrying out necessary accounting adjustment, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		•		′₹ करोड़ ,) (In ₹ crores))
		भारित	स्वीकृत		जोड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.02	4584.39		4584.41	
पूंजी	Capital		311.40		311.40	
जोड़	Total	0.02	4895.79		4895.81	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		8820.64		8820.64	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		8820.64		8820.64	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	13716.43		13716.45	
राजस्व	Revenue	0.02	13405.03		13405.05	
पूंजी	Capital		311.40		311.40	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Ma	ijor Head			
		भारित	स्वीकृत		जो ड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	(कa)	0.01	
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	2250-Other Social Services		0.01	(खb)	0.01	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		8820.62	(गc)	8820.62	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	8820.64		8820.64	

(c)

यह पूरक अनुदाने	िनिम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	विदेश यात्रा व्यय (एफटीई) और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अन्य गैर-कानूनी
	गतिविधियां (बचाव) ट्रिब्यूनल के लिए (₹ 1.39 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	अन्य प्रभारों के तहत अन्य सामाजिक सेवाओं – मंदिरों, तीर्थ स्थलों आदि का
	रखरखाव, तथा अयोध्या के संरक्षण से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए
	(₹ 20.40 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ग)	14वां वित्त आयोग पंचाट राजस्व घाटा अनुदान के स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर और
	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान व्यय विभाग ने संघ राज्य क्षेत्र (जम्मू एवं कश्मीर
	और लद्दाख) के राजस्व घाटे अनुदान के हिस्से के रूप में (₹ 1178.5 करोड़ प्रतिमाह
	की दर से ₹ 5892.5 करोड़), स्थानीय निकाय अनुदान (₹ 725 करोड़),
	एसडीआरएफ (₹ 139.50 करोड़) और नवंबर और दिसंबर, 2019 माह
	के लिए करों की निवल आय के राज्य के हिस्से के रूप में
	(₹ 2063.62 करोड़)। (कुल ₹ 8820.62 करोड़) ।
	इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Foreign Travel Expenses(FTE) and Other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for National Integration(NI) (₹ 1.39 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the expenditure towards Other Social Services-Upkeep of Shrines, Temples etc., Protection and Upkeep of Ayodhya under Other Charges (₹ 20.40 crore).
 - Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is required.
 - Grant to Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh in lieu of J&K State share of 14th Finance Commission Award share of Revenue deficit grant (₹ 5892.5 crore @ 1178.5 crore/month), local body grant (₹ 725 crore) and SDRF (₹ 139.50 crore) & State Share of net proceeds of taxes for month of November and December, 2019 (₹ 2063.62 crore). (Total ₹ 8820.62 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 47 मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				₹) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	•••	828.85	828.85
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	828.85	828.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••	0.01	0.01
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	828.86	828.86
राजस्व	Revenue	•••	828.86	828.86
पूंजी	Capital	***		•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the			
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पूजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत साइनर्जी परियोजनाओं के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए (₹ 10 करोड़) और (ii) साइबर सुरक्षा (अनुसंधान और विकास) तथा अन्य प्रभारों के लिए (₹ 13.59 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) O/o Principal Scientific Adviser for Synergy Projects under Grants for creation of Capital Assets (₹ 10 crore) and (ii) Cyber Security (R&D) and Other Charges (₹ 13.59 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

अनुदान मांगा जाता है।

(See pag	e 55 of the Demands for Gr	ants of Central Government fo	or the year	2019-2020)			
				भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	ि) (In ₹ crores) जॊड़
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		7.49	88707.75		88715.24
पूंजी		Capital		6.33	10811.89		10818.22
जोड़		Total		<i>13.82</i>	99519.64		99533.46
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a required:	amount now				
राजस्व		Revenue			3387.48		3387.48
पूंजी		Capital		***	0.01		0.01
जोड़		Total			3387.49		3387.49
जोड़ (मूल अं	रि पूरक)	Total (Original plus Supplementa	ary)	13.82	102907.13		102920.95
राजस्व		Revenue		7.49	92095.23		92102.72
पूंजी		Capital		6.33	10811.90		10818.23
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants w	-		ajor Head स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION		Criaryeu	Voted		Iotai
मुख्य शीर्ष	*						
1994 साप 2055-पुलिस	.	MAJOR HEAD 2055-Police			3387.46	(कa)	3387.46
_	[।] सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Gov	ornmonts		0.01	(कa) (खb)	0.01
	त्तरकारा का तहावता जनुदान ाज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Ten			0.01	(बा) (गc)	0.01
अनुदान	त्राच्या पान्न वर्ग राज्याच्या राज्याच्या	3002-Grants-III-aid to Officin Ten	inory Governi	nents	0.01	(40)	0.01
जोड़ (राजस्व	। भाग)	Total (Revenue Section)		···	3387.48		3387.48
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4055-पुलिस	। पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police			0.01	(घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	•	Total (Supplementary)			3387.49		3387.49
गर परक थर]दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	ementary Grants are require	d for:		
पहचूरक अर् (क)	वेतन और राशन की लागत (₹ 3387.	46 करोड़)।	(a)	Salaries and Cost of Ra		6 crore)	
(11)	इसमें नकद व्यय होगा।	40 17(19)	(α)	The above expenditure			uo.
(ख)		करी रोधी इकाई के लिए राज्य सरकारों को	(b)	Grants to State Govern			•
(4)	अनुदान (₹ 184.00 करोड़)।	ed dat grig it in die de de de	(5)	including Women Help [Tramoking Onic
	9 (चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	•		same section of
	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token suppl	-		
(ग)	महिला हेल्प डेस्क सहित मानव-तस्व	करी रोधी इकाई के लिए राज्य सरकारों को	(c)	Grants to State Govern	-	_	Trafficking Unit
()		।डब्ल्यूई) सहित सामान्य सहायता अनुदान	(-)	including Women Help			•
	(₹ 5.00 करोड़)।			SRE(NE and LWE) (₹ 5			•
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब	चतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	-	ble in the	same section of
	अनुदान मांगा जाता है।	<u> </u>		the Grant, a token suppl	_		
(ঘ)	मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत सीमा	अवसंरचना प्रबंधन (₹ 398 करोड़) और मुख्य	(d)	Border Infrastructure M	•	•	or Work (₹ 398
	निर्माण कार्यों के अंतर्गत दिल्ली पु	लिस (निर्भया निधि स्कीम) कार्यालय भवन		crore) and scheme for	Safety Women	of Delhi	Police(Nirbhaya
	महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम (र	^ह 6.77 करोड़)।		Fund Scheme) Office	Building unde	er Major	Works (₹ 6.77

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				भारित	(स्वीकृत	(र कराड़ ,) (In ₹ crore जॊड़
				Charged	Voted		Total
. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
जस्व		Revenue		0.01	4285.99		4286.00
्जी > ─		Capital			601.58		601.58
ोड़		Total		0.01	4887.57		4887.58
	ावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	unt now requir	ed:			
ाजस्व जी		Revenue			0.03		0.03
्जा ग्रेड		Capital			0.01		0.01
	.	Total			0.04		0.04 4887.62
ोड़ (मूल ४ ाजस्व	॥र पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		0.01 0.01	4887.61		4887.62 4286.03
		Revenue			4286.02		
जी		Capital	. ~ .		601.59		601.59
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	•				
		II. This Supplementary Grants will be	e accounted fo				
				भारित	स्वीकृत		স <u>ৌ</u> র
				Charged	Voted		Total
ाजस्व भा 	14/	REVENUE SECTION					
,ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	hत्सा और जन स्वास्थ्य 	2210-Medical and Public Health			0.01	(कa)	0.01
	की और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life		•••	0.01	(खb)	0.01
	ग और खनिजों पर अन्य परिव्यय 	2885-Other Outlays on Industries an	d Minerals		0.01	(गc)	0.01
गोड़ (राजस् एंडी भरत	व भाग)	Total (Revenue Section)		···	0.03		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
_	र विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	1	•••	0.01	(घd)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.04		0.04
पह पूरक अ	नुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	ementary Grants are required	for:		
क)	**	त्रण कार्यक्रम (₹ 8.40 करोड़) और आयुष्मान	(a)	meeting establishment	related exper	nditure u	nder Nation
	भारत- पीएमजेएवाई (₹ 9.60 व	करोड़) से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।		Vector Borne Disease C Ayushman Bharat - PMJA	•	•	.40 crore) ar
	अनुदान की इसी भाग में उपल अनुदान मांगा जाता है।	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sathe Grant, a token supple	•		ame section
ब)	वनीकरण, तटबंधीय क्षेत्र उपचार	र योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि के	(b)	meeting expenditure u	under Compe	ensatory	Afforestation
	अंतर्गत के व्यय को पूरा करने के	लिए (₹ 3.24 करोड़)।		Catchment Area Treat	ment Plan,	Integrate	ed Wild L
				Management Plan etc (₹	3.24 crore).		
	_	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	avings availabl	e in the s	ame section
	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token supple	mentary is sou	ght.	
π)	_	स्टार्टअप नीति-2018 के लिए व्यय को पूरा करने	(c)	meeting expenditure for	Andaman & N	icobar In	novation Sta
	लिए (₹ 1.00 करोड़) ।			up Policy-2018 (₹ 1.00 cr	,		
	_	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	•		ame section
	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token supple	•	-	
घ)	पाट ब्लयर विमानपत्तन क रनव लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	ग्ने का विस्तार करने के संबंध में विवाचन पंचाट के ने के लिए (₹ 12.18 करोड़) ।	(d)	meeting additional exper respect Extension of Ru crore).			
	अनुदान की इसी भाग में उपल अनुदान मांगा जाता है।	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	avings availabl	e in the s	ame section

मांग संख्या DEMAND NO 50 चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				ोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	42.01	4309.48	4351.49
पूंजी	Capital	25.00	376.63	401.63
जोड़	Total	67.01	4686.11	4753.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***		
पूंजी	Capital	60.00		60.00
जोड़	Total	60.00		60.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	127.01	4686.11	4813.12
राजस्व	Revenue	42.01	4309.48	4351.49
पूंजी	Capital	85.00	376.63	461.63
	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be account	nted for under the following	g Major Head:	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	60.00		60.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण भू-स्वामियों को वृद्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

इसमें ₹ 60 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional requirement for payment of enhanced compensation to the land owners on account of the decision of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 60 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 51 दादरा और नगर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त

नकद व्यय नहीं होगा।

(See page 63	of the Demands fo	r Grants of Central Government fo	r the year	· 2019-2020)			
				भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores जॊड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		Chargod	Votou		i Ottai
<i>ा. पूरा जातुःचानाः</i> राजस्व		Revenue		0.01	867.82		867.83
पूंजी		Capital			317.06		317.06
जोड़ जोड़		Total		0.01	1184.88		1184.89
• • •	रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	nt now requi		1104.00		1104.00
राजस्व		Revenue			0.02		0.02
पूंजी		Capital			5.00		5.00
जोड़		Total			5.02		5.02
जोड़ (मूल और पूरव	क)	Total (Original plus Supplementary)		0.01	1189.90		1189.91
राजस्व 🦷	•	Revenue		0.01	867.84		867.85
पूंजी		Capital			322.06		322.06
**		।।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ल्य शीर्षों के अं				
		II. This Supplementary Grants will be			d		
		The supplementary statute in sec		भारित	 स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 2401-कृषि कार्य		2401-Crop Husbandry			0.01	(कa)	0.01
2403-पशु पालन		2403-Animal Husbandry			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग))	Total (Revenue Section)		•••	0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5452-पर्यटन पर पृ	<u></u> ुंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism		•••	5.00	(गc)	5.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			5.02		5.02
	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supp	lementary Grants are required for	or:		
(क)	उर्वरक की खरीद के लिए ी	किसानों को सब्सिडी प्रदान करने हेतु अतिरिक्त	(a)	meeting additional require	ment to provi	ide subsi	dies to farmers
1	आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)।		for purchase of Fertilizer (₹	0.06 crore).		
;	अनुदान की इसी भाग में उपल	गब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	vings availab	le in the s	same section of
1	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token supplem	nentary is sou	ıght.	
		गिर गायों की खरीद के लिए 18 लाभार्थियों को	(b)	providing subsidies to 18	Nos. of bene	ficiaries f	for purchase of
	सब्सिडी प्रदान करने हेतु (₹ 0.1			Gir Cows during FY 2019-2	•	•	
	अनुदान की इसी भाग में उपल् अनुदान मांगा जाता है।	गब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say the Grant, a token supplem	•		same section of
	9	गैर सरकारी कॉलेज के सभामंडप के जारी आंतरिक	(c)	ongoing works of undergro	•	•	ardi and interior
	कार्य (₹ 5.00 करोड़)।	a va voi va prista p viento i p anti onivitar	(0)	work of Auditorium at Gove			

entail any additional cash outgo.

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

मांग संख्या DEMAND NO 53 **लक्षद्वीप**

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करों	ਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1117.11	1117.11
पूंजी	Capital		186.38	186.38
जोड़	Total		1303.49	1303.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1303.50	1303.50
राजस्व	Revenue		1117.12	1117.12
पूंजी	Capital		186.38	186.38
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा	:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow	ing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आंगनवाड़ी कर्मचारियों से संबंधित स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1.95 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting establishment related expenditure pertaining to Aanganwadi staff (₹ 1.95 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 56 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				(₹ कराॆड़	') (In ₹ cro
		<i>भारित</i>	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue	91.81	35421.29		35513.10
जी	Capital	71.92	19472.42		19544.34
ोड़	Total	<i>163.73</i>	54893.71		55057.44
प समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस्व	Revenue	9.10	0.02		9.12
नी	Capital		0.03		0.03
ोड़ 	Total	9.10	0.05		9.15
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>172.83</i>	54893.76		55066.59
जस्व	Revenue	100.91	35421.31		35522.22
जी	Capital	71.92	19472.45		19544.37
		भारित	स्वीकृत		সৌর
गजस्य भाग	DEVENUE SECTION	Charged	Voted		Total
	REVENUE SECTION	Charged	Voted		Total
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD	-		(7-1)	
ख्य शीर्ष 216-आवास	MAJOR HEAD 2216-Housing		0.01	(कa)	0.01
ख्य शीर्ष 216-आवास 217-शहरी विकास	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development	 9.10	0.01 (खb)	, ,	0.01 9.10
ख्य शीर्ष 216-आवास 217-शहरी विकास 601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments	 9.10 	0.01 (खb) 0.01	(कa) (गc)	0.01 9.10 0.01
ख्य शीर्ष 216-आवास 217-शहरी विकास 601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग)	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section)	 9.10	0.01 (खb)	, ,	0.01 9.10 0.01
ख्य शीर्ष 216-आवास 217-शहरी विकास 601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) जी <i>भाग</i>	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	 9.10 	0.01 (खb) 0.01	, ,	0.01 9.10 0.01
<mark>ख्य शीर्ष</mark> 216-आवास 217-शहरी विकास 601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) रं जी भाग ख् य शीर्ष	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	9.10 9.10	0.01 (खb) 0.01 0.02	(गc)	0.01 9.10 0.01 9.12
ख्य शीर्ष 216-आवास 217-शहरी विकास 601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान ोड (राजस्व भाग) जि भाग ख्य शीर्ष 059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works	 9.10 9.10	0.01 (खb) 0.01 0.02	(गc) (घd)	0.01 9.10 0.01 9.12
ड्य शीर्ष 216-आवास 217-शहरी विकास 601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान ोड (राजस्व भाग) जि भाग ड्य शीर्ष 059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works 4217-Capital Outlay on Urban Development	9.10 9.10 	0.01 (運b) 0.01 0.02 0.01 0.01	(गc) (घd) (डe)	0.01 9.10 0.01 9.12 0.01 0.01
ाजस्य भाग ड्य शीर्ष 216-आवास 217-शहरी विकास 601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान ोड (राजस्य भाग) रंजी भाग ड्य शीर्ष 059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय 217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय 217-शहरी विकास के लिए ऋण ोड़ (पूंजी भाग)	MAJOR HEAD 2216-Housing 2217-Urban Development 3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works	 9.10 9.10	0.01 (खb) 0.01 0.02	(गc) (घd)	0.01 9.10 0.01 9.12

(b)

(d)

(क)
(i) स्थावर-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.50 करोड़) तथा (ii) लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) तथा डिमान्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्टस (डीएचपी) के लिए पीएमएवाई(यु) के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 95 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) ओएई के अंतर्गत राष्ट्रपित सचिवालय के प्रावधान, पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध निधियों में से लघु कार्य, िकराया, दर व कर (₹ 9.10 करोड़) (ii) दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) कार्मिकों की पेशंन स्कीम के लिए कार्पस फंड सृजित करना (₹ 15.44 करोड़), (iii) भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली को दी जाने वाली संपत्ति कर की छूट (₹ 0.48 करोड़) तथा (iv) पुनर्विनियोग के द्वारा एनसीआरटीसी को (₹ 7.53 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ग) (i) ट्रेनिंग सेंटर फार म्यूनिसिपल एम्प्लायी (आरसीईयूएस), लखनऊ की स्कीम हेतु
सामान्य सहायता अनुदान और वेतन सहायता अनुदान सहायता (₹ 1.91 करोड़);
 (ii) 100 स्मार्ट सिटीज मिशन स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के
लिए सामान्य अनुदान सहायता तािक सुल्तानपुर लोधी का विकास किया जा सके
(₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ)
 (i) जेआईसीए द्वारा ईएपी अनुदान के लिए सामान्य पूल आवास (₹ 145 करोड़),
 (ii) प्रमुख कार्यों के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट की चालू परियोजना (₹ 200 करोड़) तथा
 (iii) संसद भवन का विकास/पुनर्विकास, केंद्रीय विस्टा तथा अन्य संयोजित भवनों के

(i) Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets to meet requirement of Real Estate Regulatory Authority (RERA) to National Capital Territory(NCT) of Delhi (₹ 7.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General under PMAY(U) towards Light House Project(LHP) and Demonstration Housing Projects (DHP) (₹ 95 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) provisions of President Secretariat under OAE, Minor Works,Rent, Rate& Taxes (₹ 9.10 crore) from funds available under capital section. (ii) create a corpus for pension scheme of Delhi Urban Art Commission(DUAC) employees (₹ 15.44 crore), (iii)property tax to be remitted to India Habitat Centre,New Delhi (₹ 0.48 crore) and (iv) NCRTC by way of reappropriation (₹ 7.53 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(i) Grants-in-aid General and Grants-in-aid Salaries for the scheme of Training Cenre for Municipal Employees (RCEUS), Lucknow (₹ 1.91 crore); (ii) Grants-in-aid General, Grants for creation of capital assets under the scheme of 100 Smart Cities Mission, for development of Sultanpur Lodhi (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) General Pool Accommodation for EAP granted by JICA
 (₹ 145 crore), (ii) ongoing project of Supreme Court under Major Work (₹ 200 crore) and (iii) development/re-development

(e)

नए कार्य (₹ 333 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ङ) अधिशेष भूमि की रजिस्ट्री, डि-मर्जर के आर्डर पर स्टैम्प ड्यूटी, हेमिस्फेयर प्रापर्टीज इंडिया लि. (एचपीआईएल) की प्रतिभूतियों की सूची और अन्य प्रासंगिक व्यय (₹ 700 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) मेसर्स हेमिस्फेयर प्रापर्टीज इंडिया लि. (एचपीआईएल) के ऋण एवं अग्रिम ताकि एचपीआईएल एवं टाटा कम्युनिकेशन्स लि. (टीसीएल) के बीच व्यवस्था की स्कीम प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध होने तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 51 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। of Parliament building, new work of Central Vista and other connected buildings (₹ 333 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

registry of surplus land, stamp duty on the order of De-merger, listing of securities of Hemisphere Properties India Ltd(HPIL) and other incidental expenses etc. (₹ 700 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Loans & Advances for M/s Hemisphere Properties India Ltd (HPIL) to meet the expenditure towards listing of securities and other incidental expenses to give effect to the scheme of arrangement between HPIL & Tata Communications Limited (TCL)(₹ 51 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 57

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा

समग्र शिक्षा (₹ 50 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा

समग्र शिक्षा (₹ 30 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

(ঘ)

(i)

(ii)

जाता है।

		की वर्ष 2019-2020 की अनुदान 6 of the Demands for Gran	ts of Central Government fo	r the	year 20	019-2020)			
					,	<i>भारित</i>	(स्वीकृत	(₹ करॊड़) (In ₹ crore উীয়
						Charged	Voted		Total
मूल	। अनुदान:	•	I. ORIGINAL GRANT:						
जस्व	Г		Revenue				97585.76		97585.76
जी			Capital			***			
ड़			Total			•••	97585.76		97585.76
		क रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	amoun	t now red	quired:			
जस्व जी			Revenue			***	0.04		0.04
^{ग।}			Capital						
	ਹਵਾਂ ਅੰਤ ਹ	\ \	Total	·on/\		•••	0.04		0.04
।ङ् ([.] जस्व	मूल और पूर _'	ংক)	Total (Original plus Supplement Revenue	ary)		•••	97585.80 97585.80		97585.80 97585.80
जी	•						97303.00		91000.00
ग।			Capital	_	0 %)				•••
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	-			:!!!		
			II. This Supplementary Grants w	viii be a	accounted	त for under the following Ma भारित	jor Head स्वीकृत		সৌভ
						Charged	Voted		Total
ग्जर	व भाग		REVENUE SECTION			Charged	VOLGU		I Otal
ुष ख्य			MAJOR HEAD						
	 -सामान्य ि	भिष्या	2202-General Education				0.01	(कa)	0.01
	-पानाप्या- -पूर्वोत्तर क्षे		2552-North Eastern Areas				0.01	(नक) (खb)	0.01
	• •	् हारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Gov	ernme	nts		0.01	(यट) (गc)	0.01
		क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Ter				0.01	(घd)	0.01
	राजस्व भा	, ,	Total (Revenue Section)			•••	0.04	()	0.04
ह पूर ह)	क अनुदाने (i)	िनिम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: एनवीएस <i>(</i> ₹ 397.34 करोड़) (ii)) केवीएस (₹ 2480.36 करोड़), (iii)	The (a)	supplem (i)	entary Grants are required Grants-in-Aid General ir		of (i) N	J\/S <i>(</i> ₹ 3973
')	(1)		सीटीएसए (₹ 30.50 करोड़), (v) समग्र	(α)	(1)	crore), (ii) KVS (₹ 2480.3			-
		, , , ,	भवन (₹ 0.39 करोड़) स्कीम के अंतर्गत			(iv) CTSA (₹ 30.50			
		सामान्य अनुदान सहायता।				(₹ 14 crore), (v) National	Bal Bhawan (F	Rs 0.39 c	rore).
	(ii)		स (₹ 820.44 करोड़), (iii) एनसीईआरटी		(ii)	Grants for Creation of Ca	pital Assets in	the Sch	neme of (i) N\
			ररोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों			(₹ 574.48 crore) (ii) KVS		e), (iii) N	CERT (₹ 43.5
		के सृजन के लिए अनुदान।				crore), Samagra Shiksha			
	(iii)		एस (₹ 1161.52 करोड़) (iii) सीटीएसए ——		(iii)	Grants-in-Aid Salary in			-
	(:)	(₹ 0.76 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अ	9		(:. A	crore) (ii) KVS (₹ 1161.52			-
	(iv)	राष्ट्राय साधन-सह याग्यता छात्रवृात्त र वत्तिका।	योजना में (₹ 96.80 करोड़) छात्रवृत्ति/		(iv)	Scholarships/Stipend		ai iviear	is cum Me
		¢	के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा			Scholarship Scheme (₹ 9 Taking into account the	-	hle in th	e same sectio
		जाता है।	The signal of the signal states and the signal states and the signal states are signal states and the signal states are signal states and the signal states are signal states			of the Grant, a token sup	-		e same secui
ब)	(i)	एनवीएस <i>(</i> ₹ 44 करोड़) (ii) केवीएस	(₹ 276 करोड़) की योजना में सामान्य	(b)	(i)	Grants-in-Aid General in	-	-	S (₹ 44 crore)
-)	(1)	सहायता अनुदान ।	(1270 133) 11 11411 11 11111	(5)	(1)	(ii) KVS (₹ 276 crore).	tilo conomo (), (i) i (() (t 11 01010)
	(ii)	•	(₹ 92 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत		(ii)	Grants for Creation of Ca	pital Assets in	n the Sch	neme of (i) NV
	. ,	आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।			. ,	(₹ 64 crore) (ii) KVS (₹ 92	crore).		**
	(iii)	(i) एनवीएस (₹ 104 करोड़) (ii) केवी योजना में वेतन सहायता अनुदान ।	एस (₹ 130 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत		(iii)	Grants-in-Aid Salary in (ii) KVS (₹ 130 crore).	the Scheme	of (i) NV	S (₹ 104 cror
			के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा			Taking into account the	savings availa	ble in the	e same section
		जाता है।				of the Grant, a token sup	•		
т)	(i)	समग्र शिक्षा (₹ 1330 करोड़), मदरस	नों / अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	(c)	(i)	Grants-in-Aid General in	-	-	magra Shiksl
		(₹ 200 करोड़) की योजना में सामान्य	सहायता अनुदान ।	-	•	(₹ 1330 crore), Education	on Scheme fo	or Madra	ssas/Minoritie
		,				(₹ 200 crore)			
	(ii)		कीम (₹ 20 करोड़) की स्कीम के अंतर्गत		(ii)	Grants for Creation of	Capital Asse	ets in th	ne Scheme
		पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदा				Education Scheme for Ma	adrassas/Mino	rities (₹ 2	20 crore)
		array a sell one if array and	के मक्त्रका मांकेविक महरू अवकार मांगा			-			

(d)

(i)

(ii)

(₹ 30 crore).

Shiksha (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section

Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha

Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme Samagra

Taking into account the savings available in the same section

of the Grant, a token supplementary is sought.

of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 58 उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

प्रावस्ता				_	(₹ करोड़) (In ₹ crores)
I. यूल अनुवान: I. ORIGINAL GRANT: राजन्व Revenue 52058.84 52058.84 पूंजी Capital 2120.00 2120.00 का बार अनुवान: Total 54178.84 54178.84 स्त समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Revenue 0.03 0.03 पूजी Capital 0.03 0.03 पूजी Capital 0.03 0.03 अंगेड (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 54178.87 54178.87 पूजी Capital 52058.87 52058.87 52058.87 पूजी Capital 2120.00 2120.00 2120.00 मा पूजी			भारित	स्वीकृत	जॊड़
राजन्व Revenue 52058.84 52058.84 पूंजी Capital 2120.00 2120.00 वांड			Charged	Voted	Total
पूंची	l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
जोड	राजस्व	Revenue		52058.84	52058.84
हस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Capital		2120.00	2120.00
Revenue 0.03 0.03 पूंजी	जोड़	Total		54178.84	54178.84
पूंजी Capital	इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 54178.87 54178.87 राजस्व Revenue 52058.87 52058.87 र्पूजी Capital 2120.00 11. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्वीकृत जोंड़ राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 0.01 (कa) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (खb) 0.01		Revenue		0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक) राजस्व Revenue 52058.87 र्णुजी Capital 2120.00 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जोड़ राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (कa) 0.01 (खb) 0.01	**	Capital			
राजस्वRevenue52058.87पूंजीCapital2120.00II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारितस्वीकृतजीइराजस्व भागREVENUE SECTIONVotedTotalमुख्य शीर्षMAJOR HEAD2202-सामान्य शिक्षा2202-General Education0.01(क्a)0.012203-तकनीकी शिक्षा2203-Technical Education0.01(खb)0.01	जोड़	Total		0.03	0.03
पूँजी Capital 2120.00	जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		54178.87	54178.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जोड़ राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (कa) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (खb) 0.01		Revenue		52058.87	52058.87
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भगरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (क्a) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (खb) 0.01	पूंजी	Capital		2120.00	2120.00
भगरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (कa) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (खb) 0.01		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिग	खाया जायेगा:		
राजस्व भागREVENUE SECTIONमुख्य शीर्षMAJOR HEAD2202-सामान्य शिक्षा2202-General Education0.01(कa)0.012203-तकनीकी शिक्षा2203-Technical Education0.01(खb)0.01		II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	er the following Major H		
<i>राजस्व भाग</i> REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (कa) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (खb) 0.01			भारित	स्वीकृत	जॊड़
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (कa) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (खb) 0.01			Charged	Voted	Total
2202-सामान्य शिक्षा2202-General Education0.01(कa)0.012203-तकनीकी शिक्षा2203-Technical Education0.01(खb)0.01	राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (खb) 0.01	मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
	2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(कa) 0.01
2552-पर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गट) 0.01		2203-Technical Education		0.01	(खb) 0.01
	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03	जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03	0.03

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) आयुर्विज्ञान संस्थान-बीएचयू (₹ 216 करोड़), (2) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 500 करोड़), (3) चैम्पियन सेवा सेक्टर- शिक्षा सेवाएं-उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण (₹ 45 करोड़), (4) शास्त्री भारत- कनाडाई संस्थान (₹ 2 करोड़), (5) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (₹ 25 करोड़) और (6) भारत में अध्ययन (₹ 3.88 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के मुजन के लिए अनुदान (1) आयुर्विज्ञान संस्थान-बीएचयू (₹ 40 करोड़), (2) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान (₹ 15 करोड़), (3) कला और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल (₹ 10 करोड़), (4) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (₹ 15 करोड़) और (5) चैम्पियन सेवा सेक्टर-शिक्षा सेवाएं-उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण (₹ 5 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 950 करोड़), (2) आयुर्विज्ञान संस्थान-बीएचयू (₹ 52 करोड़), और (3) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान (₹ 18 करोड़), (iv) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (1) भारत में अध्ययन (₹ 7.39 करोड़) (v) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत 'छात्रवृत्ति/वृत्तिका' (1) महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (₹ 25 करोड़), (vi) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (1) वैश्विक वचनबद्धता के लिए पहल (₹ 5 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

(ख)
(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना (टीईक्यूआईपी) (ईएपी) (₹ 150 करोड़),
(2) आसियान फैलोशिप (₹ 15 करोड़), (3) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएन)
(₹ 55 करोड़), (4) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 220 करोड़), (5) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता (₹ 1.41 करोड़), (6) राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई
(₹ 8 करोड़), (7) राष्ट्रीय औद्योगिकय रैंकिंग रूपरेखा (₹ 1.59 करोड़), (8) स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) (₹ 0.45 करोड़), (9) प्रशिक्ष प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई, कोलकता, कानपुर और वेन्नई (₹ 1 करोड़) और (10) एसएलआईईटी,

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 216 crore), (2) Central Universities (₹ 500 crore), (3) Champion Services Sector-Education Services - Internationalization of Higher Education (₹ 45 crore), (4) Shastri Indo- Canadian Institute (₹ 2 crore), (5) National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) (₹ 25 crore), and (6) Study in India (₹ 3.88 crore) (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes (1) Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 40 crore), (2) Grants for promotion of Indian languages (₹ 15 crore), (3) National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences (₹ 10 crore), (4) National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) (₹ 15 crore), and (5) Champion Services Sector- Education Services -Internationalization of Higher Education (₹ 5 crore) (iii)Grantsin-aid Salaries under the following schemes (1) Central Universities (₹ 950 crore), (2) Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 52 crore), and (3) Grants for promotion of Indian languages (₹ 18 crore) (iv) 'Professional Services' under the following scheme Study in India (₹ 7.39 crore) (v) 'Scholarship/ Stipends' under the following scheme Scholarship for College & University Students (₹ 25 crore) (vi) 'Other Administrative Expenses' under the following scheme Initiatives for global engagement (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (TEQIP) (EAP) (₹ 150 crore), (2) ASEAN Fellowship (₹ 15 crore), (3) Indian Institutes of Management (IIMs) (₹ 55 crore), (4) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST (₹ 220 crore), (5) Support to Indian Institute of Science (IISc) (₹ 1.41 crore), (6) National Institute of Industrial Engineering Mumbai (₹ 8 crore), (7) National Institutional Ranking Framework (₹ 1.59 crore), (8)

एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 2 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) आईआईटी हैदराबाद (ईएपी) (₹ 300 करोड़), (2) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (आईआईएसईआर) को सहायता (₹ 20 करोड़), (3) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, सुम्बई, कोलकता, कानपुर और चेन्नई (₹ 0.07 करोड़) और टीईक्यूआईपी (₹ 140 करोड़), (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) (₹ 20 करोड़), (2) राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई (₹ 19 करोड़) और (3) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 2 करोड़), और (4) प्रशिशु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (₹ 1 करोड़) (iv) निम्नलिखित स्कीम टीईक्यूआईपी के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 10 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 150 करोड़) और (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता (₹ 50 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 20 करोड़), (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (₹ 250 करोड़) और (2) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 4 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 0.45 crore), (9) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur, and Chennai (₹ 1 crore) and (10) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 2 crore). (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes (1) IIT Hyderabad (EAP) (₹ 300 crore, (2) Support to Indian Institutes of science Education & Research (IISER) (₹ 20 crore), (3)Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai (₹ 0.07 crore), and TEQIP (₹ 140 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) (₹ 20 crore), (2) National Institute of Industrial Engineering Mumbai (₹ 19 crore), (3) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 2 crore) and (4) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur, and Chennai (₹ 1 crore). (iv) 'Professional Services' under the following scheme TEQIP (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Central Universities (₹ 150 crore), and (2) Support to University Grants Commission (UGC) (₹ 50 Crore), (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 20 crore) iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes (1) Central Universities (₹ 250 crore), (2) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 4 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)

मांग संख्या DEMAND NO 60

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79-80 देखिये)

(See page 79-80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करो	ਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		7890.15	7890.15
पूंजी	Capital	0.01	414.46	414.47
जोड़	Total	0.01	8304.61	8304.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	8304.62	8304.63
राजस्व	Revenue		7890.16	7890.16
पूंजी	Capital	0.01	414.46	414.47
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय जल मिशन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.40 करोड़)।
- (ii) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) नावार्ड ऋण पर व्याज भुगतान (₹ 126.61 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को 'नदीमुख प्रबंधन' (₹ 6.40 करोड़)।
- (iii) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.10 करोड़)।
- (iv) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Grants-in-aid General to National Water Mission (₹ 1.40 crore).

____) //-- = -------

- (ii) Grants-in-aid General for (a) Interest payment on NABARD loan (₹ 126.61 crore) and (b) River Basin Management (₹ 6.40 crore) to National Water Development Agency.
- (iii) Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology (₹ 9.10 crore)
- (iv) Grants for creation of Capital Assets to National Institute of Hydrology (₹ 2.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 61

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				ॅ₹ करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		সীর
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		27766.70		27766.70
पूंजी	Capital		•••		
जोड़	Total		27766.70		27766.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		27766.72		27766.72
राजस्व	Revenue		27766.72		27766.72
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Ma	ijor Head		
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation		0.01	(कa)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) (क) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (क) नवसृजित संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 69 करोड़) और (ख) जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केन्द्र को राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 51.45 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

(ख) जल जीवन मिशन (तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत नवसृजित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 143 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

providing (a) Grants-in-aid General for newly created Union Territory of Ladakh (₹ 69 crore) and (b) Grants for creation of capital assets for Rashtriya Swachhta Kendra to National Centre for Drinking Water, Sanitation & Quality under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme) (₹ 51.45 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing Grants-in-aid General to newly formed created Union Territory of Jammu and Kashmir under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme) (₹ 143 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 62 श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़) (In ₹ cror जॊड़
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	ona.gou			
ाजस्व ।जस्व	Revenue		11151.65		11151.65
र् जी	Capital		32.44		32.44
बो ड़	Total		11184.09		11184.09
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ाजस्व	Revenue		0.03		0.03
जी	Capital		5.10		5.10
गिइ	Total		5.13		5.13
गोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		11189.22		11189.22
ाजस्व	Revenue		11151.68		11151.68
जी	Capital		37.54		37.54
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	वाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major	r Head		
		भारित	स्वीकृत		সৌভ়
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development		0.01	(कa)	0.01
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
.552 (, , , , , , ,			0.04	(गc)	0.01
	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(10)	0.0.
601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान गोड़ (राजस्व भाग)	3601-Grants-in-aid to State Governments Total (Revenue Section)		0.01 0.03	(410)	0.03
601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान गोड़ (राजस्व भाग)		 		(40)	
601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) रूं जी भाग	Total (Revenue Section)	 		(40)	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान गेड़ (राजस्व भाग) गूंजी भाग पुड्य शीर्ष १250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	 		(গ ে) (ঘd)	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

अंतराष्ट्रीय कोपरेशन योजना के तहत (₹ 4.00 करोड़) का योगदान (ii) कर्मचारी पेंशन योजना (₹ 540.36 करोड़ रुपए) का योगदान और अनुदान-सह-सहायता सामान्य (₹ 458.00 करोड़) और (iii) सेंट्रल बोर्ड फार वर्कस ऐजूकेशन, योजना के तहत अनुदान सहायता वेतन (₹ 31.30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'कर्मचारी पेंशन स्कीम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 444.64 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़), (ii) 'केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.70 करोड़) और (iii) 'राष्ट्रीय करियर सेवाए' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.68 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

 (ग) 'राष्ट्रीय करियर सेवाओं' के तहत जीआईए सामान्य (₹14.32 करोड़) को व्यय को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) रोजगार संवर्धन स्कीम के तहत मुख्य कार्य (₹ 2.00 करोड़) मशीनरी फार वेटर कान्सिलेशन, प्रोमेशन मिडिएशन, इफेक्टिव इनफोर्समेंट आफ लेबर लॉज चीफ लेबर कमीशनर योजना के तहत मुख्य कार्य (₹ 6.90 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 4.00 crore) under the scheme 'International Cooperation', (ii) Contribution (₹ 540.36 crore) and Grant-in-aid General (₹ 450.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme' and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹ 31.30 crore) under the Scheme 'Central Board for Workers Education'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 444.64 crore) and Grant-in-aid General (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme', (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.70 crore) under the scheme 'Central Board for Workers Education' and (iii) Grant-in-aid General (₹ 1.68 crore) under the scheme 'National Career Services'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 14.32 crore) under the scheme 'National Career Services'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Major Works (₹ 2.00 crore) under the Scheme 'Employment Promotion Scheme' and (ii) Major Works (₹ 6.90 crore) under the scheme 'Machinery for Better Conciliation, Preventive Mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner'.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 64 निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करोंड़	ਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	সৌর
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	261.68	261.68
पूंजी	Capital		25.00	25.00
जोड़	Total	•••	286.68	286.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***		
पूंजी	Capital		6.22	6.22
जोड़	Total	•••	6.22	6.22
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	292.90	292.90
राजस्व	Revenue	***	261.68	261.68
पूंजी	Capital	•••	31.22	31.22
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	नायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the f	following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		6.22	6.22

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए कार्यालय भवन के लिए भूमि की खरीद हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान करना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

making payment to Delhi Development Authority towards purchase of land for construction of office building for Election Commission of India.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores		
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
<i>l.विनियोग:</i>	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
राजस्व	Revenue	269.46		269.46	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	269.46		269.46	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	20.58		20.58	
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total	20.58		20.58	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	290.04	•••	290.04	
राजस्व	Revenue	290.04		290.04	
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत f	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted	for under the following Major	Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	20.58		20.58	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹17 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹3.58 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting the additional expenditure on Salaries (₹ 17 crore) and Professional Services (₹ 3.58 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करॉ	ड़ि) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4599.98	4599.98
पूंजी	Capital		100.02	100.02
जोड़	Total		4700.00	4700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4700.01	4700.01
राजस्व	Revenue	•••	4599.99	4599.99
पूंजी	Capital		100.02	100.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिर	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	r the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(a) (क) (i) अनुसंधान/अध्ययन, स्कीमों की निगरानी और मूल्यांकन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.80 करोड़) (ii) अनुसंधान/अध्ययन, स्कीमों की निगरानी और मूल्यांकन स्कीम के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.20 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

a) (i) GIA Salary under the scheme Research/ Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes (₹ 4.80 crore) (ii) Additional requirement under the Other Administrative Expenses Head, for the scheme Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 69

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		•	((₹ करोड़)	(In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	5209.83		5209.83
पूंजी	Capital	***	45.00		45.00
जोड़	Total		5254.83		5254.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		60.00		60.00
जोड़	Total		60.01		60.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5314.84		5314.84
राजस्व	Revenue	•••	5209.84		5209.84
पूंजी	Capital		105.00		105.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Majo	or Head		
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			, ,	
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy		60.00	(खb)	60.00
				, ,	

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सौर विद्युत (ऑफ ग्रिङ) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उप-योजना (₹ 3 करोड़) और अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 72 करोड़) और (ख) पवन विद्युत (ग्रिङ) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उप-योजना (₹ 118 करोड़) और अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 56 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) 'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' के निर्माण के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय हेतु कार्यालय भवन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 60 करोड़)।

> अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 60 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

providing (a) Grants for creation of capital assets for Scheduled Tribe Sub-Plan (₹ 3 crore) and Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 72 crore) under Solar Power (Off-Grid); and (b) Subsidy for meeting expenditure under Scheduled Tribe Sub-Plan (₹ 118 crore) and Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 56 crore) under Wind Power (Grid).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure under Office Buildings for Capital Outlay on New and Renewable Energy for Construction of Atal Akshay Urja Bhawan (₹ 60 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 60 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 71 संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ कर <u>ो</u> ड़) (In ₹ c	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		19.38	19.38
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		19.38	19.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		19.39	19.39
राजस्व	Revenue		19.39	19.39
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिर	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	r the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Information Technology for implementation of National eVidhan Application (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 72

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		_		(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	96.99	1483.71	1580.70
पूंजी	Capital	6.65	139.24	145.89
जोड़	Total	103.64	1622.95	1726.59
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.02	0.02
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	103.64	1622.97	1726.61
राजस्व	Revenue	96.99	1483.71	1580.70
पूंजी	Capital	6.65	139.26	145.91
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Major He	ad	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(कa) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) मोटर वाहन और मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)
 (₹ 6.35 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) और लाल बहादर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) (₹ 14.97 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

 Central Bureau of Investigation (CBI) under Motor Vehicles and Major Works (₹ 6.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Central Administrative Tribunal (CAT) and Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) under Major Works (₹ 14.97 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 74 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				ਹੋੜ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	42440.78	42440.78
पूंजी	Capital		1667.31	1667.31
जोड़	Total		44108.09	44108.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	1000.00	1000.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	1000.00	1000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	45108.09	45108.09
राजस्व	Revenue	***	43440.78	43440.78
पूंजी	Capital		1667.31	1667.31
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		1000.00	1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निर्धन परिवारों के लिए एलपीजी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 1000 करोड़)।

अनुरान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

providing additional funds under the scheme LPG for Poor Households (₹ 1000 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 75 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करोंड़	₹) (In ₹ crores)
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		582.29	582.29
पूंजी	Capital		1.11	1.11
जोड़	Total		583.40	583.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		22.18	22.18
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		22.18	22.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		605.58	605.58
राजस्व	Revenue		604.47	604.47
पूंजी	Capital	•••	1.11	1.11
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जा	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	ollowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		22.18	22.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) वित्तिय वर्ष 2019-20 के दौरान एनआईएलईआरडी के कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप देय वकाया भुगतान हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनोमिक्स रिसर्च एंड डेवल्पमेंट (एनआईएलईआए) को वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.18 करोड़) (ii) 28 प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के मूल्यांकन तथा स्कीमों की निगरानी व मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के लिए आउटपुट-आउटकम मानीटिरिंग फ्रेमवर्क के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से आहरित ₹ 26.50 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 22.18 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

Meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid Salaries towards National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) (₹ 3.18 crore) towards arrear due payment of 7th CPC implementation for the employees of NILERD during the financial year 2019-20. (ii) Recoupment of advance of ₹ 26.50 crore drawn from Contingency Fund of India for the Evaluation of 28 Umbrella Centrally Sponsored Scheme and Output-Outcome Monitoring Framework to strengthen monitoring and evaluation of the schemes

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 22.18 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 79

राज्य सभा RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ कराॆड़) (In ₹	
		भारित	स्वीकृत	সীর
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.52	399.52	401.04
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	1.52	399.52	401.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		20.00	20.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		20.00	20.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.52	419.52	421.04
राजस्व	Revenue	1.52	419.52	421.04
पूंजी	Capital			
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		d:	
	.,	<i>भारित</i>	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	Ū		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures		20.00	20.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पांचवीं संसदीय वेतन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण सदस्यों के लिए वेतन (₹ 3 करोड़) और सचिवालय (₹17 करोड़) पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional expenditure on Salaries for Members ($\mathfrak T$ 3 crore) and Secretariat ($\mathfrak T$ 17 crore) on account of implementation of the recommendations of the Fifth Parliamentary Pay Committee.

The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 82 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		•		ॏड़) (In ॄ्₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	474.28	272235.40	272709.68
पूंजी	Capital	36.31	227394.24	227430.55
जोड़	Total	510.59	499629.64	500140.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	510.59	499629.65	500140.24
राजस्व	Revenue	474.28	272235.40	272709.68
पूंजी	Capital	<i>36.31</i>	227394.25	227430.56
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में से 'सिग्नल और दूरसंचार निर्माण कार्य' शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय रेलवे के माध्यम से ₹ 336.79 करोड़ लागत की सात (7) डिवीजनों की और पूर्वी रेलवे के माध्यम से ₹ 290.57 करोड़ लागत की पांच (5) डिवीजनों की केन्द्रीकृत परिवहन नियंत्रण प्रणाली पर व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on Centralized Traffic Control system of seven (7) Divisions costing ₹ 336.79 crore through Central Railway and of five (5) Divisions costing ₹ 290.57 crore through Eastern Railway under the head 'Signalling and Telecommunication Works' from Rashtriya Rail Sanraksha Kosh

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 83

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करॊः	इ) (In ₹ crores) जॊड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			21619.82		21619.82
पूंजी		Capital		10.00	142819.16		142829.16
जोड़		Total		10.00	164438.98		164448.98
इस समय आवः	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	now required	d:			
राजस्व		Revenue					
पूंजी		Capital			0.02		0.02
जोड़		Total			0.02		0.02
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10.00	164439.00		164449.00
राजस्व		Revenue			21619.82		21619.82
पूंजी		Capital		10.00	142819.18		142829.18
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख II. This Supplementary Grants will be a			ead स्वीकृत		जो ड़
				Charged	Voted		Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4552-पूर्वोत्तर	क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern	Areas		0.01	(कa)	0.01
5054-सड़क अं	ौर पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Brid	lges		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूंजी भा	π)	Total (Capital Section)		•••	0.02		0.02
यह पूरक अनुद	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	ementary Grants are require	d for:		
(क)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क स्कंध के पूरा करने के लिए (₹ 1600 क	लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय रोड़)।	(a)	additional expenditure North East Region (₹ 16		Work' fo	or Road Wing in
(ख)	अनुदान मांगा जाता है।	लब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक ण कार्यों के लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत व्यय [इ)।	(b)	Taking into account the the Grant, a token supp expenditure under 'Majo Works-Tribal Area Sub	savings availa lementary is s or Works' for N	ought. National H	
	अनुदान की इसी भाग में उप अनुदान मांगा जाता है।	लब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the the Grant, a token supp	savings availa	able in the	e same section of

मांग संख्या DEMAND NO 84

ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़) (In ₹ croi जोड़		
		Charged	Voted		Total		
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
जस्व	Revenue		191770.34		191770.34		
जी	Capital		100.00		100.00		
ोइ	Total		191870.34		191870.34		
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
जस्व	Revenue		0.06		0.06		
नी	Capital						
इ	Total	•••	0.06		0.06		
ड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	191870.40		191870.40		
जस्व	Revenue	•••	191770.40		191770.40		
री	Capital		100.00		100.00		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	खाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head						
		<i>भारित</i> स्वीकृत			जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
जस्व भाग	REVENUE SECTION						
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
51-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01		
16-आवास	2216-Housing		0.01	(खb)	0.01		
501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development		0.01	(गc)	0.01		
52-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(घd)	0.01		
01-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(डe)	0.01		
02-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(चf)	0.01		
र ुदान							
ड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.06		0.06		

जोड़ (राजस्व भा	ग) Total (Revenue Section)			0.06	0.06
यह पूरक अनुदान	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supple	ementary Grants are required fo	or:	
(क)	व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस- कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पीएमयू) (₹ 0.01 करोड़)।	(a)	for Public Financial Manage Management Unit (PMU) u crore).	• •	, •
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the sav the Grant, a token supplem	•	same section of
(ख)	(i) अनुसूचित जाति-प्रशासनिक लागत और (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण की स्कीम के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 335.53 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	for Grant-in-aid General for Cost and (ii) interest subsic Aawas Yojana – Gramin (P Taking into account the sav the Grant, a token supplem	ly under the scheme MAY-Gramin) (₹ 33 rings available in the	e Pradhan Mantri 5.53 crore).
(ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को ब्याज आर्थिक सहायता (₹ 4.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	for interest Subvention to under National Rural Livelit Taking into account the sav the Grant, a token supplem	nood Mission (₹ 4.40 rings available in the	crore).
(ঘ)	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) की स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति-प्रशासन लागत के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.55 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	for Grant-in-aid General for under Pradhan Mantri Aa (₹ 2.55 crore). Taking into account the sav the Grant, a token supplem	awas Yojana – Go vings available in the	ramin (PMAY-G)
(ड)	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत अन्य प्रभार- प्रशासन लागत के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 17.19 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	for Grant-in-aid General for under Pradhan Mantri Aaw Taking into account the sav the Grant, a token supplem	as Yojana – Gramin vings available in the	(₹ 17.19 crore).
(च)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अंतर्गत नवसृजित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को निधियां जारी करना (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	for releasing fund to newly Kashmir under National Ru Taking into account the sav the Grant, a token supplem	form Union Territor ral Livelihood Mission rings available in the	on (₹ 0.01 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरका	र की वर्ष 2019-2020 की अनुव	ानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)						
(See page	108 of the Demands for G	rants of Central Government f	or the year	2019-2020)				
							कराँड़)	(In ₹ crores)
					भारित	स्वीकृत		जो ड़
					Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदा•	न:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue			0.02	5510.09		5510.11
पूंजी		Capital				90.00		90.00
जोड़		Total			0.02	5600.09		5600.11
इस समय आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the ar	mount now red	quired:				
राजस्व		Revenue				54.00		54.00
पूंजी		Capital				0.01		0.01
जोड़		Total				54.01		54.01
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplemental	ry)		0.02	5654.10		5654.12
राजस्व		Revenue			0.02	5564.09		5564.11
पूंजी		Capital				90.01		90.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिस्	वेत मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेग	т:			
		II. This Supplementary Grants wil	-			lead		
					भारित	स्वीकृत		जो ड़
					Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3425-अन्य वैज्ञ	।।निक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research				54.00	(कa)	54.00
पूंजी भाग	g	CAPITAL SECTION					` ,	
ू. मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
-	ानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर	5425-Capital Outlay on Other Sci	entific and Env	vironmental		0.01	(खb)	0.01
• •		Research				54.04		F4.04
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			•••	54.01		54.01
यह परक अनदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sunnler	mentary Grants are	required for			
(क) (i)		ो पर राष्ट्रीय मिशन के लिए सामान्य सहायता	(a) (i)	Meeting expen	•		n- aid G	eneral <i>(</i> ₹ 350
(*)	अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए ((4)	crore) for Nation				•
(ii)	(क) अन्तरविषयक साइबर भौतिक प्र	णाली पर राष्ट्रीय मिशन (₹ 150 करोड़) और	(ii)	Meeting exper	nditure towa	rds Grants f	or creati	on of capital
		सुपर कंप्यूटर मिशन (₹ 100 करोड़) के लिए		Assets for (a) National N	lission on In	ter disci	plinary Cyber
	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अ	नुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		physical Syste	em (₹ 150	crore) and	(b) R	esearch and
				Development	(National S	uper Compu	ter Miss	sion) (₹ 100
				crore).				
(iii)	स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए ₹ 20	करोड़ के वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा	(iii)	Meeting expen	diture towar	ds Grants- i	n- aid s	alary of ₹ 20

- करने के लिए।
- "विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना (iv) के सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.50 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।
- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना (v) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹ 3.50 करोड़) के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।
- भारतीय सर्वेक्षण (निदेशन और प्रशासन के लिए मजदूरी (₹ 0.75 करोड़),घरेलू (vi) यात्रा व्यय (₹ 3.30 करोड़), किराया, दर व कर (₹ 1.50 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 5.50 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 20.70 करोड़) , व्यावसायिक सेवाएं (₹ 2.25 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 34 करोड़ की बचत का अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए तथा अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग के पश्चात् , इसमें ₹ 20 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- भारतीय सर्वेक्षण के लिए मोटर गाड़िया, 'मशीनरी एवं उपकरण" और मुख्य (ख) (i) निर्माण कार्य के तहत क्रमशः ₹ 1 करोड़, ₹ 1.50 करोड़, ₹ 2 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।
 - अंकीय मानचित्रण प्रणाली (नैटमो) के लिए 'मशीनरी एवं उपकरण" के तहत ₹ 1.50 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- crore for Autonomous Institutions.
- Meeting expenditure under Grants-in-aid General (₹ 6.50 crore) of Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board.
- Meeting expenditure under Grants for creation of capital Assets (₹ 3.50 crore) for Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board.
- Meeting expenditure under wages (₹ 0.75 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 3.30 crore), Rent, Rates & Taxes (₹ 1.50 crore), Office Expenses (₹ 5.50 crore), Supplies and Materials (₹ 20.70crore), Professional Services (₹ 2.25 crore) for Survey of India (Direction and Administration).
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 34 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 20 crore.
- Meeting expenditure of ₹ 1 crore, ₹ 1.50 crore and ₹ 2 crore (i) under Motor Vehicle, Machinery and Equipment and Major works respectively for Survey of India.
- Meeting expenditure of ₹ 1.50 crore under 'Machinery and Equipment' for Digital Mapping System (NATMO). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING
(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)
(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

					····	_	(करा,5)	(In ₹ crore
					भारित Charged	स्वीकृत Voted		जৗड़ Total
मूल अनुदा	नः	I. ORIGINAL GRANT:						
जस्व		Revenue				1955.99		1955.99
जी		Capital				526.57		526.57
ोड़		Total				2482.56		2482.56
स समय आव	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a	emount i	now req	uired:			
जस्व		Revenue				0.05		0.05
जी		Capital				22.87		22.87
ोड़		Total				22.92		22.92
ोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementa	ary)			2505.48		2505.48
जस्व		Revenue				1956.04		1956.04
जी		Capital				549.44		549.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्ला	खित मुख्य	शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants wi	ill be ac	counted	for under the following Major			
					भारित	स्वीकृत		जॊड़
					Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग		REVENUE SECTION						
ख्य शीर्ष हरू सर्वोच्य	: भेज	MAJOR HEAD				0.04	(Ta)	0.01
552-पूर्वोत्तर 252 - जोज	্রাস	2552-North Eastern Areas				0.01	(कa)	0.01
352-उद्योग ऽट्य ं ——	à	2852-Industries				0.01	(खb) ∕— `	0.01
	ह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses			***	0.01	(गc)	0.01
052-नौवहन		3052-Shipping			•••	0.01	(घd)	0.01
	ाय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport				0.01	(डe)	0.01
ोड़ (राजस्व [:] जी <i>भाग</i> ख्य शीर्ष	माग)	Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				0.05		0.05
	ह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and	d Light I	Houses		13.40	(चf)	13.40
)52-नौवहन	पर पूंजी परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping				9.47	(छg)	9.47
ोड़ (पूंजी भा		Total (Capital Section)			•••	22.87	,	22.87
ोड़ (पूरक)	•	Total (Supplementary)			•••	22.92		22.92
	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		Th		nentary Grants are required fo			
г)	'अंतर्देशीय जल परिवहन' स्कीम के ३ अनुदान (₹ 8.15 करोड़)।	ांतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(a)	оприст	Grants for creation of Ca 'Inland Water Transport' (₹ Taking into account the sa	pital Assets 8.15 crore).		
	अनुदान मांगा जाता है।				of the Grant, a token supple	_		
a)	•	ा. को (i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का	(b)		Grants-in-aid General for	-	_	of Volunta
.,			(-)		Retirement Scheme (₹ 9.7			
	सामान्य सांविधिक देयताएं (₹ 9.41 क				(₹ 53.86 crore) and (iii) S			
		,			Hooghly Dock & Port Engin	-		
	अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बन	तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक			Taking into account the sa		le in the	same secti
	अनुदान मांगा जाता है।	(11 14 14 14 14 185) (11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			of the Grant, a token supple	-		Jame Jeen
(i)	()) सागरमाला परियोजना के लिए 'व्यावसायि	कसेताओं के अंतर्गत लाग (है 12 57 करोड़)।	(c)	(i)	Professional Services for Sa	-	_	257 crore)
) (i) (ii)	लघु पत्तनों के लिए 'लघु निर्माण कार्यों'		(0)	(ii)	Minor Works under the scho			
(")	, ,	तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक		(11)	Taking into account the sa		•	
	अनुदान मांगा जाता है।	ता का ज्यान में रखत हुए, ताकातक कूरक			of the Grant, a token supple	Ü		Same Secu
τ\	•	नेर्माण कार्यों' के अंतर्गत व्यय (₹ 1 करोड़)।	(d)		Minor Works for Directorate	-	•	f 1 crore)
म)		तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(u)		Taking into account the sa	-		•
	अनुदान मांगा जाता है।	ता का ज्यान में रखत हुए, ताकातक कूरक			of the Grant, a token supple	-		Same Secu
5)	9	ति सामान्य सहायता अनुदान की निर्मुक्ति (₹	(e)		Grants-in-aid General unde	-	-	n Randlade
•)	0.01 करोड़)।	त तामान्य तहावता अनुवान का निर्मुत्ति (र	(6)		(₹ 0.01 crore).	i the soliente	or Ala t	o Dangiaues
	/	तों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक			Taking into account the sa	vinge availab	lo in the	camo cocti
	अनुदान मांगा जाता है।	ता का ज्यान में रखत हुए, साकातक पूरक			of the Grant, a token supple	-		Same Secu
- 1\	•	' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 15.52 करोड़)	(f)			-	_	15.52 croro
ब)		क अतगत आतारक व्यय (₹ 15.52 कराड़) ोों (₹ 2.12 करोड़) और अनुदान के राजस्व	(1)		Major Works under the sche Taking into account the sa			
		। (८ ८.12 करोड़) और अनुसान के राजस्व 13.40 करोड़) को ध्यान में रखते हुए, इसमें			of the Grant (₹ 2.12 crore) at the Revenue Section of the	and surrender	of savin	gs available
<u>র</u>)		लय व्यय′ के अंतर्गत व्यय (₹ 9.47 करोड़)। तों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें	(g)		expenditure will not entail a Office Expenses for Director Taking into account the su	ate General (Shipping)	(₹ 9.47 cror

मांग संख्या DEMAND NO 90

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				भारित	स्वीकृत	(रै कराड़)) (In ₹ crore जॊड़
				Charged	Voted		Total
. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
ाजस्व		Revenue			2926.11		2926.11
जी		Capital			63.10		63.10
ोड़		Total			2989.21		2989.21
स समय आ	विश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am	ount now requi	red:			
ाजस्व	5	Revenue	·		0.02		0.02
जी		Capital			50.01		50.01
ोड़		Total			50.03		50.03
ोड़ (मूल अं	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary	<i>(</i>)		3039.24		3039.24
ाजस्व		Revenue			2926.13		2926.13
जी		Capital			113.11		113.11
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा			
		II. This Supplementary Grants will	•		Head		
		The Supplementary Stante IIII	20 4000404 10	भारित	उद्धः स्वीकृत		जो ड़
				Charged	Voted		Total
ाजस्व भा	ग	REVENUE SECTION		<i></i>			
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
•	रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Ski	ill Develonment		0.01	(कa)	0.01
	सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Govern			0.01	(संद्र) (खb)	0.01
ोड़ (राजस्व	` •	Total (Revenue Section)	iiiioiito		0.02	. ,	0.02
 (जी भाग	,	CAPITAL SECTION			0.02		0.02
्ड्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
•	प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Adm	inistrativo Soni	cos	50.00	(गc)	50.00
	सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social			0.01	(गट) (घd)	0.01
.230-जस्य गिड़ (पूंजी भ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Total (Capital Section)	ai Seivices	•••	50.01	(4u)	50.01
।।» (पूजा र गेड़ (पूरक)	414)	Total (Supplementary)			50.01		50.01
(1/2) en		rotal (oupplementally)			50.05		50.05
ह परक अन	नुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplem	entary Grants are required	for:		
क)		संरचना का सुदृढ़ीकरण' स्कीम के अंतर्गत डीटीई	(a)	Meeting expenditure toward		(₹ 0.85 cr	ore) and OA
.,		30 करोड़) तथा (ii) 'कौशल विकास' स्कीम के	()	(₹ 1.30 crore) under			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	46.00 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।		Infrastructure for Institut			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(₹ 246.00 crore) under the		•	
	अनदान की इसी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa			
	अनुदान मांगा जाता है।	,		the Grant, a token supple	-		
ख)	'कौशल विकास' स्कीम के अंतर्गत व् व्यय पुरा करने के लिए।	सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.44 करोड़) का	(b)	Meeting expenditure toward	ırds: GIA Ger	•	4 crore) unde
	,			the scheme 'Developmen'		.1- :- 41	
	अनुदान का इसा भाग म उपलब्ध अनुदान मांगा जाता है।	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	•		ame section (
\	9		(-)	the Grant, a token supple	•	•	7
ग)	स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹ 67 व	रराड़) हतु व्यय पूरा करन के लिए।	(c)	Meeting expenditure tow	ards Major W	OFKS (K b	r crore) unde
	भवताव के वास्त्रव शाम में स्मर् क	₹ 50 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में		the 'Secretariat'.	currender of	. cavinas	of ₹ EO oron
		२ 50 कराड़ का बचता के अभ्यपण का ध्यान में में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें		Taking into account the		_	
	रखत हुए आर अनुदान क इसा मार्ग कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा			available in the Revenue			
	11.6 -11.11.70. 1.11.4 -1.1 161 61.11	•		the savings within the sa			
ਜ ੇ	'कौशल संस्थानों का सन ्तीकरण ' स्ट	ोम के अंतर्गत मोटर वाहन (₹ 0.02 करोड़) तथा	(d)	expenditure will not entail	=		_
घ)	काशल संस्थाना का सुदृढ़ाकरण स्क मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.20 करो		(d)	Meeting expenditure toward		,	,
	नसागरा जार उपस्कर (६ ७.८७ करी	∌/ ६५ ज्यय पूरा करन कालए। 		Machinery & Equipment 'Strengthening of Skill Ins	-	ore) under	uie Scrieff
				Submidule nitid of Skill INS	แนนเบาร์ .		
	अन्यान की रसी भाग में उस्तरू	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	wings availab	do in the c	ama saatian

मांग संख्या DEMAND NO 91 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

lee page 110 of the Demands for C	orants of Gentral Government for the year 2013-202	0)	(₹	करोड़)	(In ₹ crore:
		भारित	स्वीकृत		जৗ <u>इ</u>
		Charged	Voted		Total
!. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ाजस्व	Revenue		8429.99		8429.99
र् जी	Capital		455.01		455.01
बोड़	Total	•••	8885.00		8885.00
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ाजस्व	Revenue	***	0.03		0.03
र् जी	Capital		0.01		0.01
बो ड़	Total		0.04		0.04
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	8885.04		8885.04
ाजस्व	Revenue		8430.02		8430.02
ां जी	Capital		455.02		455.02
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जৗड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	Charged	voted		Iotai
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पेछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities		0.01	(कa)	0.01
235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(खb)	0.01
.602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता ानुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(गc)	0.01
गोंड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03
118 (11414 1111)					
	CAPITAL SECTION				
रंजी भाग	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
<i>ांजी भाग</i> इंडय शीर्ष			0.01	(घd)	0.01
ट्रंजी भाग पुख्य शीर्ष 1225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पेछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी	MAJOR HEAD		0.01	(घd)	0.01
पूर् जी भाग पु रुय शीर्ष 1225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पेछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी रिच्यय	MAJOR HEAD 4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes,		0.01	(घd)	0.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)
(i) 1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 10 करोड़) 2. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति (₹ 100 करोड़) 3 अनुसूचित जातियों के मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 100 करोड़) 3 अनुसूचित जातियों के मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 100 करड़) 4. डॉ अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (₹ 5 करोड़) 5 पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 20 करोड़) 6 अन्य पिछड़ वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति (₹ 50 करोड़) 7. विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (1 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 0.20 करोड़) (iii) अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹ 33 करोड़) (iv) 1. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (₹ 50 करोड़) 2. बाल एवं बालिका छात्रावास (₹ 20 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (v) 1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (₹ 0.50 करोड़) 2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (₹ 0.50 करोड़) के कंतर्गत विदेश यात्रा व्यय। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान बोर्ड (₹ 2 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) 1. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्रवाई योजना (₹ 20 करोड़) 2. अल्कोहल और पदार्थ (नशीले पदार्थ) की रोकथाम (₹ 20 करोड़) 3. नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए कार्रवाई योजना (₹ 20 करोड़) 4. वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 20 करोड़) 5. अनुसंधान अध्ययन और अनुसंधान प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पुरा करने के लिए।

The supplementary Grants are required for:

(i) To meet additional expenditure in Grants in aid General under 1. Post Matric Scholarships (₹ 10 crore) 2. National Fellowship for SCs (₹ 100 crore) 3. Pre Matric Scholarships for SCs (₹ 10 crore) 4. Dr. Ambedkar National Memorial (₹ 5 crore) 5. Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹ 20 crore) 6. National Fellowship for OBCs and EBCs (₹ 50 crore) 7. Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (₹ 1 crore) (ii) Other Charges under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (₹ 0.20 crore) (iii) Scholarship/Stipend under Top Class Education for SCs (₹ 33 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets under 1. Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna (₹ 50 crore) 2. Boys and Girls Hostel (₹ 20 crore) (v) Foreign Travel Expenses under 1. National Commission for Scheduled Castes (₹ 0.50 crore) 2. National Commission for Safai Karamcharis (₹ 0.50 crore). Grants in aid Salaries under Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional expenditure in Grants in aid General under 1. National Action Plan for Senior Citizens (₹ 20 crore) 2. Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse (₹ 20 crore) 3. National Action Plan for Drug Demand Reduction (₹ 20 crore) 4. Assistance to Voluntary Organisations for Programmes Relating to Aged (₹ 20 crore) 5. Grants in aid for Research Studies and Research Publications (₹ 10 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) नशीले पदार्थ की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) 1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (d) (₹ 100 करोड़) अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (आईएफसी के माध्यम से) (₹ 50 करोड़) 3. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (₹ 44 करोड़) के अंतर्गत निवेश हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional expenditure in Grants in aid General under National Action Plan for Drug Demand Reduction (₹ 10 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To meet additional expenditure in Investments under 1. Venture Capital Fund for SCs to Industrial Finance Corporation of India (₹ 100 crore) 2. Credit Guarantee Fund for SCs(Through IFC) (₹ 50 crore) 3. Venture Capital Fund for OBCs (₹ 44 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 93

अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये) (See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(000 page 110 at an a a annual a		,		(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5874.12	5874.72
पूंजी	Capital	0.40	6598.14	6598.54
जोड़	Total	1.00	12472.26	12473.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		666.00	666.00
जोड़	Total		666.01	666.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13138.27	13139.27
राजस्व	Revenue	0.60	5874.13	5874.73
पूंजी	Capital	0.40	7264.14	7264.54
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research		0.01	(क a) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research		666.00	(खb) 666.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		666.01	666.01

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) नई परियोजनाओं अर्थात चंद्रयान-III (₹ 15 करोड़), जीसैट 12आर (₹ 23.44 करोड़) एवं जीसैट 20/24 लांच सेवाएं (₹ 2.25 करोड़) तथा सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (₹ 144.72 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 6 करोड़), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 22.30 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 3 करोड़) के लिए भी सामान्य सहायता अनुदान और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान तथा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 22 करोड़), पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹ 3.75 करोड़), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 47.41 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 7.50 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

नई परियोजनाओं अर्थात चंद्रयान-III (₹ 60 करोड़), एल्युमिनियम अयस्क टैंकेजिस-निवेश पूर्व का विकास और आपूर्ति (₹ 100 करोड़), जीसैट 12आर (₹ 76.46 करोड़) एवं जीसैट 20/24 लांच सेवाएं (₹ 501 करोड़) तथा प्रयोजन शीर्ष मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत मुख्य कार्यों/आवास तथा उप-शीर्षों नामतः विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (₹ 104.53 करोड़), पोलर उपग्रह लांच व्हीकल जारी परियोजना (₹ 50 करोड़), तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (₹ 114.45 करोड़), इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली के लिए प्रयोगशाला (₹ 1.72 करोड़), सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (₹ 242.61 करोड़), इसरो टेलीमिटरी ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क (₹ 60.99 करोड़), नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (₹ 17.79 करोड़), इसरो प्रणोदन परिसर (₹ 79.01 करोड़), दूसरा व्हीकल असेंबली भवन का कार्यान्वयन (₹ 9.88 करोड़), मास्टर नियंत्रण सुविधा (₹ 23.33 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (₹ 15.29 करोड़), ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बुस्टर संयंत्र (₹ 92 करोड़), लघु उपग्रह लांच व्हीकल का विकास (₹ 11.97 करोड़), यूआर राव उपग्रह केन्द्र (₹ 273.86 करोड़), मानव अंतरिक्ष उड़ान केन्द्र (₹ 8.56 करोड़), अंतरिक्ष वस्तु ट्रेकिंग एवं विश्लेषण के लिए नेटवर्क (₹ 33.30 करोड़), एसएसएलवी के लिए लांच पैड (₹ 120 करोड़), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹ 23.77 करोड़), भारतीय दूरस्थ संवेदी संस्थान (₹ 9.42 करोड़), भारतीय लूनर मिशन/चंद्रयान । और ॥ (₹ 18.40 करोड़), जीसैट 20 उपग्रह (₹ 145.12 करोड़), जीएसएलवी जारी चरण-4 (₹ 17.76 करोड़) के अन्य पुंजीगत व्यय के अंतर्गत सेवाओं की नई लिखत सहित अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 666 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards new Projects viz. Chandrayaan-III (₹ 15 crore), GSAT 12R (₹ 23.44 crore)& GSAT 20/24 Launch services (₹ 2.25 crore) and also towards Grant-in-aid General and Grants for creation of capital assets of Semi - Conductor Laboratory (₹ 144.72 crore), Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 6 crore), Physical Research Laboratory (₹ 22.30 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹ 3 crore)and Grants for creation of capital assets of Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 22 crore), North Eastern Space Application Centre (₹ 3.75 crore), Physical Research Laboratory (₹ 47.41 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹ 7.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Machinery & Equipments/Other Capital Expenditure of new Projects viz.Chandrayaan III (₹ 60 crore), Development and Supply of Aluminium Alloy Tankages -Pre -investment (₹ 100 crore), GSAT 12R (₹ 76.46 crore) & GSAT 20/24 Launch Services (₹ 501 crore) Machinery & Equipments, Major Works/Housing & Other Capital Expenditure for Vikram Sarabhai Space Centre (₹ 104.53 crore), Polar Satellite Launch Vehicle Continuation Project (₹ 50 crore), Liquid Propulsion Systems Centre (₹ 114.45 crore), Laboratory for Electro Optics Systems (₹ 1.72 crore), Satish Dhawan Space Centre (₹ 242.61 crore), ISRO Telemetry Tracking and Command Network (₹ 60.99 crore), Navigation Satellite System (₹ 17.79 crore), ISRO Propulsion Complex (₹ 79.01 crore), Realization of Second Vehicle Assembly Building (₹ 9.88 crore), Master Control Facility (₹ 23.33 crore), Indian Space Research Organisation Headquarters (₹ 15.29 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (₹ 92 crore), Development of Small Satellite Launch Vehicle (₹ 11.97 crore), U R Rao Satellite Centre (₹ 273.86 crore), Human Spaceflight Centre (₹ 8.56 crore), Network for Space Objects Tracking and Analysis (₹ 33.30 crore), Launch Pad for SSLV (₹ 120 crore), Space Applications Centre (₹ 23.77 crore), Indian Institute of Remote Sensing (₹ 9.42 crore), Indian Lunar Mission / Chandrayaan I&II (₹ 18.40 crore), GSAT 20 Satellite (₹ 145.12 crore), GSLV Continuation Phase-4 (₹ 17.76 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 666 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 94

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		·		ड़ि) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		5216.33	5216.33
पूंजी	Capital	***	14.73	14.73
जोड़	Total		5231.06	5231.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***	•••	***
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	5231.07	5231.07
राजस्व	Revenue	***	5216.34	5216.34
पूंजी	Capital		14.73	14.73
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ी	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc	der the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) विश्व बैंक द्वारा 'राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की गुणता में सुधार' की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए क्षमता विकास स्कीम (₹ 0.52 करोड़) (ii) 7वीं आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल की स्थापना (₹ 657.91 करोड़) तथा (iii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकता को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 9.60 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 44.10 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Capacity Development Scheme for Externally Aided Project of "Improvement of Quality of National Statistical System" by World Bank (₹ 0.52 crore). (ii) 7th Economic census and setting up of a National Integrated Information Portal (₹ 657.91 crore) & (iii) Grant-in-aid General (₹ 10.50 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 9.60 crore) and GIA-Salaries (₹ 44.10 crore) of Indian Statistical Institute, Kolkata.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 96

कपड़ा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

	·	भारित	(स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores जॊड़	5)
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4800.57	4800.57	
पूंजी	Capital		30.91	30.91	
जोड़	Total		4831.48	4831.48	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03	0.03	
पूंजी	Capital		0.01	0.01	
जोड़	Total		0.04	0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4831.52	4831.52	
राजस्व	Revenue		4800.60	4800.60	
पूंजी	Capital		30.92	30.92	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	ग जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under t	he following Major H	lead		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(কa) 0.01	
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb) 0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(πc) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03	0.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries		0.01	(ঘd) 0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.04	0.04	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)
(i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.00 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.53 करोड़),
(ii) 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़), (iii) ' पूर्वोत्तर में कृषि वस्त्रों के संवर्धन हेतु योजना' योजना' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6.00 करोड़),
(iv) 'पूर्वोत्तर में भू-वस्त्रों का उपयोग' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़),
(v) 'केंद्रीय रेशम बोर्ड' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 25.00 करोड़) हेत् व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'अन्य हथकरघा योजनाएं योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.15 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.85 करोड़), (ii) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 39.89 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.50 करोड़), (iii) 'अम्बेडकर हस्तिशिल्प विकास योजना' योजना के अनुदान सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़), (iv) 'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.00 करोड़), (v) 'हथकरघा वृहत समूह विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.57 करोड़), (vi) 'विपणन सहायता और सेवाएं' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोड़), (vii) 'केंद्रीय रेशम बोर्ड' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 151.53 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.50 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 26.47 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants are required for:

Meeting expenditure towards: (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.00 crore) and Grants-in-aid General (₹ 6.53 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme 'National Institute of Fashion Technology',(iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.00 crore) under the scheme 'Scheme for Promoting Agro Textiles in North East', (iv) Grants-for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Usage of Geotextiles in North East', (v) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.99 crore) and Grants-in-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Central Silk Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid General (₹ 0.15 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.85 crore) under the scheme 'Other Handloom Schemes', (ii) Grants-in-aid General (₹ 39.89 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.50 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (iii) Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Ambedkar Hastshilp Vikas Yojna', (iv) Grants for creation of Capital Assets (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Infrastructure and Technology Development'. (v) Grants- for Creation of Capital Assets (₹ 2.57 crore) under the scheme 'Handicraft Mega Cluster Development Programme - Handicraft Mega Cluster', (vi) Grants-in-aid General (₹ 8.00 crore) under the scheme 'Marketing Support and Services', (vii) Grants-in-aid General (₹ 151.53 crore), Grants- for creation of Capital Assets (₹ 3.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 26.47 crore) under the scheme Central Silk Board'.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग)

(i) 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 59.00 करोड़), (ii)'फलैटर्ड फैक्ट्री सह इंकुबेटर्स' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.00 करोड़), (iii) 'समेकित प्रसंस्करण विकास योजना' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 21.50 करोड़), (iv) 'आर एंड डी वस्त्र' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 42.99 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.00 करोड़), (v) 'वस्त्र समिति को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.26 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 38.15 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.000 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.00 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 70.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.00 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 7.00 करोड़), (vii) 'वाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी' योजना के अंतर्गत, सब्सिडियां (₹ 83.00 करोड़) , (viii) अन्य (टीआरएएस, सीओपी)' योजना के अंतर्गत अंतर्गत अंशदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ)

'अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना' के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹ 10.79 (d करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 59.00 crore) under the scheme 'National Institute of Fashion Technology', (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Flattered Factory cum incubators', (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 21.50 crore) under the scheme 'Integrated Processing Development Scheme', (iv) Grants-in-aid General (₹ 42.99 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.00 crore) under the scheme 'R & D Textiles',(v) Grants-in-aid General (₹ 15.26 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 38.15 crore) and Grants-in-aid General (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Assistance to Textiles Committee', (vi) Grants-in-aid General (₹ 70.00 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4.00 crore) and Grantsin-aid Salaries (₹ 7.00 crore) under the scheme 'Scheme for Development of Jute Sector', (vii) Subsidies (₹ 83.00 crore) under the scheme 'Subsidy to Jute Corporation of India towards market operation, (viii) Contribution (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Others (TRAs, COP).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards Major Works (₹ 10.79 crore) under the scheme Infrastructure and Technology Development Scheme

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 97

पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		_		ਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2189.21	2189.21
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		2189.22	2189.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2189.23	2189.23
राजस्व	Revenue		2189.22	2189.22
पूंजी	Capital		0.01	0.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	er the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों को सुसाध्य बनाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 5 करोड़) और अन्य प्रभारों के अंतर्गत निधियां (₹ 40 करोड़) प्रदान करना।
- (ii) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 10 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing Grants in aid General (₹ 2 Crore), advertising and publicity (₹ 5 crores) and funds under Other charges (₹ 40 Crores) to felicitate activities under Champion Services Sector Scheme.
- (ii) providing additional funds for Grants in Aid General under Capacity Building for Services Providers (CBSP) (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 98

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये) (See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	<i>5659.27</i>	1155.69		6814.96
पूंजी	Capital		80.00		80.00
जोड़	Total	<i>5659.27</i>	1235.69		6894.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	185.00	0.01		185.01
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	185.00	0.02		185.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>5844.27</i>	1235.71		7079.98
राजस्व	Revenue	<i>5844.27</i>	1155.70		6999.97
पूंजी	Capital		80.01		80.01
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accou	भारित	स्वीकृत	roudo.	সৌর Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	Charged	Voted		Total
राजस्य <i>नाग</i> मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities		0.01	(कa)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	185.00	(खb)		185.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	185.00	0.01		185.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes,		0.01	(गc)	0.01
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी	Scheduled Tribes , Other Backward Classes and				
परिव्यय	Minorities				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	185.00	0.02		185.02

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) (1) प्रकाशन (₹ 0.17 करोड़), (2) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.39 करोड़) और (3) विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.50 करोड़) हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (ii) (1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 0.50 करोड़) और (2) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 0.10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (iii) (1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 0.25 करोड़) और (2) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 0.04 करोड़) स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (iv) निगरानी और मूल्यांकन स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 1.50 करोड़) (v) (1) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 0.98 करोड़), (2) मैट्रिक पूर्व स्कीम (₹ 1.25 करोड़), (3) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (₹ 45.50 करोड़) और (4) लघु वनोत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ 60 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (vi) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 14.99 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान, (vii) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 0.24 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (1) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान (₹ 82.45 करोड़) (2) मैट्रिक पूर्व स्कीम (₹ 125.51 करोड़) (3) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 645.01 करोड़) और (4) जनजातीय अनुसंधान संस्थान (₹ 20 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 185 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' (₹ 10 करोड़) स्कीम के तहत 'प्रमुख कार्यों' के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

Additional requirement for expenditure under National Commission for Scheduled Tribes towards (1) Publications (₹ 0.17 crore), (2) Other Administrative Expenses (₹ 0.39 crore) and (3) Advertisement & Publicity (₹ 0.50 crore) (ii) Office Expenses under the scheme (1) Post Matric Scholarship (₹ 0.50 crore) and (2) Aid to Voluntary Organisations working for the welfare of Scheduled Tribes (₹ 0.10 crore) (iii) Professional Services under the scheme (1) Post Matric Scholarship (₹ 0.25 crore), (2) Aid to Voluntary Organisations working for the welfare of Scheduled Tribes (₹ 0.04 crore) (iv) Other Charges under the scheme Monitoring & Evaluation (₹ 1.50 crore). (v) GIA General under the scheme (1) Eklavya Model Residential School (₹ 0.98 crore), (2) Pre-Matric Scholarship (₹ 1.25 crore), (3) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 45.50 crore) and (4) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 60 crore) (vi) GIA-Creation of Capital Assets under the scheme Eklavva Model Residential School (₹ 14.99 crore) (vii) GIA Salaries under the scheme Eklavya Model Residential School (₹ 0.24 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

GIA General under the scheme (1) Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹ 82.45 crore) (2) Pre-Matric Scholarship (₹ 125.51 crore), (3) Post Matric Scholarship (₹ 645.01 crore) and (4) Tribal Research Institutes (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 185 crore.

Additional requirement for expenditure in Major Works under the scheme Eklavya Model Residential School (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 99

महिला और बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

		भारित	<i>(</i> स्वीकृत	∕₹ कराॅड़) (In ₹ crores) जाॆड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	5.1.a g 5.a		
राजस्व	Revenue		29664.89	29664.89
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		29664.90	29664.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		5.00	5.00
जोड़	Total		5.02	5.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		29669.92	29669.92
राजस्व	Revenue		29664.91	29664.91
पूंजी	Capital		5.01	5.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिर	बाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		ajor Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare		5.00	(गc) 5.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		5.02	5.02
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) (i) (1) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)
(₹ 5.68 करोड़) (2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) (₹ 28.09
करोड़), (3) केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (₹ 0.80 करोड़) (4) राष्ट्रीय महिला
आयोग (₹ 1 करोड़) और (5) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
(एनसीपीसीआर) (₹ 0.23 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii)
राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान
(₹ 0.50 करोड़) (iii) (1) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान
(एनआईपीसीसीडी) (₹ 3.06 करोड़) (2) केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण
(₹ 1.20 करोड़) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और (3)
(एनसीपीसीआर) (₹ 0.29 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान हेतु
अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) एनआईपीसीसीडी स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (पोषाहार में एकीकृत शिक्षा) के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पुरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

Meeting additional expenditure towards (i) GIA General under the scheme (1) National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 5.68 crore), (2) Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 28.09 crore), (3) Central Adoption Resource Authority (₹ 0.80 crore), (4) National Commission for Women (₹ 1 crore) and (5) National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) (₹ 0.23 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the National Commission for women (₹ 0.50 crore). (iii) GIA Salary under the scheme (1) NIPCCD (₹ 3.06 crore), (2) Central Adoption Resource Authority (₹ 1.20 crore), and (3) NCPCR (₹ 0.29 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional expenditure towards GIA General under the scheme NIPCCD (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional expenditure required under Major Works (₹ 5 crore) for National Nutrition Mission (Integrated Education in Nutrition).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 100

यवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये) (See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(,	,		(₹ करोड़ ,) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2181.90		2181.90
पूंजी	Capital		35.02		35.02
जोड़	Total		2216.92		2216.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		225.01		225.01
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		225.01		225.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2441.93		2441.93
राजस्व	Revenue		2406.91		2406.91
पूंजी	Capital		35.02		35.02
•	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u				
		भारित	स्वीकृत		जो ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	•••	225.00	(कa)	225.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		225.01		225.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 25 करोड़), (2) युवा नेता कार्यक्रम (₹ 11 करोड़), (3) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (₹ 5 करोड़) (सामान्य घटक- ₹ 3.74 करोड़) (अनुसचित जाति घटक- ₹ 0.83 करोड़ और अनुसूचित जनजाति घटक- ₹ 0.43 करोड़), (4) अंतर्राष्ट्रीय समन्वय (₹ 2.20 करोड़), (5) जम्मू और कश्मीर में खेल कृद सुविधाओं में वृद्धि (₹ 5.37 करोड़), (6) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 52.60 करोड़), (7) राष्ट्रीय डोप रोधी अभिकरण (₹ 4.40 करोड़) और (8) खेलो इंडिया (₹ 18.83 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (₹ 90 करोड़), (2) राष्ट्रीय डोप रोधी अभिकरण (₹ 0.60 करोड़) और (3) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 92.53 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 16.24 करोड़) (2) जम्मू और कश्मीर में खेलकूद सुविधाओं की वृद्धि (₹ 14.63 करोड़) (3) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 69.85 करोड़) और (4) खेलो इंडिया (₹ 66.94 करोड़) (iv) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 7.15 करोड़) (v) युवा नेता कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 5.50 करोड़) (vi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 1 करोड़) (vii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (1) विशेष नकद पुरस्कार (₹ 12 करोड़) और (2) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन (₹ 10 करोड़) (viii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक सामान्य सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 14.28 करोड़) और (2) खेलो इंडिया (₹ 4.87 करोड़) (ix) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति घटक सामान्य सहायता . ` , अनुदान (1) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ (₹ 8.27 करोड़) और (2) खेलो इंडिया (₹ 4.54 करोड़) (x) खेलो इंडिया स्कीम के लिए अनुसूचित जाति घटक के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सजन के लिए अनुदान (₹ 13.49 करोड़) (xi) खेलो इंडिया स्कीम के लिए अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 9.17 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 225 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(i) भारतीय खेलकूद प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 (ख) करोड़) (ii) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत (1) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.53 करोड़) अनुसूचित जाति घटक (₹ 0.40 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 0.18 करोड़) (2) पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान (₹ 6.12 करोड़), अनुसूचित जाति घटक (₹ 1.58 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 0.72

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

Component- ₹ 3.74 crore), (SC Component- ₹ 0.83 crore & ST Component- ₹ 0.43 crore), (4) International Coordination (₹ 2.20 crore), (5) Enhancement of Sports Facility at J&K

(₹ 5.37 crore), (6) National Sports Federation (₹ 52.60 crore), (7) National Anti Doping Agency (₹ 4.40 crore) and (8) Khelo India (₹ 18.83 crore) (ii) GIA Salary under the scheme (1) Sports Authority of India (₹ 90 crore), (2) National Anti-Doping Agency (₹ 0.60 crore), and (3) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 92.53 crore). (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 16.24 crore), (2) Enhancement of Sports Facility at J&K (₹ 14.63 crore) (3) National Sports Federation (₹ 69.85 crore) and (4) Khelo India (₹ 66.94 crore) (iv) Contribution under the scheme National Sports Development Fund (₹ 7.15 crore) (v) Advertisement and Publicity under the scheme Young Leader Programme (₹ 5.50 crore) (vi) Office Expenses under the Scheme National Service Scheme (₹ 1 crore) (vii) Other Charges under the scheme (1) Special Cash Award (₹ 12 crore) and (2) Pension to Meritorious Sports Persons (₹ 10 crore) (viii) GIA General SC Component under the scheme (1) National Sports Federation (₹ 14.28 crore) and (2) Khelo India (₹ 4.87 crore) (ix) GIA General ST Component under the scheme (1) National Sports Federation (₹ 8.27 crore) and (2) Khelo India (₹ 4.54 crore) (x) Grant for Creation of Capital Assets under SC Component for the scheme Khelo India (₹ 13.49 crore) (xi) Grant for Creation of Capital Assets under ST Component for the scheme Khelo India (₹ 9.17 crore) Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 225 crore. (i) GIA Salary under the scheme Sports Authority of India (₹ 10 crore) (ii) Under the scheme Khelo India (1) GIA General (₹ 1.53 crore), under SC Component (₹ 0.40 crore) and under ST Component (₹ 0.18 crore). (2) Grant for Creation of Capital Assets (₹ 6.12 crore), under SC Component (₹ 1.58 crore), and under ST Component (₹ 0.72 crore).

(i) GIA General under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra

Sangathan (₹ 25.crore), (2) Young Leader Programme (₹ 11

crore), (3) National Service Scheme (₹ 5 crore) (Gen.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.